

प्रतिबंध पत्र और प्रमुख तथ्य विवरण

उधारकर्ता का नाम:

दिनांक:

ऋण व्यवस्था:	
ऋणदाता	एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("ऋणदाता")
डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन ("DLA")	पंजीकरण पृष्ठ

अनुभाग -1: प्रमुख तथ्यों का विवरण (KFS)

केएफएस आपके ऋण के बारे में मुख्य तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक मानकीकृत प्रारूप में होता है।

भाग 1: ब्याज दर और शुल्क/शुल्कों

1(a)	ऋण संदर्भ संख्या	
1(b)	ऋण का प्रकार	
2	अनुमोदित ऋण राशि (₹ में)	
3	वितरण अनुसूची	
3(a)	(i) क्या 100% वितरण किया जाएगा? एकमुश्त?	वितरण 100% अग्रिम/किश्तों में किया जाएगा, जो उधारकर्ता के अनुरोध पर निर्भर करेगा
3(b)	(ii) यदि यह चरण-वार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते की धारा का उल्लेख करें।	प्रत्येक किश्त ऋणदाता के विवेक, शर्तों की पूर्ति और किसी भी चल रही चूक की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ऋणदाता प्रशासन के लिए प्रत्येक किश्त को अलग-अलग खातों में प्रबंधित कर सकता है, और अधिकारों तथा उपायों को लागू करने के लिए सभी शर्तें इन खातों पर लागू होती हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऋण अनुबंध की धाराएँ 4.3 और 4.12 देखें
4	ऋण अवधि (महीनों में)	
5	किश्त विवरण	
5(a)	किश्तों का प्रकार (आवृत्ति)	मासिक
5(ख)	ईएमआई की संख्या	
5(c)	ईएमआई राशि (₹ में) ¹	
5(d)	मॉरेटोरियम अवधि मॉरेटोरियम के दौरान किश्तों की संख्या (PMII) मॉरेटोरियम के दौरान ईएमआई (पीएमआईआई) राशि (₹ में) INR	महीने मॉरेटोरियम अवधि के दौरान आप अपने ऋण पर केवल ब्याज ("PMII") का भुगतान कर सकते हैं। मॉरेटोरियम समाप्त होने के बाद आप ब्याज के साथ मूल राशि का पुनर्भुगतान शुरू कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण ईएमआई ("EMI") भुगतान, जिसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल हैं, शुरू करने से पहले नौकरी खोजने और अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है।
5(e)	अनुमोदन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	घोषित आरंभ तिथि अस्थायी है और यह वास्तविक वितरण तिथि पर निर्भर करेगी।
6(a)	ब्याज दर % में (वार्षिकीकृत ब्याज दर या AIR)	प्रति वर्ष
6(ख)	ब्याज का प्रकार (स्थिर या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	फ्लोटिंग
7	फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी	
7(a)	संदर्भ बैंचमार्क	EBLR
7(b)	बैंचमार्क दर (%) (B)	
7(c)	स्प्रेड (%) (S)	
7(d)	ऑर्गेनिक दर (%) R = (B) + (S)	
7(e)	पुनर्निर्धारण आवृत्ति (महीने)	बैंचमार्क दर: स्प्रेड:
7(f)	संदर्भ बैंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (R में 25 bps परिवर्तन के लिए) ²	ईएमआई राशि (₹ में): ईएमआई की संख्या:
7(g)	ऋण की संपूर्ण अवधि में फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर वाले ऋण में और फिक्स्ड से फ्लोटिंग दर वाले ऋण में स्विच करने की अनुमत संख्या	उधारकर्ता प्रत्येक दिशा में एक बार स्विच कर सकता है—फ्लोटिंग → फिक्स्ड और फिक्स्ड → फ्लोटिंग (केवल ब्याज-दर रीसेट पर ही अनुमत)

¹ ईएमआई, पीएमआईआई शुल्क या केएफएस में उल्लिखित कोई अन्य शुल्क या कोई अन्य राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

² उदाहरण में EBLR में 25 आधार अंकों की वृद्धि पर EMI में वृद्धि दिखाई गई है, जबकि अवधि वही रहती है। EBLR में वास्तविक परिवर्तन की स्थिति में, प्रक्रिया RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई जाती है।

8	शुल्क/चार्ज (लागू होने वाले करें जैसे GST को छोड़कर), एक विशिष्ट राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) के रूप में, एकमुश्त या आवर्ती आधार पर, जैसा भी लागू हो, देय।						
	शुल्कों का विवरण	(A) ऋणदाता 1		(B) ऋणदाता 2		(C) बॉटोपीएल	
		आवृत्ति	राशि या %	आवृत्ति	राशि या %	आवृत्ति	मात्रा या %
(i)	प्रसंस्करण शुल्क ³	एकमुश्त	2% तक या अनुमोदन पत्र के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(ii)	बीमा शुल्क (यदि कोई हो - a+b+c)			लागू नहीं	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
a)	जीवन			एनए	एनए	कोई नहीं	कोई नहीं
बी)	स्वास्थ्य			एनए	एनए	कोई नहीं	कोई नहीं
c)	यात्रा			एनए	एनए	कोई नहीं	कोई नहीं
(iii)	मूल्यांकन शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	NA	कोई नहीं	कोई नहीं
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	कोई नहीं	कोई नहीं	NA	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
a)	सुविधा शुल्क (रुपये)	कोई नहीं	कोई नहीं	NA	NA	कोई नहीं	कोई नहीं
बी)	सेवा शुल्क (रुपये)	कोई नहीं	कोई नहीं	NA	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
c)	लेनदेन शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	एनए	एनए	कोई नहीं	कोई नहीं
9	वार्षिक प्रतिशत दर (APR) (%)						
10	अन्य शुल्कों का विवरण (₹ में एक विशिष्ट राशि के रूप में या %, जैसा लागू हो)।						
(i)	विलंब/दंडात्मक शुल्क (दर से भुगतान की स्थिति में)			विलंब जारी रहने तक प्रति दिन ₹25/-			
(ii)	बाउंस शुल्क (अस्वीकृत या बाउंस हुए चेक, डायरेक्ट डेबिट, एसीएच मंडेट, या किसी अन्य भुगतान विधि के लिए बाउंस शुल्क लगाया जाएगा)			प्रति घटना ₹350 (लागू कर सहित)			
(iii)	स्थिर ब्याज दर वाले ऋण पर जब्त शुल्क			बकाया मूलधन पर 4% तक (लागू कर सहित) शुल्क (iv) स्थिर ब्याज दर वाले ऋण पर समापन शुल्क			
(iv)	स्थिर ब्याज दर वाले ऋण पर पूर्वभुगतान शुल्क			प्रोपोज की जा रही राशि पर 4% तक (लागू कर सहित) शुल्क			
(v)	फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋण पर जब्त शुल्क			शून्य			
(vi)	फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋण पर पूर्वभुगतान शुल्क			शून्य			
(vii)	दस्तावेज पुनः प्राप्ति / रखरखाव शुल्क			INR 1000 (लागू कर सहित)			
(viii)	स्टाम्प ड्यूटी			संबंधित राज्य में लागू के अनुसार			
(ix)	डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर जारी करने का शुल्क			वास्तविक आधार पर (लागू कर सहित)			
(x)	डिमांड ड्राफ्ट रद्दीकरण शुल्क			INR 500 (लागू कर सहित)			
(xi)	परिवर्तन शुल्क (फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर और फिक्स्ड दर से फ्लोटिंग दर)			25 लाख रुपये से अधिक के बकाया शेष के लिए: 25,000 रुपये प्लस लागू कर; 10 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये या उससे कम के शेष के लिए: 15,000 रुपये प्लस लागू कर; और 10 लाख रुपये या उससे कम के शेष के लिए: 7,500 रुपये प्लस लागू कर;			
(xii)	बकाया वसूली के लिए दौरा शुल्क			इस उद्देश्य के लिए, रूपांतरण की तारीख को बकाया शेष राशि को माना जाएगा वास्तविक आधार पर			
(xiii)	संग्रह पिकअप शुल्क			वास्तविक आधार पर			
(xiv)	ऋण वसूली एवं कानूनी शुल्क (वसूली नोटिस जारी करने, कानूनी कार्यवाही दायर करने, अन्य सहायक/संलग्न लागतों के लिए)			वास्तविक आधार पर			
(xv)	ऋण जब्त पत्र / खाते का विवरण जारी करना (तीन महीने के भीतर एक से अधिक बार)			प्रत्येक व्यक्तिगत अनुरोध के लिए ₹300 (लागू कर सहित)			
	डुप्लिकेट आपत्ति-रहित प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना			प्रत्येक व्यक्तिगत अनुरोध के लिए INR 200 (लागू कर सहित)			
(xvi)	लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर लागू होने वाले कोई अन्य शुल्क ⁴			वास्तविक आधार पर			
भाग 2: अन्य गुणात्मक जानकारी							
1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते की धारा			वसूली गतिविधियों का प्रबंधन LSP द्वारा ऋणदाता द्वारा निर्धारित वसूली आचार संहिता के अनुसार किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया ऋण समझौते की धारा 17.4 देखें। आपकी सुविधा के लिए, इस KFS के आगामी अनुभागों में उन वसूली एजेंटों की एक सूची प्रदान की जाएगी जो आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकते हैं।			
2	ऋण अनुबंध की वह धारा जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण है			आपकी गोपनीयता और चिंताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस KFS के आगामी अनुभागों में, आपको शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण मिलेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए कृपया एमआईटीसी की धारा 7 देखें।			

³ प्रोसेसिंग शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा, भले ही ऋण निर्दिष्ट क्लिंग-ऑफ अवधि के भीतर बंद कर दिया गया हो, और इसे वर्तमान स्वीकृत ऋण राशि के आधार पर उधारकर्ताओं द्वारा अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना है। यदि उधारकर्ता ऋण राशि में वृद्धि के लिए आवेदन करते हैं, तो उधारकर्ताओं को एडग्रो द्वारा तय की गई दर पर ऐसी वृद्धि पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

⁴ उपरोक्त उल्लिखित शुल्क में भुगतान गेटवे शुल्क शामिल नहीं हैं, जो भुगतान गेटवे व्यापारियों द्वारा सीधे लगाए जाते हैं (जहाँ भी लागू हो, उधारकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा)।

3	नोटल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी		
	ऋणदाता 1	ऋणदाता 2	एलएसपी
	गुरु प्रसाद शिकायत निवारण अधिकारीgro@edgrofin.com 7669571400 https://edgrofin.com	एनए	मोहित जैन शिकायत निवारण अधिकारीgro@propelld.com 7375911702 https://propelld.com
4	मध्यस्थता का स्थान / क्षेत्राधिकार	लोन समझौते में उल्लिखित क्षेत्राधिकार खंड के अनुसार	
5	क्या ऋण है, या भविष्य में शायद, अन्य आरईएस या प्रतिभूतिकरण में स्थानांतरण के अधीन (हाँ / नहीं)	हाँ	
6	सहयोगात्मक व्यवस्थाओं (जैसे सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के लिए, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रदान करें:		
6a	मूल RE का नाम, उसके वित्तपोषण अनुपात के साथ	लागू नहीं	
6b	साझेदार आरई का नाम और उसका वित्तपोषण का अनुपात	लागू नहीं	
6c	मिश्रित ब्याज दर	NA	
7	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रदान किए जा सकते हैं:		
7 (a)	कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि के दौरान जिसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ऋण की पूर्व-भुगतान पर जुर्माना ⁵	15 दिन।	
7 (b)	वसूली के रूप में कार्यरत एलएसपी का विवरण एजेंट और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत	ब्लूबियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ("Propelld"); Propelld के लिए आउटसोर्सिड विक्रेताओं की सूची के संबंध में जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएँ: https://propelld.com/collection-agencies	

⁵ कूलिंग-ऑफ अवधि पहली निकासी की तारीख से शुरू होती है।

परिशिष्ट-A

वार्षिक प्रतिशत दर (APR) की गणना

क्र.सं.	पैरामीटर	विवरण
1	अनुमोदित ऋण राशि (₹ में)	
2	ऋण अवधि (महीनों में) तथा मोरटोरियम अवधि, यदि कोई हो।	
a)	गैर-समतुल्य आवधिक ऋणों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	लागू नहीं
b)	ईएमआई का प्रकार प्रत्येक ईएमआई की राशि (₹ में) और ईएमआई की संख्या	मासिक
c)	पूँजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	
d)	अनुमोदन के पश्चात् पुनर्भुगतान की शुरुआत	
e)	मोरटोरियम अवधि	
f)	मोरटोरियम के दौरान ईएमआई	
g)	मोरटोरियम के दौरान किश्तों की संख्या	
3	ब्याज दर का प्रकार (स्थिर या परिवर्तनीय या संकर)	फ्लोटिंग
4	वार्षिक ब्याज दर (%)	%
5	अनुमोदन तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान वसूल की जाने वाली कुल ब्याज राशि (₹ में)	
6	देय शुल्क/शुल्क: (रुपये में)	
a)	ऋणदाता-1 को देय	
b)	ऋणदाता-2 को देय	लागू नहीं
c)	BTPL या LSP को, जो ऋणदाता 1 या ऋणदाता 2 या दोनों के माध्यम से प्रेषित हो	कोई नहीं
7	शुद्ध वितरित राशि (1 - 6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा देय कुल राशि (1 और 5 का योग) (₹ में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिकित ब्याज दर (प्रतिशत में)	%
10	शर्तों और नियमों के अनुसार वितरण अनुसूची	वितरण उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता के एकमात्र विवेकानुसार, उधारकर्ताओं द्वारा सभी लागू शर्तों की पूर्ति के अधीन किया जाएगा
11	किश्त और ब्याज के भुगतान की नियत तारीख (अनुमानित प्रारंभ तिथि)	,

नोट: ऋण का संकेतात्मक अमोर्टाइजेशन / पुनर्भुगतान अनुसूची संलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

परिशिष्ट-बी

वसूली तंत्र:

- संग्रह और वसूली गतिविधियाँ: इन्हें ऋणदाताओं द्वारा स्थापित संग्रह आचार संहिता के अनुसार एलएसपी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- एसएमए/एनपीए तालिका व्याख्या: 7 जून, 2019 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19, 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल ढाँचे पर, के अनुसार, ऋणदाता(ओं) को चूक होने पर उधारकर्ता खातों में तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए उन्हें विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। स्पष्ट करने के लिए, वर्गीकरण के लिए अंतराल निरंतर हैं, और SMA खातों को वर्गीकृत करने का आधार निम्नानुसार है:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया हो
एसएमए-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

एनपीए वर्गीकरण का उदाहरण:

- यदि किसी खाते की देय तिथि 10 मार्च 2024 है, और ऋणदाता द्वारा अपना चलाए जाने से पहले पूरी बकाया/किस्त प्राप्त नहीं हो जाती है इस तारीख के लिए दिन-अंत प्रक्रिया में, देय तिथि 10 मार्च 2024 होगी।
- यदि खाता लगातार बकाया बना रहता है, तो 09 अप्रैल 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर यह खाता SMA-1 के रूप में टैग हो जाएगा, अर्थात् लगातार 30 दिनों तक बकाया रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 09 अप्रैल 2024 होगी।
- इसी तरह, यदि खाता बकाया बना रहता है, तो 09 अप्रैल 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर इसे SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार 30 दिनों तक बकाया रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तारीख 09 अप्रैल 2024 होगी। 09 मई 2024; और
- यदि खाता और अधिक बकाया रहता है, तो 08 जून 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। "यदि "मार्च 2024" और "अप्रैल 2024" की किस्तों को "08 जून 2024" के बाद एक साथ चुकाया भी जाता है, तब भी खाते को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि सभी बकाया किस्तें (उपरोक्त उदाहरण में "मार्च 2024" से वास्तविक वसूली तक) अन्य शुल्कों/बकाया सहित पूरी तरह से चुका दी जाती हैं, तभी खाता मानक संपत्ति के रूप में उन्नत/नियमित किया जाएगा और इसे एनपीए के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।

[illegible]

धारा 2: ऋण स्वीकृति की शर्तें और नियम:

से,

दिनांक:

ऋणी (छात्र) का नाम उधारकर्ता का पता उधारकर्ता की ईमेल आईडी: उधारकर्ता का संपर्क नंबर:	
--	--

	नाम	मोबाइल नंबर	ईमेल	पता
सह-ऋणी 1				
सह-ऋणी 2				
सह-ऋणी 3				
सह-ऋणी 4				
गारंटर				

विषय: स्वीकृति पत्र, शिक्षा ऋण की मंजूरी

प्रिय महोदय/महोदया,

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("एडग्रो"), जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा विनियमित एक कंपनी है, मैं आपके शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन के लिए धन्यवाद।

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, एडग्रो (जिसे आगे "ऋणदाता" कहा जाएगा) ने निम्नलिखित शर्तों और नियमों के अंतर्गत एक शिक्षा ऋण स्वीकृत किया है, जो यहां उल्लिखित हैं और पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित हैं:

ऋण संदर्भ संख्या	
अध्ययन का देश	
विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम	
कोर्स विवरण	
अनुमोदित ऋण राशि*	
ब्याज दर	प्रति वर्ष फ्लोटिंग दर**
प्रसंस्करण शुल्क	
भुगतान अवधि	
ऋण का प्रकार	
सुरक्षा (गैर-वापसीयोग्य)	
अनुमोदन की तिथि	
इस प्रस्ताव की वैधता	अनुमोदन की तारीख से _____

*इसमें ट्यूशन फीस और किताबें एवं स्टेशनरी की खरीद, रहने का खर्च, हवाई यात्रा, परीक्षा फीस, यात्रा, बीमा (यदि लागू हो), आदि शामिल हो सकते हैं।
 ब्याज दर वार्षिक है और यह एडग्रो की बेचमार्क उधारी दर से जुड़ी है, जो आपके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऋण समझौते के अनुसार किसी भी चरण में संशोधन/परिवर्तन के अधीन है।

हम आपको आपके भविष्य की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएँ देते हैं।

धन्यवाद,

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

यह एक सिस्टम-जनित पत्र है, इस पर हस्ताक्षर/कंपनी के स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि यह अनुमोदन पत्र संकेतात्मक नियमों और शर्तों का सारांश है। ऋण समझौता और अन्य लेनदेन दस्तावेजों में इस पत्र में उल्लिखित नियमों के

अतिरिक्त या उनमें संशोधन संबंधी नियम शामिल हो सकते हैं/होंगे, और अंतिम अनुमोदन तथा वितरण () पृष्ठ-पार्श्व पर उल्लिखित नियमों और शर्तों की पूर्ति पर निर्भर हैं।

ऋण संदर्भ संख्या:

नियम और शर्तें

एक विशिष्ट अनुमोदन शर्तें

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B सामान्य अनुमोदन शर्तें:

1. शर्तों का पालन: ऋण स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उधारकर्ता(यों) सभी नियमों और शर्तों का पालन करें, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना, आंतरिक जाँचों का सफल समापन, और ऋणदाता की नीतियों का पालन शामिल है। काउंटर ई-हस्ताक्षर द्वारा इस स्वीकृति पत्र को स्वीकार करना आवश्यक है।
2. यह शैक्षिक ऋण विशेष रूप से उपरोक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित है।
3. विश्वविद्यालय ऋणदाता की विश्वविद्यालयों की अनुमोदित सूची में होना चाहिए।
4. उपरोक्त विश्वविद्यालय से एक बिना शर्त प्रवेश पत्र ऋणदाता को प्रदान किया जाना चाहिए।
5. शेष राशि के प्रमाण: ऋण राशि के वितरण से पहले, उधारकर्ता(ओं) को शेष राशि, यानी शिक्षा की कुल लागत और स्वीकृत ऋण राशि के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. अद्यतन शुल्क: ऋणदाता के शुल्कों की सबसे नवीनतम अनुसूची के लिए, कृपया <https://edgrofin.com/> पर जाएँ।
7. ऋण राशि और अवधि: अंतिम ऋण राशि और ऋण अवधि का समायोजन, आवेदन की गई ऋण राशि के प्रति उधारकर्ता के डाउन पेमेंट योगदान के आधार पर किया जा सकता है।
8. ब्याज दर और मूल्य निर्धारण: ऋण पर लागू ब्याज दर विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें ऋण का प्रकार, अवधि, सुरक्षा और बाजार की स्थितियाँ शामिल हैं। इसलिए, लागू दर ग्राहकों और ऋणों के बीच भिन्न हो सकती है।
9. इस पत्र में उल्लिखित ब्याज दर वार्षिकीकृत है और फ्लोटिंग ब्याज दर पर है। फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, ब्याज दर एक बेंचमार्क दर से जुड़ी होती है, जिसे ऋणदाता अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार अपने एकमात्र विवेक पर संशोधित कर सकता है। यदि बेंचमार्क दर में वृद्धि होती है, तो इससे आपकी ब्याज दर में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप ईएमआई बढ़ेगी या अवधि बढ़ जाएगी या दोनों का संयोजन होगा। रीसेट के समय, उधारकर्ता को ईएमआई बढ़ाने, अवधि बढ़ाने या दोनों का संयोजन करने का विकल्प दिया जाएगा। उधारकर्ता के पास आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व-भुगतान करने का विकल्प भी होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि यहाँ बताया गया है, प्रत्येक बार ब्याज दर बढ़ने पर, उधारकर्ता को एक निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आप ऋणदाता के साथ ऋण की अवधि के दौरान केवल एक बार निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं, लागू नीतियों के अनुसार आकस्मिक/सेवा शुल्क देय होंगे।
10. पासपोर्ट और वीज़ा का प्रस्तुतीकरण: वैध पासपोर्ट और वैध छात्र वीज़ा की प्रति जमा करनी होगी।
11. केवाईसी दस्तावेज़ीकरण: उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार केवाईसी दस्तावेज़ीकरण पूरा करना होगा।
12. गोपनीयता नीति: उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) एतद्वारा ऋणदाता की गोपनीयता नीति के लिए सहमति देते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, उपयोग और संरक्षित किया जाता है। उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) यह समझते हैं कि एडग्रो व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग ऋण और उसकी सेवाओं से संबंधित उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जिसमें कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन भी शामिल है।
13. निष्पक्ष व्यवहार संहिता: उधारकर्ता ऋणदाता की निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पालन करने के लिए सहमत है, जो ऋण आवेदकों और ग्राहकों के नैतिक आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करती है। उधारकर्ता निष्पक्ष व्यवहार संहिता में उल्लिखित सिद्धांतों और प्रथाओं की अपनी समझ की पुष्टि करता है।
14. पहुँच और अपडेट: उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि गोपनीयता नीति और निष्पक्ष अभ्यास कोड ऋणदाता की वेबसाइट पर सुलभ हैं। उधारकर्ता किसी भी अपडेट या परिवर्तनों के लिए इन दस्तावेज़ों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए सहमत हैं।
15. क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट: ऋण के वितरण से पहले सभी क्षेत्र सत्यापन रिपोर्टें सकारात्मक होनी चाहिए और ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार होनी चाहिए।
16. प्रसंस्करण शुल्क: ऋण संवितरण से पहले एकत्र किया गया कोई भी प्रसंस्करण शुल्क या शुल्क गैर-वापसी योग्य है। यदि ऋण संवितरण से पहले रद्द हो जाता है या यदि ऋण का संवितरण नहीं होता है, तो ये शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।
17. अनुमोदन की वापसी: ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक पर, किसी भी कारण को बताए बिना या बताए हुए, इस अनुमोदन पत्र को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिनों तक मान्य है। यदि लागू हो, तो यह संपत्ति के लिए डिलीवरी ऑर्डर का गठन नहीं करता है। ऋणदाता अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण दायित्वों को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
18. अतिरिक्त लागतें: आप ऋण और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, KYCR शुल्क, और सभी अन्य वैधानिक शुल्क, कर, या GST का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं और ऋण की अवधि के किसी भी चरण में या वितरण के समय देय हैं।
19. मासिक किश्त विवरण: वास्तविक मासिक किश्त (ईएमआई) राशि वितरण तिथि(यों) के आधार पर निर्धारित की जाएगी और बताई गई अनुमानित ईएमआई से भिन्न हो सकती है। सटीक ईएमआई राशि ऋण राशि के वितरण के बाद बताई जाएगी।
20. बीमा (यदि लागू हो) कर्जदार द्वारा लिया जाना है और उचित रूप से ऋणदाता के पक्ष में आवंटित किया जाना है।
21. ऋणी/सह-ऋणियों की जिम्मेदारी: मैं/हम, ऋणी, स्वीकार करते हैं कि मैं/हम प्रक्रिया में शामिल किसी भी तीसरे पक्ष, जिसमें अंतिम लाभार्थी भी शामिल है, के साथ किसी भी समस्या या शिकायत को दूर करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं/हम, ऋणदाता को ऋण चुकाने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहेंगे। ऋण समापन पत्र या कोई संबंधित रिफंड (यदि लागू हो) केवल ऋण की पूरी चुकौती पर ही जारी किया जाएगा।

22. यह स्वीकृति पत्र ऋण आवेदन के समय उधारकर्ता(ओं) द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर जारी किया गया है और इसे ऋणदाता की ओर से एक बाध्यकारी दायित्व नहीं माना जाएगा। ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक पर बिना कोई कारण बताए, आपके द्वारा स्वीकृति के बाद भी, इस स्वीकृति पत्र के किसी भी या सभी हिस्सों को एकतरफा रूप से रद्द करने, संशोधित करने, या उसमें बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि:
- (a) जिस आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया था, उन विवरणों में ऋणदाता की राय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
 - (b) यह पाया जाता है कि आपकी आय, रोजगार, पुनर्भूतान क्षमता या आपके ऋण आवेदन के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया या छिपाया गया था।
 - (c) ऋण आवेदन में किया गया कोई भी कथन भ्रामक या गलत पाया जाता है।
 - (d) ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेज, जैसा कि ऋणदाता द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो, इस स्वीकृति पत्र की वैधता अवधि के दौरान या ऋणदाता द्वारा निर्धारित अवधि के किसी भी अतिरिक्त विस्तार के दौरान निष्पादित नहीं किए गए हैं।
 - (e) समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी या दस्तावेजीकरण ऋणदाता द्वारा निर्धारित/अनुमोदित प्रारूप में प्रदान नहीं किया गया है।

नोट: उपरोक्त उल्लिखित परिदृश्यों में, ऋणदाता ऐसे रद्दीकरण/अस्वीकृति/निरस्तीकरण के लिए किसी भी प्रकार की लागतों, हानियों, क्षतियों या व्ययों या किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

23. इस अनुमोदन पत्र का जारी किया जाना इस ऋण के वितरण की गारंटी नहीं देता है, जो कि केवल ऋणदाता के विवेकाधिकार पर किया जाएगा।
24. ऋणी/सह-ऋणियों की सहमति: मैं/हम, ऋणी, hereby ऋणदाता को RBI KYC निर्देशों के अनुसार किसी भी समय CKYCR पोर्टल से हमारे KYC रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सहमति/अधिकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त, मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर प्रदान किया गया पता हमारे नवीनतम वर्तमान और स्थायी पते के रूप में माना जाएगा, जो हमारी सकारात्मक पुष्टि के रूप में कार्य करेगा। भविष्य में, यदि किसी नए सत्यापन की आवश्यकता होती है, तो ऋणदाता CKYCR पोर्टल से हमारे अद्यतन रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकता है। मैं/हम ऋणदाता को अपने नाम और संपर्क जानकारी को अपने अधिकृत तीसरे पक्षों, व्यावसायिक सहयोगियों, या सेवा प्रदाताओं के साथ मेरी/हमारी बताई गई रुचि के आधार पर प्रासंगिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से साझा करने की भी सहमति देता/देते हैं।
25. ऋणी/सह-ऋणी एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उन्होंने ऋणदाता की ऋण प्रक्रिया से संबंधित नियम और शर्तों सहित जानकारी, उन्हें ज्ञात भाषा में प्राप्त कर ली है और उसे पूरी तरह से समझ लिया है। ऋणी/सह-ऋणी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस स्वीकृति पत्र की सामग्री को समझ लिया है और इस पत्र की सामग्री को समझने और सत्यापित करने के बाद, वे इसे स्वीकार करते हैं। स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप, ऋणी/सह-ऋणी से अनुरोध है कि वे इस पत्र की एक प्रति, जिस पर उनके हस्ताक्षर हों, वापस करें।

ऋणी का नाम:

सह-ऋणी का नाम:

दिनांक:

दिनांक:

स्थान:

स्थान:

अनुभाग 3: ऋण अनुबंध

ऋण अनुबंध

यह ऋण अनुबंध ("अनुबंध") दिनांक और स्थान पर निष्पादित किया जाता है जैसा कि अनुसूची G (ऋण सारांश अनुसूची) में उल्लेख है,

इनके बीच:

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक शेयरों द्वारा सीमित निजी कंपनी और समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विधिवत निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, संख्या 1613/1614, एंजाइम, 7^{वां} क्रॉस, 19^{वां} मुख्य मार्ग, 1^स सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560102 (इसके बाद "ऋणदाता" या "एडग्रो" के रूप में संदर्भित, जिसका अर्थ, जब तक संदर्भ या प्रयोजन के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और असाइनियों को भी शामिल करेगा) एक पक्ष;

और

ऋणी और सह-ऋणी (यदि कोई हो) जिनके नाम और पते अनुसूची G में उल्लिखित हैं (ऋण सारांश अनुसूची) (इसके बाद क्रमशः "उधारकर्ता" और "सह-उधारकर्ता(ओं)" के रूप में संदर्भित, जैसा कि मामला हो, ये अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों, उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत असाइन को अर्थ और समावेशी समझी जाएँगी) दूसरे पक्ष का।

एडग्रो, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्ष" कहा जाएगा और, जहाँ संदर्भ ऐसा आवश्यक हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा। इसके अलावा, जहाँ संदर्भ ऐसा आवश्यक हो, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) को सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

जबकि:

- i. एडग्रो/ऋणदाता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई है।
- ii. ऋणग्राही ऋणदाता को यह प्रतिनिधित्व करते हैं कि ऋणग्राही शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक पाठ्यक्रम करके आगे की पढ़ाई करना चाहता है, जैसा कि इस अनुबंध के अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) में विशेष रूप से विस्तार से बताया गया है।
- iii. ऋणग्राहकों ने शैक्षणिक संस्थान में शैक्षिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करने के लिए होने वाले/हुए शुल्कों का भुगतान करने या उसकी प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए शिक्षा ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने हेतु ऋणदाता से संपर्क किया है और इसमें जीवन-यापन के खर्च भी शामिल हो सकते हैं, हवाई यात्रा, परीक्षा शुल्क, यात्रा, शिक्षा ऋण सुविधा से जुड़ी सामान्य बीमा पॉलिसी और/या जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (यदि लागू हो) और कोई अन्य आकस्मिक लागत, शुल्क, फीस, व्यय जो उधारकर्ता द्वारा शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के संबंध में (जहाँ और जब लागू हो) वहन किए जाने/किए गए हैं।
- iv. ऋणदाता ने, ऋणी(यों) के अनुरोध पर और इस अनुबंध में निहित बयानों, वारंटियों, प्रतिज्ञाओं और संविदाओं पर भरोसा करते हुए तथा आगे उल्लिखित पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अधीन, इस अनुबंध की धारा 2 (उद्देश्य) में अधिक विशेष रूप से उल्लिखित प्रयोजनों के लिए ऋणी(यों) को शिक्षा ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अब यह अनुबंध गवाह है और इसके द्वारा पार्टियों के बीच निम्नानुसार सहमति हुई है:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या:

1.1 जब तक इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ पूरे समझौते में लागू होंगी:

- 1.1.1 "वैकल्पिक भुगतान चैनल" का अर्थ है वह भुगतान मोड/चैनल जो या तो ऋणदाता द्वारा, या ऋणदाता द्वारा विधिवत अधिकृत किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ताकि ऋण के संबंध में उधारकर्ता से मासिक किश्तों और/या अन्य बकाया राशि प्राप्त की जा सके।
- 1.1.2 "वार्षिकीकृत ब्याज दर" या "AIR" का अर्थ है एडग्रो द्वारा अपनी एडग्रो बैचमार्क लेंडिंग दर के रूप में निर्धारित ब्याज दर का कुल योग, जैसा कि एडग्रो द्वारा समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया गया है, और ऋणदाता/एडग्रो द्वारा लागू किया गया ब्याज प्रसार (यदि कोई हो), जैसा कि अनुसूची G (ऋण सारांश अनुसूची) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
- 1.1.3 "लागू कानून(न)" का अर्थ भारत में कानून का बल रखने वाले किसी भी प्राधिकरण की कोई संहिता, नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र, अध्यादेश, न्यायालय का आदेश, डिक्री, निर्णय, निर्देश, दिशानिर्देश, या अन्य बाध्यकारी कार्यवाई या आवश्यकता होगा।
- 1.1.4 "ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस" या "एसीएच" का अर्थ है आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएँ, जिनमें भागीदारी के लिए उधारकर्ताओं द्वारा बकाया शेष राशि के पुनर्भुगतान को सुगम बनाने हेतु लिखित रूप में सहमति दी गई है, जैसा कि अनुसूची एच (भुगतान विवरण) में अधिक विशेष रूप से बताया गया है।
- 1.1.5 "स्वचालित निधि हस्तांतरण" का अर्थ होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (डेबिट), प्रत्यक्ष डेबिट, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (डेबिट) या समय-समय पर उपलब्ध किसी अन्य अनुमत माध्यम के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए निर्देशों के आधार पर उस व्यक्ति के बैंक खाते से धन का डेबिट करने के उद्देश्य से निधियों का हस्तांतरण शामिल होगा।
- 1.1.6 "उपलब्धता अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके दौरान ऋणदाता, अनुसूची G (ऋण सारांश अनुसूची) में अधिक विशेष रूप से वर्णित, वितरण सहित शिक्षा ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। उपलब्धता अवधि के बाद उधारकर्ता किसी भी वितरण के हकदार नहीं होंगे।

- क्षेत्रीय भाषाओं में शर्तों को पढ़ने के लिए, कृपया <https://www.edgrofin.com/loan-terms-conditions> देखें।
यह आइटम आंतरिक के रूप में वर्गीकृत है और Propelld समूह के स्वामित्व में है। कृपया इसे अन्य उद्देश्यों के लिए आगे साझा या वितरित न करें।

- चाहे भारत के भीतर या विदेश में आयोजित किए जाते हों, और इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक, और पूरक या तैयारी पाठ्यक्रम शामिल हैं जो शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।
- 1.1.21 "शैक्षिक संस्थान" का अर्थ है कोई भी संगठन, संस्था, या इकाई, चाहे वह सार्वजनिक, निजी, या अन्य हो, जो भारत के भीतर या विदेश में स्थित हो, जो शैक्षिक, प्रशिक्षण, या कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती है। इसमें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, स्कूल (के-12 सहित), कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर, परीक्षा तैयारी संस्थान, तकनीकी संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पेशेवर अपस्किंग प्लेटफॉर्म, और कोई भी अन्य इकाई शामिल है जो औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, कौशल संवर्धन, या प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करती है, जो लागू नियामक, शैक्षिक या उद्योग मानकों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, या प्रमाणन तक ले जाता है।
- 1.1.22 "शिक्षा ऋण सुविधा" का अर्थ है, इस समझौते की धारा 2 (उद्देश्य) में विशेष रूप से उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, ऋणदाता द्वारा ऋणी को प्रदान की जाने वाली/प्रस्तावित की जाने वाली मूल राशि का कुल योग, ऐसी शिक्षा ऋण सुविधा का विवरण अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) और अनुसूची एच (भुगतान विवरण) में उल्लिखित है।
- 1.1.23 "प्रभाव तिथि" का अर्थ है, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, वह तिथि जिस पर ऋणकर्ता को ऋण का वितरण किया जाता है।
- 1.1.24 "पात्रता मानदंड" का अर्थ है उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए ऋणदाता द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं का वह समूह। इन मानदंडों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई उधारकर्ता ऋण के लिए पात्र है या नहीं और इनमें आय, क्रेडिट इतिहास, रोजगार की स्थिति, और ऋण चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक अन्य वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। पात्रता मानदंड समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं और उधारदात्री की एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर उधार देने की नीतियों, बाजार की स्थितियों, या अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए संशोधित या अद्यतन किए जा सकते हैं।
- 1.1.25 "डिफॉल्ट की घटना" का अर्थ है एक या अधिक घटनाओं का कोई भी प्रसंग जो इस अनुबंध की धारा 9 में निर्दिष्ट अनुसार एक डिफॉल्ट का गठन करता है। यह शब्द उन सभी परिदृश्यों को शामिल करता है जिनका वर्णन धारा 9 में किया गया है जो ऋण समझौते की शर्तों के तहत एक डिफॉल्ट को ट्रिगर करते हैं।
- 1.1.26 "ब्याज राशि" का अर्थ है मूल ऋण राशि के अतिरिक्त उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ब्याज के रूप में देय कुल राशि। इस परिभाषा में इस समझौते के तहत किसी भी प्रकार के दंड, शुल्क, या अन्य सेवा शुल्कों के रूप में भुगतान की गई या देय कोई भी राशि शामिल नहीं है।
- 1.1.27 "ब्याज प्रसार" का अर्थ है ऋणदाता द्वारा निर्धारित ब्याज दर, जैसा कि अनुसूची G (ऋण सारांश अनुसूची) में उसके ब्याज प्रसार के रूप में विस्तृत है, जिसे वार्षिकीकृत ब्याज दर प्राप्त करने के लिए एडग्रो बैंकमार्क लेंडिंग रेट में जोड़ा जाएगा;
- 1.1.28 "ऋणदाता वेबसाइट" का अर्थ है ऋणदाता की आधिकारिक वेबसाइट, जो www.edgrofin.com पर उपलब्ध है, जहाँ उधारकर्ता ऋण उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अन्य संबंधित सेवाओं और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- 1.1.29 "ऋण" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा आवेदन किया गया और ऋणदाता द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता या ऋण राशि, जहाँ ऋण राशि उधारकर्ता के निर्देशों/अधिकृतिकरण के आधार पर वितरित की जाती है।
- 1.1.30 "ऋण आवेदन पत्र" का अर्थ है वह पूर्ण आवेदन पत्र जो उधारकर्ता द्वारा ऋण के लिए आवेदन करने हेतु ऋणदाता को प्रस्तुत किया जाता है।
- 1.1.31 "ऋण दस्तावेज़" का अर्थ ऋण से संबंधित सभी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जिसमें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है: (a) यह समझौता (इस समझौते में किए गए किसी भी अन्य परिशिष्ट या संशोधन सहित); (b) ऋण आवेदन; (c) ऋण स्वीकृति पत्र; (d) प्रमुख तथ्य विवरण; (e) मांग प्रत्याशा पत्र या धन बांड (यदि कोई हो); (f) सुरक्षा दस्तावेज़, जिनमें उनके कोई भी संशोधन शामिल हैं (यदि कोई हो); (g) प्राधिकरण; (h) वितरण अनुरोध प्रपत्र; और (i) ऋण के संबंध में उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष द्वारा एकत्र, निष्पादित, स्वीकार या सहमत किए गए कोई अन्य दस्तावेज़, उपकरण, सहमति, घोषणाएं और समझौते। यह शब्द ऋण से संबंधित सभी संबंधित रिकॉर्ड, चाहे वे भौतिक हों या इलेक्ट्रॉनिक, को शामिल करता है।
- 1.1.32 "ऋण स्वीकृति" का अर्थ है ऋणदाता द्वारा संपर्क विकल्पों में से किसी के माध्यम से उधारकर्ता को जारी या संप्रेषित ऋण की औपचारिक स्वीकृति और शर्तें। इस पुष्टि में इस समझौते, ऋण स्वीकृति पत्र, और प्रमुख तथ्य विवरण सहित अन्य ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तों के अधीन ऋण का अनुदान शामिल है।
- 1.1.33 "मैडेट" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा अपने बैंक को यह निर्देश देने का प्राधिकरण कि वह उधारकर्ता के बैंक खाते से स्वचालित रूप से राशि डेबिट करके ऋणदाता को भुगतान करे। यह मैडेट प्रत्येक ऋण के सभी भुगतान, जिनमें मूलधन और ब्याज शामिल हैं, पर लागू होता है, जो उधारकर्ता ने ऋणदाता से प्राप्त किए हैं। यह मैडेट स्वचालित धन हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाता है और इस अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसार ऋण संबंधी दायित्वों का समय पर और निरंतर भुगतान सुनिश्चित करता है।
- 1.1.34 "व्यापारी" से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष से है, जैसे कोई व्यवसाय या सेवा प्रदाता, जो अपने ग्राहकों या संभावित ग्राहकों को ऋण के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने हेतु ऋणदाता के पास भेजता है। व्यापारी एक मध्यस्थ या परिचयकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो ऋण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋणदाता के पास भेजने या निर्देशित करने के माध्यम से ऋणदाता और उधारकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है।
- 1.1.35 "एमआई एसीएच मैडेट" का वही अर्थ है जो इस समझौते की धारा 4.14 (भुगतान) में इस शब्द को दिया गया है।
- 1.1.36 "एमआई" या "मासिक किश्तें" या "ईएमआई" (समान मासिक किश्तें) का अर्थ उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने के लिए किए जाने वाले नियमित भुगतान से है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं। ये भुगतान प्रत्येक माह एक निर्दिष्ट तिथि पर देय होते हैं, जैसा कि इस अनुबंध या अन्य ऋण दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है, और तब तक जारी रहते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता। मासिक किश्तों या ईएमआई की राशि और अनुसूची कुल ऋण राशि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- 1.1.37 "बकाया शेष" का अर्थ है, उधारकर्ता द्वारा प्राप्त प्रत्येक ऋण के संबंध में, बकाया कुल राशि। इसमें ऋण की शेष मूल राशि, संचित ब्याज, और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कोई अन्य राशि शामिल है। बकाया शेष में इस समझौते और संबंधित ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी संबंधित शुल्क, लागत, चार्ज, व्यय, और कोई अन्य वित्तीय दायित्व शामिल हैं।
- 1.1.38 "व्यक्ति" में कोई भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), साझेदारी फर्म, कंपनी, निकाय कॉर्पोरेट, संघ, , सोसायटी, या लागू कानूनों के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कोई अन्य इकाई शामिल होगी।
- 1.1.39 "पूर्व-मासिक किस्त ब्याज" या "PMI" का अर्थ है वह ब्याज राशि जो मोरगोरियम अवधि के दौरान प्रत्येक माह उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय होती है, जैसा कि अनुसूची H (भुगतान विवरण) में विस्तार से बताया गया है या जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है;
- 1.1.40 "पूर्व-भुगतान" का अर्थ है बकाया शेष राशि का समयपूर्व भुगतान, जैसा कि इस अनुबंध की धारा 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार और समय-समय पर एडग्रो द्वारा निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार होता है;
- 1.1.41 "प्रसंस्करण शुल्क" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा ऋण आवेदन के प्रसंस्करण के लिए ऋण स्वीकृति और/या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित उधारदाता द्वारा वसूला जाने वाला गैर-वापसी योग्य शुल्क, जो उधारकर्ता द्वारा या तो ऋण सारांश पर हस्ताक्षर करने के समय, या ऋण के वितरण के समय, जो भी पहले हो, का भुगतान किया जाएगा।

- 1.1.42 "आरबीआई" का अर्थ है रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसे समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया है।
- 1.1.43 "रीसेट अवधि" का अर्थ है पहली वितरण तिथि के बाद प्रत्येक लगातार अवधि (जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों में निर्दिष्ट है), जिसके पूरा होने पर वार्षिकीकृत ब्याज दर की समीक्षा की जा सकती है और धारा 4.6 (ब्याज) के अनुसार उसे रीसेट किया जा सकता है।
- 1.1.44 "अनुमोदन पत्र" का अर्थ एडग्रो द्वारा उधारकर्ताओं को जारी किया गया पत्र है, जिसे उधारकर्ताओं द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया हो, जिसमें उन संकेतात्मक शर्तों का उल्लेख हो जिन पर शिक्षा ऋण सुविधा का अनुमोदन किया गया है।
- 1.1.45 "सिक्वोरिटी एसीएच मैडेट" का वही अर्थ है जो इस अनुबंध की धारा 4.14 (भुगतान) में इस शब्द को दिया गया है।
- 1.1.46 "सिक्वोरिटी दस्तावेज़" का अर्थ है गिरवी-पत्र, बंधक दस्तावेज़, इंडेनचर, प्रवेश ज्ञापन, प्रतिज्ञा समझौता, प्राधिकरण का कोई पत्र या कोई अन्य सुरक्षा दस्तावेज़ जो उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता या ऋणदाता के किसी ट्रस्टी या एजेंट या समय-समय पर लागू कानून के तहत आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित या निष्पादित किया जाना है, ताकि शिक्षा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य संपार्श्विक सुरक्षा बनाई जा सके।
- 1.1.47 "सेवा प्रदाता" या "ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी)" का अर्थ है ब्लूबियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे प्रोपेल्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने ऋण मंच के माध्यम से उधारकर्ता(ओं) को ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने के उद्देश्य से ऋणदाता के पास परिचय या सिफारिश की सुविधा प्रदान की है। "अवधि" का अर्थ वह कुल समय-अवधि है जिसके दौरान उधारकर्ता ने ऋण चुकाने का विकल्प चुना है। यह ऋण के वितरण से लेकर अंतिम चुकोती पूरी होने तक की समयावधि को संदर्भित करता है, जैसा कि इस अनुबंध और अन्य ऋण दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट है।
- 1.1.48 "सेवा प्रदाता वेबसाइट" का अर्थ सेवा प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट है, जो www.propelld.com पर उपलब्ध है, जहाँ उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जिसमें ऋण रेफरल और संबंधित कार्यक्षमताओं शामिल हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 1.2 "ऋणी" और "ऋणदाता" शब्द इस अनुबंध में शामिल मुख्य पक्षों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब तक संदर्भ स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित न करे, ये शब्द निम्नलिखित को भी शामिल करेंगे:
- 1.2.1 वारिस: वे व्यक्ति जो उनकी मृत्यु पर उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकारों और दायित्वों को विरासत में प्राप्त करते हैं।
- 1.2.2 प्रतिनिधि: वे व्यक्ति या संस्थाएँ जिन्हें उधारकर्ता या ऋणदाता की ओर से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे कानूनी प्रतिनिधि या एजेंट।
- 1.2.3 लाभार्थी: इस अनुबंध से लाभ या सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति या संस्थाएँ, जहाँ लागू हो।
- 1.2.4 उत्तराधिकारी: वे संस्थाएँ या व्यक्ति जो उत्तराधिकार के माध्यम से उधारकर्ता या ऋणदाता की दायित्वों और अधिकारों को ग्रहण करते हैं योजना, जैसे कि व्यावसायिक संरचना या स्वामित्व में परिवर्तन।
- 1.2.5 कार्यपालक: मृत उधारकर्ता या ऋणदाता की संपत्ति की शर्तों को पूरा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति।
- 1.2.6 प्रशासक: वे व्यक्ति जिन्हें मृत उधारकर्ता या ऋणदाता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जहाँ कोई निष्पादक नामित नहीं होता।
- 1.2.7 अनुमत हस्तांतरिती: वे संस्थाएँ या व्यक्ति जिनके लिए उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकार और दायित्व हस्तांतरित किए जा सकते हैं या इस अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित या सौंपे गए।
- 1.3 व्याख्या
- इस अनुबंध में जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित न किया गया हो, या प्रसंग के विपरीत न हो:
- "Recital", "Article", "Clause", "Schedule" या "Paragraph" के किसी भी संदर्भ का तात्पर्य इस अनुबंध के किसी recital, article, clause, schedule या paragraph से है।
 - लेखों, खंडों, अनुसूचियों और अनुच्छेदों के शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और किसी भी प्रकार से अनुबंध की व्याख्या या अर्थ को सीमित या प्रभावित नहीं करेंगे।
 - जहाँ भी संदर्भ ऐसा आवश्यक हो, वहाँ एकवचन का कोई भी संदर्भ बहुवचन को भी शामिल करता है, और इसके विपरीत भी।
 - पुल्लिंग को दशनि वाले शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को भी शामिल करेंगे, स्त्रीलिंग को दशनि वाले शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को भी शामिल करेंगे, और नपुंसकलिंग को दशनि वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी शामिल करेंगे।
 - शब्दों "include" और "including" के संदर्भों को बिना किसी सीमा के और प्रतिबंधित न होकर के रूप में समझा जाएगा।
 - किसी भी समझौते, विलेख, उपकरण या अन्य दस्तावेज़ के किसी भी संदर्भ में: (i) उसके सभी परिशिष्ट, प्रदर्श और अनुसूचियाँ शामिल होंगी; और (ii) समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, निलंबित, पुनर्व्यक्त या नवीनीकृत ऐसे समझौते, विलेख, उपकरण या अन्य दस्तावेज़ का संदर्भ शामिल होगा।
 - किसी भी अधिनियम या वैधानिक प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश या विनियमन के संदर्भ में, उस अधिनियम, प्रावधान, आदेश या विनियमन को समय-समय पर, चाहे इस तिथि से पहले या बाद में, संशोधित, परिवर्तित, पुनः अधिनियमित या प्रतिस्थापित किया गया हो, शामिल किया जाएगा।
 - इस अनुबंध की व्याख्या किसी भी पक्ष के विरुद्ध इस आधार पर नहीं की जाएगी कि उस पक्ष, या उस पक्ष के कानूनी सलाहकारों ने, इस अनुबंध का मसौदा तैयार किया है, या मसौदा तैयार करने में भाग लिया है।
 - अनुमोदन पत्र की शर्तें और नियम, और निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज़, इस अनुबंध का अभिन्न अंग माने जाएँगे और इसमें शामिल होंगे। यदि इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख को या उससे पहले निष्पादित किसी भी दस्तावेज़ में कोई असंगति पाई जाती है, तो इस अनुबंध की शर्तें और नियम लागू होंगे।
2. उद्देश्य: उधारकर्ता शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक पाठ्यक्रम करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली/वहन की गई फीस का भुगतान करने या उसकी प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए शिक्षा ऋण सुविधा का उपयोग करेगा और इसमें जीवन-यापन के खर्च भी शामिल हो सकते हैं, हवाई यात्रा, परीक्षा शुल्क, यात्रा, शिक्षा ऋण सुविधा से जुड़ी सामान्य बीमा पॉलिसी और/या जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (यदि लागू हो) और कोई अन्य आकस्मिक लागत, शुल्क, फीस, व्यय जो उधारकर्ता द्वारा शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के संबंध में वहन करना आवश्यक है/किया गया है, (जैसा और जब लागू हो) शामिल हो सकते हैं।
3. ऋण आवेदन की स्वीकृति और स्वीकार्यता: ऋणदाता स्पष्ट रूप से अपने एकतरफा अधिकार को सुरक्षित रखता है कि वह अपने एकमात्र विवेक पर किसी भी ऋण आवेदन को मंजूरी दे या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता द्वारा स्थापित किसी भी पात्रता मानदंड (जैसा कि ऊपर परिभाषित है) को पूरा कर लिया गया हो। ऋणदाता से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ता, चाहे एकमुश्त या आवर्ती आधार पर, इस समझौते द्वारा शासित होने के लिए सहमत हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। ऋणी आगे यह सहमत है कि इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऋणदाता

द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा या ऐसे सहमति-पत्र देगा, चाहे वे मौखिक हों या लिखित। ऋणी द्वारा स्वीकार किया गया यह समझौता, ऋणदाता द्वारा ऋणी को स्वीकृत या वितरित किए गए सभी ऋणों के संबंध में लागू और बाध्यकारी होगा, और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों के साथ लागू होता रहेगा।

4. ऋण की शर्तें:

- 4.1 ऋण प्रस्ताव और शर्तों की स्वीकृति: उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है कि उसने इस समझौते की शर्तों से सहमत होने से पहले ऋण प्रस्ताव की समीक्षा की है, उसे पढ़ा है, सत्यापित किया है और स्वीकार किया है। नियम और शर्तें उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से स्वीकार किए गए ऋण प्रस्ताव से जुड़ी हैं, जिसे उसकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन (यदि उपलब्ध हो), ऋणदाता की वेबसाइट, सेवा प्रदाता की वेबसाइट, या व्यापारियों या अन्यथा के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ऋण प्रस्ताव का विवरण, जिसमें निष्पादन तिथि, ऋण स्वीकृति तिथि, स्वीकृत राशि, ऋण अवधि, किश्त अनुसूची, लागू ब्याज दर, और ईएमआई शामिल हैं, वेबसाइट/एप्लिकेशन, ऋणदाता वेबसाइट, सेवा प्रदाता वेबसाइट, या ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित विवरण से मेल खाएगा, चाहे वे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों।
- 4.2 देयता संयुक्त और पृथक-पृथक होगी: यहां बताई गई किसी भी बात के बावजूद, बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने और इस समझौते के तहत अपनी-अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए ऋणी की देयता संयुक्त और पृथक-पृथक होगी। सह-ऋणी (यदि कोई हो) द्वारा किया गया कोई भी कार्य, ऋणी का कार्य माना जाएगा और इस समझौते की शर्तों के तहत ऋणी को उसी के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और इसके विपरीत भी लागू होगा। इसके अलावा, शिक्षा ऋण सुविधा के किसी भी संवितरण के लिए जारी निर्देशों सहित, किसी भी एक उधारकर्ता का कोई भी कार्य सभी उधारकर्ताओं की ओर से किया गया कार्य माना जाएगा, जिससे वे इस समझौते के तहत अपने कार्यों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हो जाएंगे।
- 4.3 ऋण स्वीकृति: ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनी और जानकारी के अधीन, ऋणदाता उधारकर्ता को निर्दिष्ट ऋण राशि को मंजूरी देने और वितरित करने के लिए सहमत है। यह ऋण राशि ऋण आवेदन में विस्तृत प्रयोजनों के लिए और इस समझौते के अनुसार प्रदान की जाएगी। ऋणदाता, उधारकर्ता को शिक्षा ऋण सुविधा प्रदान करेगा, चाहे वह एकमुश्त या कई किश्तों में वितरित की जाए, यह इस समझौते और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या सहमत ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त नियम और शर्तों के सख्त अनुपालन में होगा।
- 4.4 ऋण राशि: प्रत्येक स्वीकृत ऋण के लिए उधारकर्ता को प्रदान किए गए ऋण स्वीकृति पत्र और/या मुख्य तथ्य विवरण में ऋण की सटीक राशि बताई जाएगी। व्यक्तिगत ऋणों के लिए जहाँ निधियों को सीधे एक शैक्षणिक संस्थान को वितरित करने का इरादा है, उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भुगतान के लिए ऋणदाता द्वारा शैक्षणिक संस्थान को किया गया कोई भी वितरण, इस समझौते के तहत उधारकर्ता को ऋण का एक वैध और प्रभावी वितरण माना जाएगा। इसका अर्थ है कि शैक्षणिक संस्थान को किया गया ऐसा वितरण इस समझौते के तहत ऋणदाता की बाध्यता को पूरा करेगा, और उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह किसी भी समय इस वितरण के तरीके पर विवाद या चुनौती नहीं देगा।
- 4.5 अवधि: शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) ("अवधि") में निर्धारित के अनुसार होगी।
- 4.6 ब्याज राशि: उधारकर्ता द्वारा प्राप्त प्रत्येक ऋण पर लागू वार्षिक ब्याज दर, ऋणदाता द्वारा अनुमोदन से पहले, प्रारंभ में मौखिक रूप में और बाद में लिखित रूप में भी सूचित की जाएगी। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त प्रत्येक ऋण पर लागू ब्याज दर वार्षिकीकृत और एक फ्लोटिंग ब्याज दर पर है, जहाँ ब्याज दर एक बेंचमार्क दर से जुड़ी है, जो ऋणदाता की आंतरिक नीतियों के अनुसार उसके एकमात्र विवेक पर संशोधन के अधीन है। यदि बेंचमार्क दर में वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम आपकी ब्याज दर में वृद्धि होगा, जिससे ईएमआई (EMI) बढ़ेगी या अवधि बढ़ जाएगी या दोनों का संयोजन होगा। रीसेट के समय, उधारकर्ता को ईएमआई बढ़ाने या अवधि बढ़ाने या दोनों के संयोजन का विकल्प दिया जाएगा। उधारकर्ता के पास आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व-भुगतान करने का विकल्प भी होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि यहां बताया गया है, प्रत्येक बार ब्याज दर बढ़ने पर, उधारकर्ता को एक निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। आप ऋणदाता के साथ ऋण की अवधि के दौरान केवल एक बार निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं; आकस्मिक/सेवा शुल्क ऋणदाता की लागू नीतियों के अनुसार देय होंगे।

ऋणदाता अनुसूची G में निर्धारित पुनर्सेट अवधि के अंतराल पर प्रत्येक भविष्य या संशोधित वार्षिकीकृत ब्याज दर ("AIR") लागू करेगा। ऐसी पहली आवेदन पहली निकासी की तारीख से मापी गई पहली पुनर्सेट अवधि के समाप्त होने वाले महीने के तुरंत बाद वाले देय चक्र के पहले दिन से प्रभावी होगी। प्रत्येक बाद का अनुप्रयोग उस पहली अनुप्रयोग तिथि से गिनी गई प्रत्येक अतिरिक्त रीसेट अवधि के बाद होगा।

उदाहरण- यदि पुनः समायोजन अवधि तीन (3) कैलेंडर महीने है और पहली वितरण तिथि 15 अप्रैल 2025 है, तो पहली पुनः समायोजन अवधि 15 जुलाई 2025 को समाप्त होती है; इसलिए, पहली संशोधित वार्षिक ब्याज दर (यदि कोई हो) 5 अगस्त 2025 से (या देय चक्र के किसी अन्य पहले दिन) शुरू होगी। इसके बाद, प्रत्येक अगला रीसेट 15 जुलाई 2025 से गिना गया प्रत्येक अतिरिक्त तीन-महीने का चक्र का अनुसरण करता है और अगले कैलेंडर महीने में ईएमआई तिथि पर प्रभावी होता है।

चक्र	तीन महीने की अवधि समाप्त होती है	संशोधित AIR शुरू होता है (ईएमआई तिथि)
1st	15 जुलाई 2025	5 अगस्त 2025
दूसरा	15 अक्टूबर 2025	5 नवम्बर 2025
तीसरा	15 जनवरी 2026	5 फरवरी 2026

- 4.7 ब्याज दर मॉडल और मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्वीकृति: उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने ऋणदाता के आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांतों और ब्याज दर मॉडल की समीक्षा की है और उन्हें समझ लिया है, जो ऋणदाता की वेबसाइट (www.edgrofin.com) पर उपलब्ध हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य उधारकर्ता को यह समझने में सहायता करना है कि ब्याज दरें कैसे निर्धारित और गणना की जाती हैं। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज राशि, जैसा कि ऋण दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है, विभिन्न उधारकर्ताओं और/या विभिन्न ऋणों के लिए भिन्न हो सकती है। ब्याज राशि में भिन्नता उधार लिए गए धन की लागत, वितरण की लागत, बाजार की स्थितियाँ, लागू कानून, चूक जोखिम, ऋण की अवधि, ऋण का उद्देश्य, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अग्रिम

भुगतान, और ऋण आवेदन के समय उधारकर्ता द्वारा प्रकट की गई वित्तीय जानकारी जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। उधारकर्ता इन कारकों पर विचार करने के बाद, निर्दिष्ट के अनुसार ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है, और भविष्य में ब्याज राशि पर विवाद न करने का वचन देता है।

- 4.8 ब्याज का संचय और गणना: प्रत्येक ऋण की प्रभावी तिथि से ऋणदाता के पक्ष में ब्याज संचित होना शुरू होगा, और ऋण, जिसमें ब्याज राशि, शुल्क, दंड आदि जैसी सभी संबंधित धनराशियाँ शामिल हैं, ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से चुकाए जाने तक जारी रहेगा। व्यक्तिगत ऋणों के लिए, यदि ऋण की प्रभावी तिथि यानी ऋण के वास्तविक वितरण से पहले ब्याज वसूला जाता है, तो ऐसे ब्याज को समायोजित किया जाएगा और मासिक किश्तों में शामिल किया जाएगा। ब्याज राशि की गणना तीन सौ पैंसठ (365) दिनों वाले वर्ष के आधार पर की जाएगी।
- 4.9 एडग्रो बैंचमार्क उधार दर समायोजन: ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, शिक्षा ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बदलती वैश्विक गतिशीलता के कारण ऋण से जुड़ा जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे परिवर्तनों में भू-राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन, और अन्य कारक शामिल हो सकते हैं जो उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- 4.10 मासिक किश्तों का संयोजन और पूर्व-मासिक किश्त ब्याज की गणना:
 - i. शिक्षा ऋण सुविधा का अमोर्टाइजेशन करने के लिए, उधारकर्ता अनुसूची H (भुगतान विवरण) में उल्लिखित तिथियों पर ऋणदाता को पूर्व-मासिक किस्त ब्याज और मासिक किस्तों के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करेगा।
 - ii. पूर्व-मासिक किस्त ब्याज वितरण की प्रभावी तिथि से और उसके बाद से संचयी होता है और इसे मोरटोरियम अवधि के दौरान प्रत्येक माह वसूला जाएगा, जिसके विवरण अनुसूची H (भुगतान विवरण) में दिए गए हैं। बकाया राशि पर पूर्व-मासिक किस्त ब्याज, उधारकर्ताओं द्वारा संबंधित देय तिथि पर मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर वार्षिकीकृत ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा, जिसके विवरण अनुसूची एच (भुगतान विवरण) में अधिक विशेष रूप से दिए गए हैं। पूर्व-मासिक किस्त ब्याज की गणना 365 (तीन सौ पचास) दिनों के वर्ष के आधार पर की जाएगी। पूर्व-मासिक किस्त ब्याज को निकटतम रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
 - iii. ऋणदाताओं द्वारा ऋणदाता को देय मासिक किश्तों (जैसा कि पुनर्भुगतान विवरण में उल्लेख है) में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - a. शिक्षा ऋण सुविधा की मूल राशि और वार्षिक ब्याज दर (AIR) पर मासिक आधार पर गणना किया गया ब्याज; और
 - b. इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ऋणदाता को देय और भुगतान योग्य अन्य सभी राशियाँ।
 - iv. ऋणदाताओं को प्रत्येक देय तिथि पर (जैसा कि अनुसूची एच (भुगतान विवरण) और पुनर्भुगतान अनुसूची (लागू होने पर, संकेतात्मक या संशोधित) में विशेष रूप से उल्लेख है) बकाया शेष राशि के पूर्ण संतुष्टि तक मासिक किश्तें चुकानी होंगी। मासिक किश्तों की गणना 365 (तीन सौ पचास) दिनों के वर्ष के आधार पर की जाएगी। मासिक किश्तों की राशि को निकटतम रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
 - v. टूटे हुए अवधि के लिए ब्याज, शिक्षा ऋण सुविधा के प्रत्येक संवितरण की राशि पर, समय-समय पर प्रचलित AIR (वास्तविक वार्षिक ब्याज दर) के आधार पर गणना किया जाएगा। टूटे हुए अवधि के दौरान ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए, वर्ष में दिनों की संख्या 365 (तीन सौ पैंसठ) मान ली जाएगी।
 - vi. इस समझौते की अवधि के दौरान, ऋणदाता को अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, किसी भी समय और समय-समय पर, AIR और/या पुनर्भुगतान विवरण (और आगे से लागू पुनर्भुगतान अनुसूची) को बदलने, संशोधित करने या उसमें फेरबदल करने का अधिकार होगा, परिणामस्वरूप बकाया राशि की पुनर्भुगतान शर्तों को संशोधित पुनर्भुगतान विवरण के अनुसार संशोधित, परिवर्तित या फेरबदल किया जाएगा। AIR में ऐसी कोई भी भिन्नता, परिवर्तन की तिथि के ठीक बाद वाले कैलेंडर महीने में पड़ने वाली EMI तिथि से प्रभावी होगी। ऐसी स्थिति में कि ऋणदाता AIR को भिन्न या संशोधित करेगा, ऋणदाता ऐसे भिन्नता या संशोधन की सूचना ऋणी (या उनमें से किसी एक) को ऋणी के पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से देगा, जिनका विवरण विशेष रूप से अनुसूची G में उल्लेख किया गया है (ऋण सारांश अनुसूची) के इस अनुबंध का प्रभाव होगा और उधारकर्ताओं (या उनमें से किसी एक) को एक संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची/पुनर्भुगतान विवरण (जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची एच (पुनर्भुगतान विवरण) में विशेष रूप से निर्दिष्ट है) भी उपलब्ध कराएगा, जो उधारकर्ताओं (या उनमें से किसी एक) द्वारा किए गए अनुरोध पर होगा। ऋणीगण एतद्वारा स्पष्ट रूप से समझते और सहमत हैं कि AIR में कोई भी भिन्नता या संशोधन, पुनर्भुगतान विवरण में उल्लिखित, ऋणीगण द्वारा देय पूर्व-मासिक किस्त ब्याज और/या मासिक किस्तों की राशि को संशोधित करने का प्रभाव डालेगा और प्रत्येक ऋणी एतद्वारा पुनर्भुगतान विवरण में ऐसे संशोधन(ओं) के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देता है और आगे स्पष्ट रूप से सहमत है और पूर्व का भुगतान करने का वचन देता है-मासिक किस्त ब्याज और/या मासिक किस्तों का भुगतान संशोधित पुनर्भुगतान विवरणों के अनुसार करने के लिए बाध्य होंगे। उधारकर्ता के AIR में परिवर्तन या संशोधन करने के उपरोक्त अधिकार के बिना, इस अनुबंध की अवधि के दौरान, ऋणदाता को, अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, पुनर्भुगतान विवरण में उल्लिखित मासिक किश्तों की राशि और/या संख्या और/या पूर्व-मासिक किस्त ब्याज की संख्या और/या राशि और/या एक या अधिक मासिक किश्तों और/या पूर्व-मासिक किस्त ब्याज की संबंधित देय तिथियों को संशोधित, परिवर्तित या बदलने का अधिकार भी होगा।
 - vii. इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, तत्कालीन AIR को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता को मासिक किश्तों की राशि में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने का अधिकार होगा यदि उक्त मासिक किश्तों से नकारात्मक परिशोधन (negative amortization) होता है (यानी ईएमआई ब्याज को पूरा कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है)। ऋणग्राहकों को संशोधित पुनर्भुगतान विवरण में ऋणदाता द्वारा तय की गई ऐसी बढ़ी हुई पूर्व-मासिक किस्त ब्याज और/या मासिक किस्त राशि और उसकी संख्या का भुगतान करना होगा। प्रत्येक उधारकर्ता एतद्वारा पुनर्भुगतान विवरणों में ऐसे संशोधन(नों), भिन्नताओं या परिवर्तनों के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देता है और आगे यह स्पष्ट रूप से सहमत होता है और यह वचन देता है कि वह संशोधित, भिन्न या परिवर्तित पुनर्भुगतान विवरणों के अनुसार मासिक किश्तों और/या मासिक-पूर्व किस्त ब्याज का भुगतान करेगा।
 - viii. भुगतान विवरण में किसी भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन की स्थिति में, उधारकर्ता (या उनमें से कोई एक) ऋणदाता से संशोधित या संशोधित भुगतान विवरण और/या पुनर्भुगतान अनुसूची की प्रति प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी ऋणी से ऐसी अनुरोध प्राप्ति पर, ऋणदाता ऋणियों को संशोधित, परिवर्तित या संशोधित पुनर्भुगतान विवरण और/या पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान करेगा। पक्षकारों में से प्रत्येक hereby सहमत है कि पुनर्भुगतान विवरण में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या बदलाव, उस तारीख से पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा जिस तारीख को ऋणदाता ने वार्षिकीकृत ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन या संशोधन के अनुसार पुनर्भुगतान विवरण को बदला या संशोधित किया है।
 - ix. मोरटोरियम अवधि के दौरान (जहाँ लागू हो) किसी भी पूर्व-मासिक किस्त ब्याज का आंशिक भुगतान होने की स्थिति में, मोरटोरियम अवधि के दौरान संचित पूर्व-मासिक किस्त ब्याज का बकाया हिस्सा शिक्षा ऋण सुविधा की मूल राशि में जोड़ दिया जाएगा और मासिक किस्तों की राशि तदनुसार संशोधित की जाएगी।
 - x. ऋणदाता के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उपरोक्त ब्याज और इस अनुबंध के तहत (और शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता

द्वारा प्रविष्ट या प्रविष्ट किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य अनुबंध के तहत) ऋणदाताओं द्वारा ऋणदाता को देय और भुगतान योग्य सभी अन्य राशियों को, उनकी संबंधित देय तिथि पर ऋणकर्ताओं के ऋण खाते में डेबिट/चार्ज किया जाएगा और इसे बकाया शेष का हिस्सा माना जाएगा।

- xi. एआईआर की गणना के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज स्प्रेड अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) में दर्शाए अनुसार है। भविष्य में यदि ऋणदाता संशोधित ब्याज स्प्रेड प्रदान करता है, तो शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में संशोधित ब्याज स्प्रेड का विकल्प चुनने का विकल्प उधारकर्ताओं के पास होगा, बशर्ते यदि ऐसा विकल्प ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो उस प्रभाव से प्रभावी होगा जब उधारकर्ता ऐसी फीस का भुगतान कर दे और उस संबंध में ऋणदाता द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दे। समय-समय पर ब्याज स्प्रेड में संशोधन के बारे में स्वयं को सूचित रखना उधारकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी।
- 4.11 ऋणों का वितरण और प्रशासन: ऋण(ों) का वितरण एक (1) या अधिक किशतों में, ऋणदाता की नीतियों और अनुमोदन की शर्तों के अनुरूप किया जा सकता है। तदनुसार, ऋणदाता सहमत शर्तों के अनुसार ऋणों के प्रभावी प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक किशत को एक या अधिक ऋण संदर्भ संख्याएं आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अन्यत्र किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, ऋण केवल ऋण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों द्वारा ही शासित होंगे।
- 4.12 शिक्षण ऋण सुविधा का वितरण:
- शिक्षण ऋण सुविधा का डाउनपेमेंट प्राप्त करने के लिए, ऋणीगण ऋणदाता को एक डाउनपेमेंट अनुरोध (वितरण अनुरोध पत्र) प्रदान करेंगे। ऋणीगण, ऐसे डाउनपेमेंट अनुरोध को जमा करने के समय, ऋणदाता को सभी ऐसे सहायक दस्तावेज, कागजात और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे जो शिक्षण ऋण सुविधा के प्रस्तावित अंतिम उपयोग के प्रमाण के लिए आवश्यक हैं और उपरोक्त सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर, ऋणदाता शिक्षा ऋण सुविधा को उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता और/या शैक्षणिक संस्थान को, जैसा कि किसी एक या सभी उधारकर्ताओं द्वारा निर्देशित किया जाए, या तो एकमुश्त राशि में या उधारकर्ताओं के अनुरोध(ों) के संदर्भ में ऋणदाता द्वारा तय किए गए उपयुक्त किशतों में वितरित करेगा, जिसमें ऋणदाता का निर्णय अंतिम और उधारकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। इस समझौते की शर्तें और नियम भविष्य में वितरित की जाने वाली शिक्षा ऋण सुविधा की प्रत्येक किशत पर भी लागू होंगे, जब तक कि उस समय ऋणदाता द्वारा इसके विपरीत कुछ निर्दिष्ट न किया गया हो।
 - यहाँ दी गई किसी भी बात के बावजूद, ऋणी केवल अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) में उल्लिखित उपलब्धता अवधि के भीतर या ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित किसी अन्य विस्तारित अवधि के भीतर शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे, ऐसा न होने पर ऋणदाता द्वारा प्राप्त किसी भी वितरण अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा ऋण सुविधा के तहत प्रत्येक ऋण-वितरण, जो उधारकर्ताओं और/या शैक्षणिक संस्थान और/या उधारकर्ताओं में से किसी एक या सभी द्वारा निर्देशित किसी अन्य इकाई को किया जाता है, उसे ऋणदाता द्वारा सभी उधारकर्ताओं को किया गया माना जाएगा।
 - ऋणदाता द्वारा किए गए सभी सवितरण, चेक या डिमांड ड्राफ्ट या NEFT या RTGS या वायर ट्रांसफर या UPI या IMPS या "केवल खाता धारक को" (क्रॉस) करके और "खाता धारक केवल" अंकित करके (ऋणदाता के विवेक पर) पे ऑर्डर द्वारा किए जाएंगे और ऐसे सभी साधनों या प्राधिकरणों के संबंध में, यदि कोई हो, संग्रह शुल्क पूरी तरह से कर्जदारों के खाते में जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणदाता कभी भी नकद में कोई भुगतान नहीं करेगा।
 - ऋणदाता शिक्षा ऋण सुविधा (या इसका कोई भी भाग) का वितरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर शिक्षा ऋण सुविधा की राशि को कम कर सकता है या शिक्षा ऋण सुविधा (या इसका कोई भी भाग) का वितरण करने से इनकार कर सकता है या शिक्षा ऋण सुविधा के आगे के वितरण (यदि कोई हो) को किसी भी समय बंद कर सकता है। शिक्षा ऋण सुविधा के आगे के वितरण को इस प्रकार बंद करने की स्थिति में, इस अनुबंध के तहत ऋणदाता द्वारा पहले से वितरित की गई राशि, लागू ब्याज के साथ, तुरंत देय होगी, जिसे उधारकर्ता एकमुश्त किशत में या दो या अधिक किशतों में चुकाएंगे, जैसा कि ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर निर्णय लेता और मांगता है, और उधारकर्ता ऋणदाता के ऐसे निर्णय को चुनौती देने के किसी भी अधिकार का त्याग करते हैं।
 - इसके अलावा, यदि कार्यकाल के दौरान, उधारकर्ता ऋणदाता से शिक्षा ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए लिखित में अनुरोध करते हैं, तो ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा। यदि ऋणदाता शिक्षा ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए सहमत होता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर आवश्यक समझे जाने वाले सभी अतिरिक्त दस्तावेज, पूरक विलेख और लिखित निष्पादित करेंगे और वे ऐसे अन्य अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन हो सकते हैं जिन्हें ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार में आवश्यक समझे।
 - शिक्षा ऋण सुविधा उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई है और इससे सवितरण, इस संबंध में समय-समय पर ऋणदाता द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगा (जिसमें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, इस समझौते के तहत), बशर्ते कि उधारकर्ता लागू कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन करें और साथ ही प्रत्येक उधारकर्ता आरबीआई या अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करें। ऋणदाता, अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, शिक्षा ऋण सुविधा के तहत कोई भी राशि जारी करने से इनकार करने का हकदार होगा, ऐसी स्थिति में कि यदि ऋणी इस संबंध में समय-समय पर ऋणदाता द्वारा लगाए गए किसी भी नियम और शर्तों (इस समझौते के तहत, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) का पालन करने में विफल रहते हैं और/या ऋणी लागू कानून के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहते हैं और/या यदि ऋणी (या उनमें से कोई भी) इस संबंध में ऋणदाता द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है और/या किसी भी कारण से ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर और/या ऐसी स्थिति में कि ऋणदाता लागू कानून के प्रावधानों के तहत शिक्षा ऋण सुविधा का कोई भी हिस्सा जारी करने में असमर्थ है और/या जहां शिक्षा ऋण सुविधा का वितरण (या उसका कोई भाग) ऋणदाता को किसी भी लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने का कारण बनेगा।
 - अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) में पहचाने गए शैक्षिक पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, कोई भी अप्रयुक्त शिक्षा ऋण सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- 4.13 ऋण और ब्याज राशि का पुनर्भुगतान करने का दायित्व: उधारकर्ता ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट मासिक किशतों के माध्यम से, देय ब्याज राशि के साथ, ऋण राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए सहमत है। ये भुगतान संबंधित देय तिथियों तक किए जाने चाहिए। मासिक किशत राशि उधारकर्ता द्वारा फ्लोटिंग ब्याज दर, ऋण राशि और ऋण अवधि के आधार पर गणना की जाती है, और इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। उधारकर्ता ईएमआई राशि और उसकी गणना के तरीके, जिसमें कोई भी अग्रिम किशतें शामिल हैं, को ऋण दस्तावेजों में दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार करता है और मान्य करता है।
- 4.14 भुगतान:
- अवधि के दौरान और उसकी समाप्ति पर, जब तक कि बकाया राशि उधारदाता की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से चुकौती नहीं हो जाती, उधारकर्ताओं की बकाया राशि चुकाने की बाध्यता पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। धारा 10 (खाते का विवरण) के अधीन, उधारकर्ता सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि वे ऋणदाता द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले पुनर्भुगतान के ऐसे मोड के अनुसार और अनुसूची एच (पुनर्भुगतान विवरण) के अनुसार, जिसे धारा 4.10 के प्रावधानों के अनुसार ऋणदाता द्वारा संशोधित किया जा सकता है, पूर्व-मासिक किशत ब्याज और मासिक किशतों का नियमित रूप से भुगतान करेंगे। (मासिक किशतों का संयोजन और पूर्व-मासिक किशत ब्याज की गणना) उपरोक्त।

- b) इस अनुबंध में धारा 4.14 (भुगतान) और अनुसूची एच (भुगतान विवरण) में जो कुछ भी कहा गया हो, उसके बावजूद, ऋणदाता को किसी भी समय या समय-समय पर बकाया शेष राशि की भुगतान शर्तों की समीक्षा करने और उन्हें पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिस तरह और जिस सीमा तक ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक से निर्णय ले सकता है। ऐसे मामलों में, उधारकर्ता बकाया शेष राशि या उसकी बकाया राशि का भुगतान उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं को (या उनमें से किसी एक को) अधिसूचित संशोधित, परिवर्तित या संशोधित पुनर्भुगतान विवरण/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार करेंगे।
- c) नीचे उप-पैराग्राफ (ई) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, मासिक किश्तों की राशि एआईआर (AIR) में भिन्नता के बावजूद स्थिर रखने का इरादा है और परिणामस्वरूप, मासिक किश्तों की संख्या में बदलाव हो सकता है। हालाँकि, उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर, ऋणदाता को संतुष्ट करने के लिए, सहायक दस्तावेजों और सबूतों के साथ स्पष्टीकरण प्रदान करके मासिक किश्तों में वृद्धि का अनुरोध कर सकते हैं। सहायक दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक के अधीन मासिक किश्तों में वृद्धि कर सकता है। ऋणग्राही तब तक मासिक किश्तें चुकाते रहेंगे जब तक कि बकाया राशि, ब्याज और अन्य शुल्कों सहित, ऋणदाता को पूरी तरह से चुकौती नहीं हो जाती।
- d) इस अनुबंध के निष्पादन पर, उधारकर्ता(ओं) ऋणदाता को निम्नलिखित प्रदान करेंगे; 1) PMII/EMI के भुगतान के लिए रुपये 10,00,000 (भारतीय रुपये दस लाख) के लिए विधिवत पंजीकृत ACH मैडेन ("MI ACH मैडेन"); और 2) शिक्षा ऋण सुविधा के बराबर राशि या INR 50,00,000 (भारतीय रुपये पचास लाख), जो भी कम हो, के लिए एक विधिवत पंजीकृत ACH मैडेन ("सुरक्षा ACH मैडेन")। ऋणी(यों) / सह-ऋणी(यों) यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा ऋण सुविधा के तहत कोई भी राशि बकाया रहने तक, एमआई एसीएच मैडेन और सुरक्षा एसीएच मैडेन दोनों सक्रिय और चालू रहें। ऋणी(यों) ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना दोनों में से किसी भी प्राधिकरण को वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, निलंबित नहीं करेंगे या उस पर कोई रोक लगाने का निर्देश नहीं देंगे। उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता या उल्लंघन, डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी, जिसके पर ऋणदाता इस समझौते और लागू कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त, इस समझौते के निष्पादन के साथ-साथ, उधारकर्ता ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज, प्रपत्र और उपकरण (बिना किसी सीमा के, एक मांग वादा-पत्र और पोस्ट-डेटेड सुरक्षा चेक(ओं) सहित) का निष्पादन और प्रेषण करेंगे, जिनकी बकाया राशि के भुगतान को सुरक्षित करने या सुगम बनाने के लिए ऋणदाता द्वारा उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।
- e) ऋणी hereby स्पष्ट रूप से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता को (अपने एकमात्र विवेक पर) किसी भी समय या समय-समय पर, बकाया राशि की चुकौती की शर्तों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का अधिकार होगा, जैसा कि ऋणदाता इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसा कोई भी संशोधन ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- f) यदि उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) इस के तहत देय किसी भी राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक करते हैं या इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का कोई उल्लंघन या चूक करते हैं, तो उधारकर्ताओं को, ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर, मुख्य तथ्य विवरण, अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) या किसी भी ऋण दस्तावेज में निर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान शुल्क का भुगतान करना होगा (जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा संशोधित किया गया हो)। ऐसे विलंबित भुगतान शुल्क की गणना बकाया भुगतान की देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि ऐसे विलंबित भुगतान शुल्क की राशि, उधारकर्ताओं द्वारा ऐसे विलंब/चूक के कारण ऋणदाता को हुए या होने की संभावना वाले नुकसान/ वित्तीय हानि का एक उचित अनुमान है। यहाँ ऊपर बताई गई बातों के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के, उधारकर्ता उन सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे जो ऋणदाता को चूक के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से भुगतान करने पड़ सकते हैं या वह वहन कर सकता है, जैसे कि केएफएस (KFS) या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों में निर्धारित बाउंस शुल्क, संग्रह शुल्क, आदि। यदि उधारकर्ता अपनी ईएमआई/पीएमआईआई की देय तिथि से पहले अपने संबंधित बैंक खाते में आवश्यक शेष राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उधारकर्ताओं को ऋणदाता द्वारा लगाए गए बाउंस शुल्क के अतिरिक्त उनके संबंधित बैंक द्वारा लगाए जा सकने वाले बाउंस शुल्क का भी भुगतान करना पड़ सकता है।
- g) इस अनुबंध के तहत या शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी अन्य अनुबंध के तहत, उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं (यदि कोई हो) द्वारा ऋणदाता को किए जाने वाले सभी भुगतान, आयकर, सेवा कर, सहित किसी भी कर के लिए या उसके खाते में बिना किसी कटौती के और पूरी तरह से किए जाएँगे, शुल्कों (जिसमें स्टाम्प शुल्क और कोई अन्य लागू कर, शुल्क या लेवी शामिल हैं, जो समय-समय पर किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए जा सकते हैं)। यदि उधारकर्ताओं को किसी भी लागू कानून के तहत ऐसी कटौती/भुगतान रोकने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मामले में, ऋणदाता को देय राशि को उस सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि, ऐसी कटौती/भुगतान रोकने के बाद, ऋणदाता को (ऐसी कटौती और उसके भुगतान के लिए किसी भी देयता और दायित्व के बिना) वही राशि प्राप्त हो और वह उसे बनाए रखे जो उसे प्राप्त होती यदि ऐसी कटौती नहीं की गई होती या करने की आवश्यकता नहीं होती।
- 4.15 डाउन पेमेंट: उधारकर्ता को (यदि लागू हो) शैक्षणिक संस्थान को डाउन पेमेंट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह डाउन पेमेंट राशि सीधे उधारकर्ता द्वारा या उनके ऋण सेवा प्रदाता के माध्यम से सुविधाजनक बनाई जा सकती है। उधारकर्ता निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करता है और उनसे सहमत है:
- 4.15.1 डाउन पेमेंट का समय: डाउन पेमेंट निम्नलिखित समयों में से किसी एक पर आवश्यक हो सकता है:
- 4.15.1.1. ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय।
- 4.15.1.2. ऋण संवितरण के समय।
- 4.15.1.3. शैक्षिक पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले।
- विशिष्ट समय-सीमा ऋण दस्तावेजों और ऋणदाता के साथ इस समझौते में उल्लिखित शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 4.15.2 पूर्व शर्त: उधारकर्ता समझता है कि अग्रिम भुगतान (यदि लागू हो) की आवश्यकता निधियों के वितरण के लिए एक पूर्व शर्त है और यह ऋण की मंजूरी या स्वीकृति या ऋण के आगे वितरण, जिसमें कोई भी किश्त शामिल है, को प्रभावित कर सकती है।
- ऋणी को ऋण प्रक्रिया या उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम के आरंभ में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अग्रिम भुगतान तुरंत करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। यदि ऋणी अनजाने में कोई अग्रिम भुगतान सीधे ऋणदाता को कर देता है, तो वह राशि तुरंत या एक उचित समय-सीमा के भीतर ऋणी को वापस कर दी जाएगी। यह ऋणी और ऋणदाता के बीच वित्तीय व्यवस्थाओं में निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है।
- 4.16 परिस्थितियों की परवाह किए बिना भुगतान का निरंतरण: उधारकर्ता इस बात से बाध्य है कि वह निर्दिष्ट देय तिथियों तक मासिक किश्तें जमा करता रहे, चाहे ऋण के इच्छित उद्देश्य प्राप्त हुए हों या ऋण द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ कोई समस्या उत्पन्न हुई हो। यह पुनर्भुगतान दायित्व तब भी प्रभावी बना रहता है, भले ही शैक्षिक पाठ्यक्रम अप्रभावी, अत्यधिक तकनीकी, जटिल पाया जाए, या किसी भी कारण से शैक्षिक संस्थान के साथ नामांकन या अनुबंध समाप्त हो जाए। शिक्षण पाठ्यक्रम के परिणाम या वितरण से उधारकर्ता को पुनर्भुगतान शर्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी अप्रभावित रहती है।

- 4.17 करें और अन्य राशियों की प्रतिपूर्ति: ऐसी स्थिति में कि यदि ऋणदाता, उधारकर्ता की ओर से सरकारी या अन्य प्राधिकरणों, शैक्षिक संस्थान, या किसी अन्य संस्था को कोई कर, शुल्क, या अन्य शुल्क का भुगतान करता है, चाहे वह ऋण या शैक्षिक पाठ्यक्रम से संबंधित हो, तो उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। इस प्रतिपूर्ति में कानून द्वारा आवश्यक या शैक्षिक संस्थान के साथ सहमत किसी भी लागू ब्याज शामिल होगा। ऐसी प्रतिपूर्ति मांग पर और ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।
- 4.18 अनुमोदित भुगतान विधियाँ: उधारकर्ता मासिक किश्तों, दंड, और देय अन्य राशियों सहित भुगतान, निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग करके करने के लिए सहमत है, जिसे ऋणदाता द्वारा अनुमोदित किया गया है:
- 4.18.1 स्वचालित निधि हस्तांतरण
- 4.18.2 ऋणदाता की वेबसाइट और/या उसके एलएसपी की वेबसाइट पर दर्शाए गए वैकल्पिक भुगतान चैनल
- 4.18.3 किसी अन्य विधि को उधारदाता या उसके एलएसपी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो और संपर्क विकल्पों के माध्यम से सूचित किया गया हो
- 4.19 भुगतान मोड में परिवर्तन: ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता द्वारा अपनाए गए भुगतान तरीके को संशोधित करने और निम्नलिखित परिस्थितियों में उधारकर्ता से नए भुगतान तरीके का पालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
- 4.19.1 ऋणी से अनुरोध प्राप्त होने पर और/या ऋणदाता और ऋणी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति होने पर।
- 4.19.2 ऋणी द्वारा ऋण या बकाया शेष के किसी भी भाग के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में।
- 4.19.3 यदि उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया मंडेट अमान्य या अधूरा पाया जाता है।
- 4.20 स्वचालित निधि हस्तांतरण आवश्यकताएँ: यदि उधारकर्ता के भुगतान स्वचालित निधि हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं, तो उधारकर्ता निम्नलिखित शर्तों से सहमत है:
- 4.20.1 ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान किए जाने वाले बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि हो।
- 4.20.2 ऋणी बिना ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बैंक खाता बंद नहीं करेगा या बैंक को ऋणदाता को भुगतान रोकने का निर्देश नहीं देगा। ऋणी ऋणदाता द्वारा लगाए गए किसी भी बाउंस शुल्क, अस्वीकृति शुल्क या विलंब भुगतान शुल्क का एकमात्र उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, यदि ऋणी के बैंक द्वारा कोई अस्वीकृति शुल्क लगाया जाता है, तो ऋणी इन शुल्कों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा।
- 4.20.3 ऋणी, लेनदार को कम से कम तीस (30) दिनों के लिखित पूर्व सूचना दिए बिना प्राधिकरण को वापस नहीं लेगा या रद्द नहीं करेगा। यदि उचित सूचना के साथ प्राधिकरण को वापस लिया जाता है या रद्द किया जाता है और लेनदार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ऋणी यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि भुगतान वैकल्पिक तरीकों से किए जाएं और ऐसे परिवर्तनों को दर्शाने के लिए लेनदार को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करे या तुरंत एक नया प्राधिकरण जारी करे।
- 4.20.4 ऋणदाता को प्रदान किया गया प्राधिकरण, ऋण की पूरी चुकौती, जिसमें सभी ब्याज राशि, शुल्क, दंड, या ऋणदाता को देय कोई अन्य राशि शामिल है, तक प्रभावी रहेगा।
- 4.20.5 यदि ऋण का पुनर्गठन होता है, या मौजूदा मंडेट गलत, खो गया या गुम हो जाता है, या अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके लिए मंडेट में संशोधन आवश्यक हो, तो उधारकर्ता तुरंत एक नया मंडेट जारी करेगा। इस बीच, उधारकर्ता वैकल्पिक भुगतान चैनलों के माध्यम से भुगतान करना जारी रखेगा।
- 4.20.6 मंडेट के माध्यम से आरंभ किए गए लेनदेन के अस्वीकृत होने की स्थिति में, उधारकर्ता ऋणदाता को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार देता है ऋणदाता के पूर्ण विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना, मंजूरी/भुगतान के लिए उधारकर्ता के बैंक को प्राधिकरण।
- 4.20.7 यदि संबंधित देय तिथियाँ बैंक की छुट्टी पर पड़ती हैं, तो ऋणदाता को उधारकर्ता के बैंक खाते से संबंधित देय तिथियों से पहले डेबिट करने का अधिकार है।
- 4.21 वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भुगतान: यदि उधारकर्ता वैकल्पिक भुगतान चैनल या ऋणदाता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित बातों से सहमत है:
- 4.21.1 भुगतान केवल उन व्यक्तियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिन्हें ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।
- 4.21.2 भुगतान संसाधित करने के लिए ऐसे अधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों द्वारा लगाई गई कोई भी शुल्क या लागत पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- 4.22 भुगतान में देरी के लिए देयता: ऋणदाता मासिक किश्तों के भुगतान में किसी भी देरी या विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो मैनडेट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने, संग्रहण या प्रसंस्करण बैंक से संबंधित समस्याओं, या अधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भुगतान आउटलेट्स या कियोस्कों में किसी भी विसंगति या खराबी के कारण हो। ऋणी, ऋणदाता द्वारा लगाए गए किसी भी विलंब शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणी यह स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसी देरी या विफलताएं ऋण की चुकौती की उसकी बाधता को प्रभावित नहीं करती हैं, जिसमें ब्याज राशि, शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासिक किश्तें समय पर चुकायी जाएं, ऋणी पूरी तरह से उत्तरदायी है।
- 4.23 मासिक किश्तों का समायोजन: इस समझौते या अन्य ऋण दस्तावेजों (ऋण स्वीकृति सहित) में किसी भी प्रावधान के बावजूद, ऋणदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में, लागू कानूनों या नियामक निर्देशों के अनुपालन में, मासिक किश्तों की संख्या बढ़ाने और/या ऐसी किश्तों की राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
- 4.23.1 स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर, शुल्कों, सेस, या अन्य शुल्कों का परिचय।
- 4.23.2 नियामक निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा लिखित अनुरोध पर।
- 4.23.3 ऋणदाता किसी भी समायोजन के तरीके और सीमा का निर्धारण करेगा, जो या तो भावी प्रभाव से लागू हो सकते हैं या, यदि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक हो, तो पूर्वव्यापी रूप से लागू किए जा सकते हैं। उधारकर्ता इन परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए ऋणदाता द्वारा निर्देशित नए मैनडेट जारी करने या वैकल्पिक भुगतान चैनलों का उपयोग करने तथा ऋणदाता द्वारा सूचित या उसकी वेबसाइट पर सूचीबद्ध किसी भी लागू शुल्कों या फीस का भुगतान करने के लिए सहमत है।
- 4.24 भुगतान का अनुप्रयोग: जब तक कि ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार से अन्यथा निर्णय न ले, उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई या पूर्व-भुगतान की गई कोई भी राशि, चाहे वह मासिक किश्तों के रूप में हो या अन्यथा PMII के रूप में, निम्नलिखित क्रम में लागू की जाएगी:

- 4.24.1 सबसे पहले, किसी भी बकाया ब्याज राशि और ऋण मूलधन पर।
- 4.24.2 इसके बाद, ब्याज राशि और ऋण मूलधन की शेष बकाया राशि चालू महीने के लिए देय होती है।
- 4.24.3 अंततः, कोई भी शुल्क और उधारकर्ता/ओं की देय राशि देय और भुगतान योग्य।
- 4.25 बिना शर्त पुनर्भुगतान दायित्व: उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि प्रत्येक ऋण की बकाया शेष राशि का पुनर्भुगतान देय होने पर उसकी एकमात्र जिम्मेदारी है। ऋणी सहमत है कि वह ऐसे पुनर्भुगतान ऋणदाता से किसी भी सूचना, मांग या अधिसूचना की आवश्यकता के बिना करेगा। ऋणी यह वचन देता है कि वह ऋणदाता द्वारा मांगी गई राशि, जिसमें मासिक किश्तें या कोई अन्य देय राशि शामिल है, को किसी भी आधार या विवाद के कारण रोकेगा या देरी नहीं करेगा, जिसमें ब्याज राशि या मासिक किश्तों की गणना से संबंधित विवाद शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- 4.26 फ्री-लुक अवधि: उधारकर्ताओं को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए, ऋणदाता एक फ्री-लुक अवधि प्रदान करता है। ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट प्रभावी तिथि से शुरू होने वाली इस 15-दिवसीय अवधि के दौरान, उधारकर्ताओं के पास बिना किसी पूर्व-भुगतान जुमनि या अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान किए बिना ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प होता है। ऋण स्वीकृति से पहले भुगतान की गई कोई भी शुल्क गैर-वापसी योग्य है और बकाया शेष के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी। यदि उधारकर्ता इस 15-दिवसीय अवधि के बाद पूर्व-भुगतान करना चुनता है, तो ऋणदाता द्वारा निर्धारित मानक पूर्व-भुगतान नियम और शर्तें लागू होंगी।
- 4.27 प्रसंस्करण शुल्क: उधारकर्ता ऋण दस्तावेजों, अनुमोदन पत्र और/या प्रमुख तथ्य विवरणों में निर्दिष्ट अनुसार, प्रसंस्करण शुल्क सहित सभी लागू शुल्क और अन्य सभी लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत है। ये शुल्क आपके ऋण की शर्तों में उल्लिखित अनुसार समय पर देय हैं।
- 4.28 देरी से भुगतान और अतिरिक्त शुल्क: उधारकर्ता समझता है कि यदि भुगतान में देरी होती है या भुगतान छूट जाता है, तो ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार विलंब शुल्क, बाउंस शुल्क, और कोई अन्य प्रासंगिक शुल्क या दंड लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, ऋणदाता इन शुल्कों और दंडों को समय-समय पर अपडेट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी बदलाव की सूचना उधारकर्ता को ऋणदाता की वेबसाइट पर अपडेट या अन्य निर्दिष्ट संचार चैनलों के माध्यम से दी जाएगी।
- 4.29 पूर्व-भुगतान के लिए सूचना: इस अनुबंध की धारा 4.26 में अन्यथा प्रावधानित के अलावा, यदि उधारकर्ता ऋण या उसके किसी भाग का पुनर्भुगतान करना चाहता है, तो उधारकर्ता को अग्रिम रूप से ऋणदाता को उचित लिखित सूचना प्रदान करनी होगी।
- 4.30 पूर्व-भुगतान की आवश्यकताएँ: पूर्व-भुगतान करते समय, उधारकर्ताओं को पूर्व-भुगतान की तारीख तक की कोई भी बकाया मासिक किश्तें, जिसमें ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट या इस अनुबंध में उल्लिखित कोई भी लागू दंड और शुल्क शामिल हैं, और घटते शेष आधार पर गणना की गई ऋण की बकाया मूल राशि का भुगतान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट न्यूनतम मोराटोरियम अवधि की समाप्ति के बाद की जाने वाली कोई भी पूर्व-भुगतान राशि, ऋण के लिए निर्दिष्ट पूर्व-भुगतान जुमनि के अधीन हो सकती है।
- 4.31 तत्काल पुनर्भुगतान की मांग: उल्लिखित पुनर्भुगतान विवरण/पुनर्भुगतान अनुसूची या शर्तों के बावजूद, यदि किसी नियामक प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है, तो ऋणदाता संपूर्ण बकाया शेष राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी मांग पर, उधारकर्ता को तुरंत संपूर्ण बकाया शेष राशि का भुगतान करना होगा। ऋणदाता को उधारकर्ताओं की कोई भी राशि, जो ऋणदाता या उसके सहयोगियों के पास हो, को बकाया शेष राशि के विरुद्ध समायोजित करने का भी अधिकार है।
- 4.32 डिमांड प्रॉमिसरी नोट: इस अनुबंध के तहत शिक्षा ऋण, ब्याज और अन्य भुगतान/शुल्कों की चुकौती को सुरक्षित करने के प्रयोजन से, ऋणी कुल ऋण राशि, ब्याज राशि और ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय किसी भी अन्य देय राशि और शुल्कों के लिए ऋणदाता के पक्ष में एक मांग प्रत्याशा पत्र भी निष्पादित करेंगे, जैसा कि अनुसूची F में संलग्न है। ऋणी सहमत है कि ऋणदाता आवश्यकतानुसार इस पत्र को संभाल और संसाधित कर सकता है। ऐसा करने पर, उधारकर्ता यह भी सहमत है कि यदि नोट अस्वीकृत हो जाता है तो ऋणदाता द्वारा उसे औपचारिक रूप से नोट प्रस्तुत करने या सूचना प्रदान करने की किसी भी आवश्यकता को माफ कर देगा।
- 4.33 संचार और सहमति: इस समझौते की शर्तें ऋण सेवाओं के लिए ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए संचार के सभी तरीकों पर लागू होती हैं, जिसमें टेलीफोन (चाहे मानवीय बातचीत के माध्यम से हो या स्वचालित वॉयस प्रतिक्रिया के माध्यम से), फेक्स, ईमेल, एसएमएस, मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन पोर्टल, और कोई अन्य उपलब्ध चैनल शामिल हैं (सामूहिक रूप से "संपर्क विकल्प" के रूप में संदर्भित)। इन संपर्क विकल्पों का उपयोग करके, उधारकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई कोई भी सहमति या समझौता, जिसमें ऋण दस्तावेजों और इस समझौते की स्वीकृति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। ऋणदाता उधारकर्ता को इन संपर्क विकल्पों के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करने और उन्हें प्रबंधित करने या विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति दे सकता है। उधारकर्ताओं द्वारा किए गए कोई भी आवेदन या अनुरोध—चाहे वे ऋण, शर्तों की स्वीकृति, या सेवा आदेश के लिए हों—एक बार ऋणदाता द्वारा अनुमोदित हो जाने पर वैध और बाध्यकारी माने जाएँगे। ऋणी इन संपर्क विकल्पों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सभी निर्देशों, आवेदनों, या अनुरोधों को इस समझौते की शर्तों के अनुसार संसाधित करने के लिए ऋणदाता को अधिकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऋणी इस बात से सहमत है कि ऋण दस्तावेजों और संबंधित दस्तावेजों सहित, ऋणदाता द्वारा इन संपर्क विकल्पों के माध्यम से भेजे गए कोई भी दस्तावेज मान्य और प्रवर्तनीय माने जाएँगे।
- 4.34 संपर्क विकल्पों का उपयोग और संचार की प्राप्ति: ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी संपर्क विकल्प का संदर्भ देकर या उनका उपयोग करके, उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि वे इन सेवाओं का उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, न कि किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से। उधारकर्ता सहमत हैं कि ऋण आवेदन में या अन्यथा प्रदान किया गया फोन नंबर, ईमेल पता और अन्य संपर्क विवरण विशेष रूप से आपके हैं। ऋणग्राही आगे यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी दस्तावेज, जिसमें ऋण दस्तावेज या अन्य संबंधित जानकारी शामिल है, यदि ऋणदाता द्वारा ऋणग्राही द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरण पर भेजा जाता है, तो उसे ऋणग्राही द्वारा प्राप्त माना जाएगा। इसमें भौतिक डाक (कूरियर, डाक, या हाथ से वितरण के माध्यम से) या इलेक्ट्रॉनिक संचार (, ऋणग्राही के ईमेल पते, मोबाइल नंबर, ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल, फेक्स नंबर, या प्रदान किए गए अन्य संपर्क तरीकों पर) द्वारा वितरण शामिल है।
- 4.35 निर्देशों की स्वीकृति और संपर्क विकल्पों का उपयोग: ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी संपर्क विकल्प का उपयोग करके, उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि उधारकर्ताओं के ऋण आवेदन या सेवा अनुरोधों से संबंधित निर्देशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार ऋणदाता के पास है। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार के आधार पर किसी भी निर्देश पर कार्रवाई न करने का विकल्प चुन सकता है, और इन संपर्क विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की

सीमा समय के साथ भिन्न हो सकती है। ऋणी इस बात से सहमत है कि ऋणदाता के पास इन संपर्क विकल्पों में से किसी को भी किसी भी समय संशोधित करने या बंद करने का अधिकार है। ऋणदाता ऐसे परिवर्तनों के बारे में ऋणियों को ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल, ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल, या अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचित करेगा। ऐसे नोटिस के बाद संपर्क विकल्पों या संबंधित सेवाओं का निरंतर उपयोग, उधारकर्ताओं द्वारा किसी भी अद्यतन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने का संकेत देगा। टेलीफोन संचार के लिए, जिसमें स्वचालित वॉयस प्रतिक्रियाएं (AVR), SMS, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल शामिल हैं, ऋणदाता उधारकर्ताओं से उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए पासवर्ड का उपयोग करने या सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कह सकता है। उधारकर्ता ऐसे पासवर्ड और उन्हें प्रदान किए गए किसी भी पहचान संख्या की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उधारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आपके पासवर्ड का उपयोग करके उनके खाते तक पहुंच न सके। ऋणदाता सुरक्षा और अभिलेख-रखरखाव उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें टेलीफोन कॉल, ईमेल, एसएमएस और मोबाइल ऐप इंटरैक्शन शामिल हैं, को रिकॉर्ड और संग्रहीत कर सकता है। इन रिकॉर्डिंग का उपयोग इस समझौते, जिसमें शुल्क, ब्याज दरें और पुनर्भुगतान अनुसूचियां शामिल हैं, को उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ऐसे रिकॉर्ड का उपयोग कानूनी कार्यवाही में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

- 4.36 संपर्क विकल्प प्राधिकरण: उधारकर्ता सहमत है कि केवल वही, और कोई भी नामांकित व्यक्ति या तीसरा पक्ष नहीं, उपलब्ध संपर्क विकल्पों के माध्यम से निर्देश प्रदान करेगा। ऋणदाता उधारकर्ता के अलावा किसी और से निर्देश स्वीकार नहीं करेगा, और उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ओर से इन संपर्क विकल्पों का उपयोग करने के लिए कोई और अधिकृत नहीं है। उधारकर्ता ऋण आवेदन या धन हस्तांतरण के लिए संपर्क विकल्पों के माध्यम से निर्देश भेजने में शामिल जोखिमों को स्वीकार करता है और उन्हें स्वीकार करता है। उधारकर्ता समझता है कि ऋणदाता द्वारा अनुरोधित व्यक्तिगत विवरण प्रदान करना, ऋणदाता के लिए उनकी निर्देशों पर कार्रवाई करने हेतु पहचान का पर्याप्त प्रमाण होगा। उधारकर्ता, ऋणदाता को संपर्क विकल्पों के माध्यम से प्राप्त धन हस्तांतरण के निर्देशों को संसाधित करने के लिए अधिकृत करता है, बशर्ते कि ये निर्देश उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए प्रतीत हों या उधारकर्ता की ऋण आवेदन या संबंधित दस्तावेजों में पहचाने गए व्यक्ति से ही माने जाएं। उधारकर्ता सहमत है कि ऋणदाता के रिकॉर्ड, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक, लिखित, या अन्य हों, निर्णायक और बाध्यकारी हैं। उधारकर्ता इन रिकॉर्डों के आधार पर अपने ऋण(ों) से संबंधित लेनदेन की वैधता पर विवाद नहीं करेगा। किसी भी संपर्क विकल्प का उपयोग करने से पहले, उधारकर्ता को प्रासंगिक नियमों और शर्तों और/या प्रकटीकरणों की समीक्षा करनी होगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमत होना होगा (यानी, "हस्ताक्षर" करना होगा)। ऋणदाता उधारकर्ता को उनके ऋण विवरण तक पहुंच के लिए एक उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रदान कर सकता है। उधारकर्ता निम्नलिखित के लिए सहमत है:

- 4.36.1 गोपनीयता: उधारकर्ता को उपयोगकर्ता पासवर्ड गोपनीय रखना चाहिए और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे जानने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- 4.36.2 पहुँच और सत्यापन: ऋणदाता अपने विवेकानुसार उधारकर्ता को प्रदान किए गए उपयोगकर्ता पासवर्ड का उपयोग करके अपने ऋण विवरणों तक पहुँचने और विवरणों का सत्यापन करने की अनुमति दे सकता है।
- 4.36.3 हानि या चोरी: यदि उपयोगकर्ता पासवर्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, या प्रकट हो जाता है, तो उधारकर्ता को घटना के 48 घंटों के भीतर, तुरंत ऋणदाता को सूचित करना चाहिए।

4.37 असाइनमेंट और उप-ठेका:

- 4.37.1 अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण: ऋणदाता के पास इस समझौते के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने, या प्रतिभूतिकृत करने का अधिकार है, जिसके लिए उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्य उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगे, जो नई पार्टी को सभी दायित्वों, जिसमें बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है, को पूरा करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन अधिकारों का कोई भी नया धारक ऋण से संबंधित भुगतान वसूलने का अधिकार रखेगा।
- 4.37.2 जानकारी साझा करना: ऋणदाता उधारकर्ता और ऋण के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज, जिसमें चूक से संबंधित कोई भी विवरण शामिल है, उस पक्ष के साथ साझा कर सकता है, जिसे ऋणदाता अपने अधिकार और दायित्व हस्तांतरित करता है। उधारकर्ता इस जानकारी के साझाकरण से सहमत है और स्वीकार करता है कि उन्हें ऐसे प्रकटीकरणों पर कोई आपत्ति नहीं है।
- 4.37.3 प्रतिनिधियों की नियुक्ति: उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता है, जो ऋणदाता के कर्मचारी हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये प्रतिनिधि ऋणदाता की ओर से बकाया राशि के प्रशासन, प्रसंस्करण, संग्रह और वसूली से संबंधित कार्यों को संभाल सकते हैं। उधारकर्ता इन प्रतिनिधियों को ऋण और किसी भी चूक के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमति देता है।
- 4.37.4 उधारकर्ता के प्रतिबंध: उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि उधारकर्ता, ऋणदाता से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेंगे या उप-ठेकेदारी नहीं करेंगे, और ऋणदाता अपने एकमात्र विवेक पर उधारकर्ताओं के ऐसे अनुरोध को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है। ऋणदाता को पूर्ण अधिकार होगा, और उसके पास पूरी शक्ति और प्राधिकरण होगा, कि वह किसी भी प्रकार से, संपूर्ण या आंशिक रूप से, और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर जैसा कि ऋणदाता तय कर सकता है, ऋण का विक्रय, हस्तांतरण या अन्यथा अंतरण कर सकता है (जिसमें यह भी शामिल है कि यदि ऋणदाता द्वारा उचित समझा जाए तो वह खरीदार, असाइन की या हस्तांतरित व्यक्ति की ओर से उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी शक्ति को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है)। इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों की शर्तों के तहत उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता को देय किसी भी या सभी बकाया राशियों को ऋणदाता की पसंद के किसी तीसरे पक्ष को, उधारकर्ताओं को बिना किसी और संदर्भ या सूचना या नोटिस दिए, और उधारकर्ताओं से किसी भी सहमति की आवश्यकता/मांग किए बिना, हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी कोई भी कार्रवाई और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या हस्तांतरण, उधारकर्ताओं को ऐसे तीसरे पक्ष को, मामले के अनुसार, विशेष रूप से लेनदार या लेनदार और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में, लेनदार के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा।

4.38 ऋण का उपयोग:

- 4.38.1 गैरकानूनी, अनैतिक, और निषिद्ध गतिविधियों पर प्रतिबंध: उधारकर्ता सहमत है कि ऋण का कोई भी हिस्सा किसी भी गैरकानूनी गतिविधि, अनैतिक उद्देश्यों, जुआ, लॉटरी, दौड़, सट्टा लगाने वाले उद्यमों, या समान गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उधारकर्ता पुष्टि करता है कि ऋण का उपयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, या किसी अन्य गैरकानूनी वित्तीय या अन्य संबंधित गतिविधियों से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। ऋणी यह भी सहमत है कि ऋण की राशि का उपयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान देने या राजनीतिक पार्टियों की किसी भी गतिविधि को वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और लागू कानूनों के तहत निषिद्ध है।
- 4.38.2 ऋणदाता की भूमिका और अस्वीकरण: उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता केवल एक वित्तीय संस्थान है जो उधारकर्ता के स्पष्ट अनुरोध पर

वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और ऐसे किसी भी सामान, सेवाओं या पाठ्यक्रमों का प्रावधान या समर्थन नहीं करता है जिन्हें उधारकर्ता ऋण का उपयोग करके वित्तपोषित करना चुन सकता है। यदि ऋण का उपयोग किसी शैक्षणिक संस्थान से कोई शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ऋणदाता ऐसे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या उपयुक्तता का प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं देता है। ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किसी भी वस्तु, सेवा, या शैक्षणिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और चयन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उधारकर्ता की है। ऋणदाता की भूमिका केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है और वह वित्तपोषित किसी भी वस्तु, सेवा, या पाठ्यक्रम के प्रदर्शन, परिणामों, या गुणवत्ता के लिए कोई देयता नहीं लेता है।

- 4.38.3 जोखिम और देयता: उधारकर्ता ऋण के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना, किसी शैक्षणिक संस्थान से शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्राप्त करना, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना शामिल है। यदि उधारकर्ता शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए ऋण का उपयोग करता है, तो उधारकर्ता शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के प्रदर्शन, वितरण, या गुणवत्ता से संबंधित किसी भी समस्या के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ऐसे मुद्दों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी दावे, हानि, या खर्च के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें पाठ्यक्रम की सामग्री से असंतोष, शिक्षण की गुणवत्ता, या शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता शामिल है। इसी तरह, यदि ऋण का उपयोग किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋणदाता द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, प्रदर्शन, या वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसे लेनदेन से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद, उधारकर्ता को इस समझौते या ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को भुगतान रोकने या उसमें देरी करने का अधिकार नहीं देते।
- 4.38.4 शैक्षणिक पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं का समाधान: यदि ऋण से वित्तपोषित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता, या उपयुक्तता कम पाई जाती है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित सहमत मानकों या शर्तों को पूरा न करना, तो उधारकर्ता को ऐसे मुद्दों के बारे में ऋणदाता या उसके एलएसपी को तुरंत सूचित करना चाहिए और सीधे शैक्षणिक संस्थान से समाधान खोजना चाहिए। इसमें शैक्षणिक संस्थान से धनवापसी, पाठ्यक्रम प्रतिस्थापन, या कोई सुधारात्मक कार्रवाई का अनुरोध करना शामिल हो सकता है। ऋणी इन समस्याओं के समाधान से संबंधित कोई भी लागत या राशि, ऋणदाता को देय किसी भी भुगतान से नहीं काटेगा।
- 4.39 तृतीय-पक्ष निकासी: उधारकर्ता(ओं) एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) के उच्च शिक्षा खर्चों को निधि देने के उद्देश्य से ऋण राशि को तीसरे पक्षों को, जिसमें विदेशी मुद्रा संस्थान या अन्य संस्थान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, वितरित कर सकता है। ऋणी(यों) स्पष्ट रूप से ऐसे वितरणों के लिए प्राधिकृत करते हैं और सहमत हैं कि तीसरे पक्ष के वितरणों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी दावे, विवाद या हानि के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा। ऋणी, ऋण राशि के वितरण से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्षों द्वारा लाए गए किसी भी विवाद या दावों के परिणामस्वरूप ऋणदाता को हुए किसी भी और सभी नुकसान, देनदारियों, क्षतियों, दावों, लागतों और खर्चों (कानूनी लागतों सहित) के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं। यह दायित्व इस समझौते की समाप्ति के बाद भी बना रहेगा।
5. सुरक्षा
 - 5.1 ऋणी यह संधि करते हैं कि शिक्षा ऋण सुविधा, बकाया राशि के साथ, ऋणदाता के पास ऐसी संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो) द्वारा सुरक्षित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची जी (ऋण सारांश अनुसूची) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऋणदाता के पास ऋणी द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो) पर निर्णय लेने का एकमात्र विवेकाधिकार है, जिसमें सुरक्षा के सृजन का समय भी शामिल है, ऐसी सुरक्षा के सृजन का प्रकार और तरीका और उधारकर्ता इस बात का वचन देते हैं कि वे जमानत सुरक्षा पर वैध सुरक्षा हित बनाने के लिए उधारदाता द्वारा आवश्यक समझ जाने वाले सभी ऐसे विलेखों और दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे और/या सभी कार्य करेंगे, और वे उधारदाता के पक्ष में जमानत सुरक्षा पर लागू सुरक्षा हित के सृजन से उत्पन्न होने वाले या उसके लिए सभी संबंधित कानूनी और अन्य खर्चों का भुगतान करने के भी उत्तरदायी होंगे। ऋणदाता, अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, इस समझौते के तहत उधारकर्ताओं की देनदारियों को सुरक्षित करने के प्रयोजनों के लिए, उधारकर्ताओं से ऐसी अतिरिक्त/वैकल्पिक संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो) प्रदान करने का आह्वान करने का हकदार होगा। यदि ऋणदाता उधारकर्ताओं से कोई अतिरिक्त/वैकल्पिक सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो उधारकर्ता, अपने ही खर्च पर, ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य प्रकार, रूप और तरीके में आवश्यक अतिरिक्त/वैकल्पिक संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो) प्रदान/सृजित करेंगे।
 - 5.2 संबंधित उधारकर्ता शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि के दौरान, एक वैकल्पिक या अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो), जैसा भी मामला हो, प्रदान करेंगे, यदि ऋणदाता को किसी भी समय यह राय हो कि संपार्श्विक सुरक्षा (यदि लागू हो) का मूल्य घट गया है या संपत्ति में कोई क्षति या क्षरण हुआ है या एक उपयुक्त जमानत सुरक्षा (यदि लागू हो) के रूप में इसकी अस्वीकृति या उपयुक्तता की संभावना है या आगे यदि संपत्ति के स्वामित्व में कोई दोष है जो बाद में ऋणदाता के संज्ञान में आता है या किसी भी अन्य कारण से बिना किसी देरी या आनाकानी के।
6. प्रतिनिधित्व और वारंटियाँ

ऋणी, इस समझौते की तारीख के अनुसार, ऋणदाता को निम्नलिखित प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है, और ये प्रतिनिधित्व और आश्वासन तब तक दैनिक रूप से दोहराए जाएंगे जब तक कि ऋणी ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार बकाया शेष राशि का पूरा भुगतान नहीं कर देता:

 - 6.1 ऋणग्राहकों की कानूनी क्षमता और योग्यता: प्रत्येक ऋणग्राहक (उन मामलों को छोड़कर जहाँ ऋणग्राहक नाबालिग है) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम है और वयस्क है, स्वस्थ मन का है और दिवालिया है, जिसके खिलाफ दिवालियापन या दिवालिया होने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और इस समझौते और अन्य शिक्षा ऋण दस्तावेजों में प्रवेश करने, तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और यहाँ दी गई बाध्यताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कानूनी क्षमता, शक्ति और अधिकार रखता है, और कर्जदार की यहाँ की प्रत्येक बाध्यता का पालन कर्जदारों की किसी अन्य बाध्यता या किसी लागू कानून के साथ कोई संघर्ष नहीं करता है और न ही करेगा।
 - 6.2 इस समझौते की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति: उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि यह समझौता, सभी संबंधित ऋण दस्तावेजों के साथ, वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे, जो उनकी शर्तों के अनुसार प्रवर्तनीय होंगे। यह तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋणदाता एक लिखित प्रमाण पत्र जारी नहीं कर देता है जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उधारकर्ता ने ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार ऋण के तहत सभी देनदारियों का पूरा निर्वहन कर दिया है। प्रत्येक सह-ऋणी, ऋणदाता के पक्ष में, इस समझौते पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और नाबालिग ऋणी की ओर से कानूनी अभिभावक के रूप में (यदि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय ऋणी नाबालिग है) हस्ताक्षर कर रहा है।
 - 6.3 मौजूदा समझौतों का अनुपालन: उधारकर्ता वारंट करते हैं कि ऋणदाता से यह ऋण लेना, तीसरे पक्षों के साथ उधारकर्ता के किसी भी मौजूदा समझौते की किसी भी प्रतिज्ञा, शर्त या प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
 - 6.4 लागू कानूनों का अनुपालन:
 - i. प्रत्येक ऋणी ने करों के भुगतान से संबंधित सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया है और वर्तमान में किसी भी कर या राजस्व की कोई बकाया राशि देय और बकाया नहीं है। प्रत्येक ऋणी के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई लंबित कार्यवाही (एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में) नहीं है

- और इसलिए, जमानत संपत्ति पर सुरक्षा सृजन के प्रयोजन से (यदि लागू हो), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 के तहत मूल्यांकन अधिकारी का कोई पूर्व प्रमाणन/सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- ii. किसी भी उधारकर्ता ने किसी भी लागू धन शोधन-रोधी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, जिसमें धन शोधन निषेध अधिनियम, 2002 शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 6.5 सूचना की सटीकता: उधारकर्ता घोषणा करता है कि प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे वह मौखिक रूप से, लिखित रूप में, या किसी भी संचार चैनल के माध्यम से हो, और ऋण आवेदन के साथ या इस ऋण समझौते के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़, सत्य, वास्तविक और सटीक हैं। ऋणी भविष्य में ऋणदाता द्वारा अनुरोधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी पूर्ण सटीकता के साथ और बिना किसी देरी के प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक ऋणी आगे यह सहमत है कि जानकारी प्रदान करने में किसी भी भौतिक गलत बयानी, मिथ्या प्रस्तुति या घोर लापरवाही के कारण ऋणदाता को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए वह ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करेगा;
- 6.6 किसी भी ऋणी ने इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान से ऋणी द्वारा शैक्षणिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के संबंध में हुए खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य ऋण नहीं लिया है;
- 6.7 इस ऋण समझौते का गैर-समापन: उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि जब तक ऋणदाता के निर्देशों के अनुसार संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक उनके पास इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।
- 6.8 बीमा का प्रबंध: उधारकर्ता अपने लिए, ऐसी बीमा कंपनी से और ऐसी राशि के लिए, जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जा सकती है, एक जीवन बीमा पॉलिसी और/या एक सामान्य बीमा पॉलिसी का प्रबंध करेगा, और ऐसी पॉलिसी को ऋणदाता के पक्ष में आवंटित करने के लिए ऋणदाता द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार में अपेक्षित ऐसे विलेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा और अन्य कृत्य करेगा। इस संबंध में, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक ऋणदाता को बकाया शिक्षा ऋण की पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ऐसी बीमा पॉलिसी सक्रिय रहेगी और वे बीमा कंपनी को देय प्रीमियम और अन्य शुल्क का भुगतान करेंगे और जब भी आवश्यक हो, उसकी रसीदें ऋणदाता को प्रस्तुत करेंगे।
- 6.9 संचार के लिए सहमति: उधारकर्ता, ऋणदाता, या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को ऋण(ओं) की स्थिति, अनुस्मारक, वसूली, या ऋण(ओं) से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल, या अन्य उपलब्ध संचार विधियों के माध्यम से उनसे संपर्क करने के लिए सहमति देता है। ये संचार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ("TRAI") के नियमों के अनुसार "डू नॉट डिस्टर्ब" नीति से छूट प्राप्त हैं। ऋणी, समय-समय पर संशोधित, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट समय पर ऋणदाता को उनसे संपर्क करने की अनुमति देता है। यदि ऋणी कोई अलग संपर्क समय पसंद करता है, तो वह ग्राहक सेवा सहायता विभाग को कॉल करके ऋणदाता को सूचित कर सकता है।
- 6.10 सूचना के प्रकटीकरण के लिए सहमति: उधारकर्ता सहमति देता है, राजी है, और ऋणदाता को उधारकर्ता और ऋण से संबंधित आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी उधारकर्ता के परिवार के सदस्यों (यानी, माता-पिता, जीवनसाथी, बच्चे, भाई-बहन) या अन्य व्यक्तियों को प्रकट करने की अनुमति देता है, जिनका विवरण उधारकर्ता द्वारा ऋण आवेदन पत्र में या अन्यथा प्रदान किया गया है। यह प्रकटीकरण ऋणदाता द्वारा आवश्यक किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए अनुमत है।
- 6.11 तृतीय-पक्ष सहमति: प्रत्येक उधारकर्ता द्वारा शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ उठाने और/या जमानत सुरक्षा (यदि लागू हो) बनाने के लिए, जैसा कि herein में परिकल्पित है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी तृतीय-पक्ष अनुमोदन या सहमति की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन अनुमोदनों/सहमतियों के जो पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं (यदि लागू हो)।
- 6.12 किश्तों का समय पर भुगतान: उधारकर्ता यह वचन देता है कि वह प्रत्येक मासिक किश्त का भुगतान उसकी संबंधित देय तिथि पर या उससे पहले बिना किसी चूक के करेगा।
- 6.13 बदलाव की सूचना: उधारकर्ता सहमत है कि वह अपने आवासीय पते, रोजगार की स्थिति, टेलीफोन नंबर, या ऋणदाता को प्रदान किए गए किसी भी अन्य विवरण में किसी भी बदलाव के 7 दिनों के भीतर ऋणदाता को सूचित करेगा। यह सूचना लिखित में या ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी संपर्क विकल्प के माध्यम से दी जा सकती है।
- 6.14 कानूनी कार्यवाहियों का प्रकटीकरण: उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है, और न ही उधारकर्ता की जानकारी के अनुसार कोई धमकी दी गई है, जो उनके वित्तीय और अन्य मामलों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हो या इस समझौते की वैधता या निष्पादन पर प्रश्न उठा सकती हो।
- 6.15 डिफॉल्ट स्थिति का खुलासा: किसी भी ऋणी को RBI या ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड के साथ "जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले" के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, न ही किसी ऋणी का नाम RBI या किसी समान प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी सूची में शामिल है।
- 6.16 भुगतान प्रभावित करने वाले विवादों की सूचना: उधारकर्ता इस समझौते में निर्दिष्ट ऋण की चुकोती क्षमता को प्रभावित कर सकने वाले किसी भी विवाद की सूचना तुरंत ऋणदाता को देगा, जो उधारकर्ता और किसी भी व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण के बीच उत्पन्न हो।
- 6.17 ऋणी(यों) यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देते हैं कि, सिवाय और अन्यथा जैसा कि ऋणदाता द्वारा अनुमत हो, प्रतिभूति (जहाँ लागू हो) सभी प्रकार के बंधक, दावों, पट्टे, न्यायालयीन दावों, रोक, बाधाओं या अन्य संलग्नताओं आदि से मुक्त है, और यह कि किसी अन्य पक्ष के पास क, कोई भी अधिकार, शीर्षक, या हित नहीं है जो ऋणदाता के सुरक्षा हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके या उधारकर्ताओं को ऋणदाता के पक्ष में एक वैध और प्रवर्तनीय सुरक्षा हित प्रदान करने से रोक सके।
- 6.18 ऋणी यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देते हैं कि संबंधित ऋणियों द्वारा ऋणदाता के पक्ष में संपार्श्विक सुरक्षा (जहाँ लागू हो) पर सृजित/सृजित की जाने वाली सुरक्षा के संबंध में, उनके पास एक वैध, बिना शर्त और विपणन योग्य स्वामित्व और हित है।
7. प्रतिबद्धताएँ और आश्वासन
- 7.1 ऋणी सहमत है और पुष्टि करता है कि वह ऋणी के आवेदन में उल्लिखित अपनी शैक्षणिक संस्था और/या शैक्षणिक पाठ्यक्रम को नहीं बदलेगा/बदलेगी और ऋणदाता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी कारण से शुल्क की वापसी का कोई अनुरोध नहीं करेगा/करेगी, जिसे ऋणदाता बिना कोई कारण बताए अपने एकमात्र विवेक पर अस्वीकार कर सकता है।
- 7.2 ऋणग्राही अपने रोजगार के विवरण, संपर्क और स्थायी या अस्थायी आवासीय पते, रोजगार के पते, ईमेल पते, फोन नंबर, संदर्भ आदि में किसी भी परिवर्तन के बारे में 30 (तीस) दिनों के भीतर लिखित रूप में ऋणदाता को सूचित करते रहेंगे। साथ ही उन मामलों के बारे में भी सूचित करना जब वे शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि के दौरान अस्थायी रूप से भारत के क्षेत्र को छोड़ेंगे और यदि शैक्षणिक संस्थान विदेश में स्थित है, तो उधारकर्ता को विदेश में अपने वर्तमान निवास के पते, किसी भी कार्यालय पते के बारे में भी ऋणदाता को सूचित करना होगा, साथ ही कोई भी विशिष्ट पहचान सुविधा जैसे कि यूनिफ़ॉर्म आईडेंटिफिकेशन या सोशल सिक्कोरिटी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा।
- 7.3 शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, प्रत्येक ऋणी का यह दायित्व होगा कि वह समय-समय पर, नौकरी मिलने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, ऋणदाता को उस रोजगार का पूरा विवरण देगा, जिसमें उसके स्वरूप और उससे जुड़ी वेतन और भत्तों का विवरण शामिल होगा।
- 7.4 प्रत्येक उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और यह वचन देता है कि इस समझौते के अनुसूची सी (पूर्व-वीज़ा नियम और शर्तों) की शर्तों, उस देश में प्रवेश करने और अध्ययन करने के लिए उधारकर्ता को वैध वीज़ा मिलने में देरी और/या वीज़ा न मिलने की स्थिति में उन पर लागू होंगी, जहाँ शैक्षणिक संस्थान स्थित है।

- 7.5 प्रत्येक ऋणी hereby ऋणदाता से यह प्रतिज्ञा और वचन देता है कि यदि ऋणी शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए जाने या उसमें उपस्थित होने में असमर्थ होता है, या यदि ऋणी या शैक्षिक संस्थान शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ उठाने के बाद किसी भी कारण से प्रवेश स्थगित करने का निर्णय लेते हैं, या ऋणी किसी भी कारण से यात्रा नहीं करता है और शैक्षिक संस्थान द्वारा मान्य भविष्य की तारीख के लिए प्रवेश पत्र को स्थगित कर देता है, तो वह ऋणदाता द्वारा जारी संपूर्ण राशि, संचित और बकाया ब्याज तथा सभी अन्य लागतों को वापस करेगा तथा आवश्यक कदम उठाएगा और सभी आवश्यक समर्थन एवं सहयोग प्रदान करेगा/देगा।
- 7.6 ऋणग्राही ऋणदाता द्वारा वितरित की गई संपूर्ण राशि का, संचित और बकाया ब्याज तथा अन्य सभी लागतों सहित, पुनर्भुगतान करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे तथा सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान/प्रदान करेंगे कि ऋणदाता शैक्षणिक संस्थान को वितरित की गई संपूर्ण राशि की वसूली करने में सक्षम हो/ऋणदाता या उसके ओर से अधिकृत किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बकाया शेष की वसूली में हुए उचित शुल्कों के साथ, बिना किसी टालमटोल या देरी के, मांग पर ऋणग्राही को भुगतान करना होगा।
- 7.7 ऋणग्राही यह वचन देगा कि वे विदेशी मुद्रा रूपांतरण में उतार-चढ़ाव/अस्थिरता के कारण उत्पन्न किसी भी हानि को बिना किसी देरी या आनाकानी के, रिफंड प्राप्त करने के समय, या तो उसके लिए भुगतान करके या रिफंड राशि की प्राप्ति में किसी भी कमी के लिए ऋणदाता को मुआवजा देकर वहन करेंगे; और
- 7.8 ऋणग्राही, कोर्स के लिए जाने या उसमें भाग लेने वाले छात्र की अक्षमता के बारे में जानकारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऋणदाता को सूचित करेंगे, भले ही किसी कारण से, छात्र या शैक्षणिक संस्थान विमोचन का लाभ उठाने के बाद प्रवेश स्थगित करने का निर्णय लेता है।
- 7.9 प्रत्येक उधारकर्ता सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि शैक्षिक संस्थान किसी भी कारण से उधारकर्ता के प्रवेश को समाप्त कर देता है, वापस ले लेता है, रद्द कर देता है या अस्वीकार कर देता है, तो वह बकाया शेष राशि के साथ-साथ देय और बकाया ब्याज का तुरंत भुगतान करेगा, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में एक अलग व्यवस्था वाले लिखित समझौते की पेशकश न की जाए।
- 7.10 यदि उधारकर्ता इस समझौते और किसी अन्य ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय नाबालिग है, तो उधारकर्ता और ऋणदाता अन्य बातों के अलावा, वयस्कता प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर इस समझौते की शर्तों की पुष्टि और स्वीकृति के लिए एक अनुसमर्थन सह-सहित प्रवेश समझौते में प्रवेश करेंगे और इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के रूप में बाध्य होने के लिए लागू कानून के तहत आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। सह-ऋणी सहमत है और पुष्टि करते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऋणी वयस्कता प्राप्त करने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुसमर्थन सह अनुपालन समझौते में प्रवेश करे। यदि उधारकर्ता वयस्कता प्राप्त करने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुसमर्थन सह अनुग्रह समझौते में प्रवेश करने में विफल रहता है, तो इस समझौते की शर्तें उधारकर्ता पर लागू मानी जाएंगी।
- 7.11 प्रत्येक ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूति (यदि लागू हो) हर समय पूरी तरह से बंधक-मुक्त और बाधारहित रखी जाए, जब तक कि बकाया राशि का पूरा भुगतान ऋणियों द्वारा ऋणदाताओं को नहीं कर दिया जाता, और साथ ही यह भी वचन देता है कि वह शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूति (यदि लागू हो) और ऋणदाता के पक्ष में निर्मित सुरक्षा हित (यदि लागू हो) को वैध और प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा, जिसमें शामिल होंगे (लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) सभी लागू करों, दरों, शुल्कों, प्रीमियम, किश्त बकाया आदि का भुगतान करना, या ऋणदाता या किसी जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कारणों से मांगे गए किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करना, जिनमें शामिल हो सकते हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जमानत सुरक्षा में उधारकर्ता की रुचि का नवीनीकरण या ऋणदाता के पक्ष में उक्त जमानत सुरक्षा के परिसमापन के लिए सहमति देना। यदि उधारकर्ता उपरोक्त संदर्भित ऐसे कर, दरें, प्रीमियम, किश्तों का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऋणदाता को उनका भुगतान करने का अधिकार होगा (लेकिन वह बाध्य नहीं होगा) और उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता से मांग नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर बिना किसी देरी या आनाकानी के उसका प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि बकाया शेष का हिस्सा मानी जाएगी।
- 7.12 प्रत्येक उधारकर्ता ऋणदाता के किसी भी अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि और/या लेखा परीक्षकों और/या आरबीआई अधिकारियों को, चाहे संपत्ति जमानत के रूप में रखी गई हो या अन्यथा, ऋणदाता द्वारा तय किए गए अंतराल पर, संपत्ति का तकनीकी, वित्तीय या कानूनी निरीक्षण या सत्यापन करने की अनुमति देगा। ऐसे व्यक्ति(यों) को अभिलेखों, परिसरों आदि तक निःशुल्क पहुँच प्रदान की जाएगी और उधारकर्ताओं द्वारा हर समय पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की जाएगी।
- 7.13 इस अनुबंध और अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ताओं की देयता के प्रचलन के दौरान सह-उधारकर्ता(ओं) (यदि कोई हो) की मृत्यु की स्थिति में, शेष उधारकर्ता समय-समय पर, ऋणदाता द्वारा निर्धारित शर्तों और मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति(यों) का प्रस्ताव देंगे, उधारकर्ता के रूप में उधारदाता द्वारा सहमत अन्य व्यक्ति(यों) को सह-उधारकर्ता के रूप में, और उधारदाता द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जीवित उधारकर्ताओं के साथ सह-उधारकर्ता के रूप में शामिल करने पर सहमत होने पर, उक्त सह-उधारकर्ता उधारदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे, बिना इस समझौते और किसी भी अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता/शेष, मौजूदा सह-उधारकर्ता(यों) की किसी भी देयता को किसी भी तरह से प्रभावित किए। हालाँकि, उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) शिक्षा ऋण सुविधा के तहत उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता को देय सभी राशियों के निपटान के लिए अकेले जिम्मेदार होंगे।
- 7.14 प्रत्येक ऋणी यह घोषणा करता है कि शिक्षा ऋण सुविधा के लिए किए गए/किए जाने वाले सभी भुगतान या पुनर्भुगतान, साथ ही कोई भी जमानत सुरक्षा (यदि लागू हो), वैध स्रोतों के माध्यम से होगी/होगी और मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अधिनियम, 2002 और उसके किसी भी संशोधन के तहत धन शोधन का अपराध नहीं होगा।
- 7.15 प्रत्येक उधारकर्ता सहमति देता है और पुष्टि करता है कि वह ऋणदाता को अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान से संवाद करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा, जिनका विवरण विशेष रूप से अनुसूची G में उल्लेखित है। (ऋण सारांश अनुसूची) इस समझौते का, जिसमें शैक्षिक संस्थान से अनुरोध किया जाता है कि वह शिक्षा ऋण सुविधा की पूरी अवधि के दौरान समय-समय पर ऋणदाता को उस शैक्षिक संस्थान में उधारकर्ता के नामांकन और प्रगति से संबंधित सभी जानकारी और सभी अन्य प्रासंगिक विवरण, जैसे कि ग्रेड, मार्क शीट, स्नातक होने की अपेक्षित और वास्तविक तिथि, रिकॉर्ड पर वर्तमान पता और अन्य संपर्क विवरण आदि, जारी करे।
- 7.16 ऋणी अपने लिए, ऐसी बीमा कंपनी से और ऐसी राशि के लिए, जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जा सकती है, एक जीवन बीमा पॉलिसी और/या एक सामान्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा और ऐसी डीडुस और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करेगा, जिनकी आवश्यकता ऋणदाता को अपने एकमात्र विवेकाधिकार में, ऋणी की ऐसी बीमा पॉलिसी को ऋणदाता के पक्ष में आवंटित करने के लिए हो सकती है। इस संबंध में, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक ऋणदाता को बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ऐसी बीमा पॉलिसी सक्रिय रहे और वे बीमा कंपनी को देय प्रीमियम और अन्य शुल्क का भुगतान करेंगे और जब भी आवश्यक हो, उसकी रसीदें ऋणदाता को प्रस्तुत करेंगे।
- 7.17 शिक्षण ऋण सुविधा की अवधि के दौरान, उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस समझौते के तहत उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही शिक्षण ऋण सुविधा के उद्देश्य के लिए या उससे संबंधित किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य स्रोत से धन उधार नहीं लेंगे। उधारकर्ता किसी के लिए जमानतदार नहीं बनेंगे या किसी अन्य सुविधा या ऋण की चुकोती की गारंटी नहीं देंगे;
- 7.18 प्रत्येक ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि वह "अपने ग्राहक को जाने" (केवाईसी), धन शोधन निवारण कानूनों और समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली अन्य शर्तों का अनुपालन करे।
- 7.19 प्रत्येक ऋणी यह वचन देता है कि वह शिक्षा ऋण सुविधा से प्राप्त राशि का उपयोग केवल इस समझौते की धारा 2 (उद्देश्य) में ऋणी द्वारा प्रकट किए गए उद्देश्य(ओं) के लिए और ऋणदाता की पूर्ण संतुष्टि के लिए करेगा।
- 7.20 ऋणदाता को बकाया शेष राशि का पुनर्भुगतान होने तक, शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में सरकारी प्राधिकरण द्वारा लागू या लगाए जा सकने वाले सभी करों का

वहन कर्जदारों द्वारा किया जाएगा।

- 7.21 प्रत्येक ऋणी यह वचन देता है कि यदि उन्हें इस अनुबंध की तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी ऐसी परिस्थिति का पता चलता है जिसका ऋणियों की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वे तुरंत लिखित रूप में ऋणदाता को सूचित करेंगे और किसी भी समय ऋणदाता को प्रदान की गई किसी भी अन्य जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना देंगे।
- 7.22 प्रत्येक ऋणी सहमत है और पुष्टि करता है कि वह इस समझौते के निष्पादन के समय लागू ऋणदाता के नियमों और प्रक्रियाओं से स्वयं को परिचित रखेगा/रखेगी, और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार से लागू किए जाने वाले अन्य नियमों से भी।
- 7.23 ऋणी, ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी अन्य तीसरे पक्ष/एजेंट के साथ सहयोग करेंगे ताकि वह प्रतिभूति, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज की केंद्रीय रजिस्ट्री में, जमानत सुरक्षा के सृजन या संशोधन के संबंध में आवश्यक फाइलिंग कर सके (यदि लागू हो)।
- 7.24 ऋणी इस बात से सहमत है और पुष्टि करते हैं कि वे रुपये में निर्दिष्ट ऋण राशि के रूपांतरण के समय प्रचलित विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय रूपांतरण से संबंधित सभी खर्चों और जोखिमों को, यदि लागू हो, वहन करेंगे।
- 7.25 ऋणी सहमत है और पुष्टि करते हैं कि वे लागू कानून के तहत और RBI या अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जैसे कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित तरीके से शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना। ऋणदाता शिक्षा ऋण सुविधा प्रदान करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि उधारकर्ता विदेशी मुद्रा विनियमों या अन्य लागू विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं या असमर्थ होते हैं या यदि उधारकर्ता इस संबंध में ऋणदाता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हैं या किसी भी कारण से या यदि ऋणदाता किसी भी कानूनी बाधा के कारण अपनी ओर से ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असमर्थ है।
- 7.26 ऋणी सहमत है और पुष्टि करते हैं कि वे तब तक बंधक सुरक्षा (यदि लागू हो) को न बेचेंगे, उस पर कोई भार नहीं लगाएंगे, उसका आदान-प्रदान, उपहार या निपटान नहीं करेंगे या उसे स्थानांतरित नहीं करेंगे, जब तक कि ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज और सभी अन्य लागू लागतें, शुल्क और खर्च पूरी तरह से चुकता न हो जाएं।
- 7.27 ऋणग्राही सटीक बहीखाते और अन्य अभिलेख बनाएंगे और उन्हें बनाए रखेंगे, जो मिलकर ऋणग्राही की वित्तीय स्थिति को सच्चाई से और निष्पक्ष रूप से पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।
- 7.28 ऋणी सहमत है और पुष्टि करते हैं कि वे समय-समय पर RBI द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, ऋणदाता के पक्ष में संपार्श्विक सुरक्षा के सृजन को उचित रूप से दर्ज करने और पंजीकृत करने के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ सहयोग करेंगे (यदि लागू हो)।
- 7.29 प्रत्येक ऋणी संशोधित लागू कानून का पालन करने के लिए सहमत है, जिसमें लागू कानून में किसी भी संशोधन या परिवर्तन के अनुसार ऋणदाता के दिशानिर्देशों, आचार संहिता और किसी भी अन्य नीतियों में किए गए संशोधन और परिवर्तन शामिल हैं।

8. प्राप्तियों का हस्तांतरण/गठित वकील

- i. ऋणदाता द्वारा बुलाए जाने पर, ऋणी अपनी मासिक आय के उस हिस्से को, चाहे वह आवर्ती प्रकृति का हो या नहीं, जो रोजगार, व्यवसाय या किसी अन्य प्रकार की आय के माध्यम से प्राप्त होती है, को शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय सभी राशियों के उचित पुनर्भुगतान के लिए ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा के रूप में सौंपने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ता को ऐसी भविष्य की आय के हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता आवश्यक हस्तांतरण विलेख और अन्य दस्तावेजों को उस रूप और तरीके में निष्पादित करने का वचन देते हैं, जैसा कि उधारदाता द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार में आवश्यक और विधिवत निर्धारित किया जा सकता है।
- ii. ऋणी hereby ऋणी(यों) की ओर से (चाहे स्वयं या अपने एजेंटों और नामित व्यक्तियों के माध्यम से) ऋणदाता को अपरिवर्तनीय रूप से वकील नियुक्त करते हैं और ऐसे वकील के रूप में, सभी ऐसे कार्य, कृत्य और चीजें करने तथा सभी ऐसे दस्तावेज, हस्तांतरण, असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए जो समय-समय पर ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

9. डिफॉल्ट की घटनाएँ

यदि उधारकर्ता इस अनुबंध या इससे संबंधित किसी भी ऋण दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी दायित्व को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे इस अनुबंध के तहत चूककर्ता माना जाएगा। चूक की घटनाओं में निम्नलिखित परिस्थितियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- a) भुगतान न करना: उधारकर्ता(ओं) का इस समझौते के प्रावधानों के तहत ऋणदाता को देय किसी भी राशि का निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान या प्रतिपूर्ति न करना।
- b) गलत बयानी या अनुपालन न करना: ऋणदाता को मौखिक या लिखित रूप में गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना, या ऋणदाता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफल रहना।
- c) ऋण का अनधिकृत उपयोग: ऋण का उपयोग अवैध गतिविधियों, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियाँ शामिल हैं, सद्वात्मक उद्देश्यों के लिए, या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करना जो संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं है।
- d) अनुबंधों का उल्लंघन: इस अनुबंध या संबंधित ऋण दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी नियम या शर्त का पालन करने में विफलता, या यदि उधारकर्ता के किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी के झूठे, अमान्य या भ्रामक होने का पता चलता है।
- e) ऋणग्राही के विरुद्ध दिवालियापन या दिवालियापन संबंधी कार्यवाही: ऋणग्राही और/या सह-ऋणग्राही (जैसा भी मामला हो), को दिवालिया या दिवालिया घोषित किया गया हो या वे दिवालियापन या दिवालियापन संबंधी कार्यवाहियों के अधीन हों, जैसे कि संपत्तियों पर एक रिसीवर या ट्रस्टी की नियुक्ति, दिवालियापन की घोषणा, या किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित किया जाना।
- f) आपराधिक अभियोजन: किसी आपराधिक अपराध के लिए अभियुक्त होना।
- g) ऋणी(यों) के विरुद्ध कार्यवाही: किसी भी सरकारी प्राधिकरण, न्यायालय, पेशेवर निकाय या संघ या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा, किसी भी दुराचार, किसी भी लागू कानून, नियमों या आचार संहिता आदि के उल्लंघन के लिए ऋणी और/या सह-ऋणियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती/आरंभ की जाती है।
- h) भुगतान चूक: मासिक किश्तों, ब्याज राशि, शुल्कों, या ऋणदाता को देय किसी अन्य राशि/शुल्क का समय पर भुगतान करने में विफलता।
- i) आरबीआई की जानबूझकर चूक करने वालों की सूची में शामिल होना: उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता का नाम समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जानबूझकर चूक करने वालों की सूची में प्रकाशित किया जाता है।
- j) अन्य ऋणों या सुविधाओं पर चूक: उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता, चूक करने वाले व्यक्ति को ऋणदाता या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य ऋण या सुविधा की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन करते हैं।
- k) अन्य चूकें: ऋणी और/या सह-ऋणी के व्यवसाय या वित्तीय या किसी अन्य स्थिति या संचालन या संभावनाओं में कोई घटना या स्थिति या कोई

महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन होता है, जैसा कि केवल ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया गया हो, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में ऋणदाता के हितों के लिए हानिकारक है या कोई ऐसी घटना या स्थिति घटित होती है, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में ऋणी की वित्तीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना है और/या सह-ऋणी(यों), और/या इस अनुबंध और/या ऋण दस्तावेजों के तहत या शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में अपनी सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने की उनकी क्षमता और/या जो ऋणदाता के हितों को प्रभावित कर सकता है।

- l) ऋणी की मृत्यु; ऋणी की मृत्यु पर।
- m) सह-ऋणी(यों) को प्रतिस्थापित करने में असमर्थता: सह-ऋणी(यों) की मृत्यु पर, यदि शेष ऋणी(यों) ऋणदाता द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य व्यक्ति सह-ऋणी के रूप में अनुबंध करने के लिए नहीं ला सकते हैं।
- n) शैक्षिक पाठ्यक्रम में असंतोषजनक प्रदर्शन: यदि उधारकर्ता ने किसी भी कारण से अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम बंद कर दिया है, या शैक्षिक संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम के लिए अनुपयुक्त माना गया है। इसके अतिरिक्त, यदि शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट और उपस्थिति रिकॉर्ड को ऋणदाता द्वारा असंतोषजनक माना जाता है, तो इसे इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।
- o) जमानत संपत्ति पर सुरक्षा हित बनाने में विफलता: ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऋणदाता द्वारा विस्तारित की गई किसी अन्य अवधि के भीतर, उधारकर्ताओं द्वारा (यदि लागू हो) जमानत संपत्ति पर सुरक्षा हित बनाने में चूक।
- p) जमानत सुरक्षा मूल्य में गिरावट: यदि शिक्षा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए ऋणदाता को प्रदान की गई जमानत सुरक्षा (यदि लागू हो) का मूल्य इतनी हद तक गिर जाता है कि, ऋणदाता की राय में, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए, और ऋणदाता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ऐसा करने के लिए कहा जाने के बावजूद ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।
- q) कोई अन्य विशिष्ट स्थिति, घटना, परिस्थिति, घटित होने वाली घटना या कारण, आदि जिसे ऋणदाताओं द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" के रूप में व्याख्यायित या माना जाता है।

9.1 चूक की स्थिति में उपाय:

ऋणी स्वीकार करता है कि ऋणदाता के पास इस अनुबंध के तहत चूक की स्थिति में या लागू कानूनों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और उपाय हैं। ये अधिकार चूक होने पर तुरंत प्रवर्तनीय हो जाते हैं। विशेष रूप से:

- a) विलंब शुल्क: यदि उधारकर्ता नियत तिथि तक कोई मासिक किश्त या अन्य देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता विलंबित भुगतान के लिए दंड और अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है और वसूल कर सकता है। ये शुल्क ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार नियत तिथि से गणना किए जाएंगे।
- b) बकाया राशि की वसूली: यदि उधारकर्ता चूक करता है तो ऋणदाता को संपूर्ण बकाया राशि का तत्काल भुगतान मांगने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि उधारकर्ता को देय संपूर्ण राशि तुरंत चुकानी पड़ सकती है।
- c) बंधक और सेट-ऑफ का अधिकार: ऋणदाता को इस समझौते के तहत, उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता को देय सभी राशियों पर, उधारकर्ताओं की किसी भी अप्रयुक्त राशि के विरुद्ध, एक लियन और सेट-ऑफ का सर्वोच्च अधिकार है, चाहे वह अग्रिम किस्त के रूप में हो या उधार देने के सामान्य कारोबार में प्राप्त अन्य किसी रूप में, जो वर्तमान में ऋणदाता के साथ उधारकर्ताओं के किसी भी खाते(ओं) में पड़ी है और उधारकर्ता ऋणदाता को खाते से डेबिट करने का अधिकार देते हैं(स) उधारकर्ता के ऋणदाता के साथ खाते से डेबिट करने या किसी भी क्रेडिट बैलेंस को, जिसके उधारकर्ता हकदार हैं, उधारकर्ता के ऋणदाता के साथ किसी भी खाते पर लागू करने के लिए, जो इस समझौते के तहत या शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता को देय किसी भी राशि के निपटान के लिए है।
- d) वित्तपोषक का वितरण रोकने या वापस लेने का अधिकार: वित्तपोषक को, अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, किसी भी समय, प्रारंभिक या बाद की किश्त के वितरण को रोकने और करने से बचने का अधिकार होगा, जिसमें शिक्षा ऋण सुविधा के तहत संपूर्ण वितरण राशि पर पुनः आह्वान, रोक या बंधक लगाना शामिल है और/या बकाया शेष राशि और उस पर संचित सभी ब्याज और सभी लागत, शुल्क, खर्च और अन्य बकाया राशि, जो इस समझौते के तहत तथा शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता के साथ निष्पादित किसी भी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ताओं द्वारा देय और बकाया हैं, उन्हें तुरंत देय और भुगतान योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, जिसके बाद उधारकर्ताओं को तुरंत और बिना किसी देरी, टालमटोल या विरोध के, ऋणदाता द्वारा ऐसे भुगतान की मांग करने के लिए जारी किए गए नोटिस की शर्तों के अनुसार सभी लागू राशि का भुगतान करना होगा।
- e) वेतन से सीधी कटौती: यदि उधारकर्ता सहमत तरीकों से भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता से यह निर्देश देने के लिए कह सकता है कि वह अपने नियोक्ता को वेतन से एक निर्दिष्ट राशि सीधे ऋणदाता को ऋण चुकोती के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दे। उधारकर्ता ऋणदाता को इस भुगतान को सुगम बनाने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने का अधिकार देता है।
- f) कानूनी कार्यवाही: ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, इस समझौते की धारा 16 में उल्लिखित मध्यस्थता या किसी न्यायालय के माध्यम से, कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। उधारकर्ता इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी लागतों, जिसमें कानूनी शुल्क, न्यायालय शुल्क और अन्य खर्च शामिल हैं, का वहन करने के लिए सहमत है।
- g) अतिरिक्त अधिकार: ऋणदाता इस समझौते, किसी भी संबंधित दस्तावेज़ (जिसमें ऋण सारांश शामिल है), और लागू कानूनों के तहत उपलब्ध अन्य सभी अधिकारों को बनाए रखता है।

9.2 चूक की स्थिति में अधिकारों का प्रवर्तन:

- a) डिफॉल्ट की सूचना: यदि उधारकर्ता अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता डिफॉल्ट का विवरण देते हुए और सभी बकाया राशि के भुगतान का अनुरोध करते हुए एक लिखित नोटिस जारी करेगा। यदि उधारकर्ता नोटिस की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता से ऋण राशि या कोई अन्य बकाया शुल्क वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- b) प्रवेश और वसूली का अधिकार: यदि उधारकर्ता ऋणदाता के पुनर्भुगतान अनुरोध का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता के पास, लागू कानूनों द्वारा अनुमत के अनुसार, ऋण राशि और किसी भी अन्य देय शुल्कों के पुनर्भुगतान की मांग करने के लिए किसी भी स्थान या पते पर प्रवेश करने का अधिकार है।
- c) डिफॉल्ट की स्थिति में उधारकर्ता की जानकारी का प्रकटीकरण: यदि उधारकर्ता निर्दिष्ट देय तिथि(तिथियों) पर ऋण के अंतर्गत देय किसी भी राशि, जिसमें ब्याज भी शामिल है, का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता, आरबीआई के निर्देशों के साथ मिलकर, उधारकर्ता और ऋण के बारे में जानकारी का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें डिफॉल्ट का

विवरण भी शामिल है। यह प्रकटीकरण अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट सूचना कंपनियों ("CICs"), या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी को किया जा सकता है। प्रकटीकरण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और ऋणदाता या RBI द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। इस समझौते और ऋण दस्तावेजों में प्रवेश करके, उधारकर्ता ऋणदाता, आरबीआई, और संबंधित सीआईसी द्वारा ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देता है। यह सहमति उधारकर्ता द्वारा इस बात की समझ की पुष्टि में दी गई है कि ऐसे प्रकटीकरण उनके क्रेडिट-योग्यता और वित्तीय प्रतिष्ठा पर संभावित प्रभाव डाल सकते हैं। इस मामले में, ऋणदाता, जिसमें इसके अधिकारी, एजेंट या नामित व्यक्ति, एलएसपी शामिल हैं, को ऋण से संबंधित उधारकर्ता द्वारा अनुभव किए गए किसी भी प्रतिष्ठा संबंधी हानि, किसी अन्य क्षति, सीमा या अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

- d) लागू कानून या इक्विटी के तहत कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए, या लागू कानून के तहत कोई अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग करने के लिए, जिसमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- e) बकाया शेष की वसूली और/या तथा जमानत सुरक्षा (यदि लागू हो) की रक्षा के उद्देश्य से, ऋणदाता द्वारा उचित समझी जाने वाली ऐसी कार्रवाइयाँ करना।

10. खाता विवरण

ऋणदाता द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार खाता विवरण, ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय बकाया राशि का निर्णायक प्रमाण होगा। किसी भी विशेष समय पर देय राशि को दर्शाता हुआ ऋणदाता द्वारा तैयार किया गया खाता विवरण, ऋणी के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ताओं द्वारा देय और प्रत्येक ब्याज की गणना में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि है, तो इसमें निहित कोई भी बात ऋणदाता के हित या उसके बकाया की वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। बशर्ते कि ऋणदाता, उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशियों के संबंध में खाते का कोई भी प्रमाणपत्र/अंश केवल तभी जारी कर सकता है, जब उधारकर्ताओं ने सभी राशियाँ का भुगतान कर दिया हो और इस समझौते की सभी शर्तों का पालन किया हो।

11. ऋण का प्रमाण

ऋणदाता अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार, खाते बनाए रख सकता है, जो समय-समय पर ऋणदाता द्वारा उधार दी गई राशि और इस अनुबंध के तहत बकाया शेष राशि को दर्शाते हैं। इस अनुबंध से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही में, ऋणदाता द्वारा बनाए गए खातों में की गई प्रविष्टियाँ, जैसा कि उनमें दर्ज है, बकाया शेष राशि और उधारकर्ताओं के दायित्व की राशि के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होंगी।

12. प्रकटीकरण

- 12.1 ऋणी, ऋणदाता द्वारा ऋणी के सभी या किसी भी जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण और साक्षात्करण के लिए सहमत हैं, स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं, जिसमें ऋणी का व्यक्तिगत डेटा, शिक्षा ऋण सुविधा, ऋण खाता, और यह समझौता शामिल है, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है, जिसमें उनके दायित्वों के निर्वहन में ऋणी द्वारा किया गया कोई भी चूक (यदि कोई हो) से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा उचित या प्रकटीकरण और प्रदान करने के लिए बाध्य समझा जा सकता है, को (i) आरबीआई और/या सिबिल या आरबीआई द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो को और/या (ii) शैक्षिक संस्थान और/या किसी अन्य वित्तीय संस्थान और/या समय-समय पर लागू कानून के तहत इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जिसे ऋणदाता अपनी एकमात्र विवेकाधिकार में उचित समझे और/या (iii) शिक्षा ऋण सुविधा के अंतर्गत या उससे संबंधित ऋणदाता या अन्य प्रतिभागियों के किसी भी अधिकार और दायित्वों के कोई वास्तविक या संभावित असाइनसी (अधिकार प्राप्तकर्ता) या नोवटी (अधिकार हस्तांतरित प्राप्तकर्ता) या ट्रांसफर (हस्तांतरित प्राप्तकर्ता) या प्रस्तावित असाइनमेंट या हस्तांतरण से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए या ऋणदाता के कोई संभावित या वास्तविक ऋणदाता। ऋणग्राही विशेष रूप से गोपनीयता, मानहानि, गोपनीयता और रहस्य के अधिकार को त्यागते हैं।

12.2 ऋणी:

- i. स्वीकार करते हैं कि आरबीआई या सिबिल या कोई अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो और लागू कानून के तहत अधिकृत कोई अन्य वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण, शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई किसी भी जानकारी और डेटा का, ऐसी परिस्थितियों में उन प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी तरीके से उपयोग, प्रसंस्करण, प्रसारण कर सकते हैं; और
- ii. इस संबंध में ऋणदाता को उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

- 12.3 कर्जदार इस बात से सहमत है कि यदि इस समझौते के तहत दायित्वों के पालन में कोई चूक की जाती है, तो ऋणदाता और/या आरबीआई या किसी अन्य एजेंसी को कर्जदारों के विवरण को चूककर्ता के रूप में इस तरह और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा जैसा कि ऋणदाता या आरबीआई उपयुक्त समझे।

13. डेटा संरक्षण और सूचना सुरक्षा:

- 13.1 पक्ष सभी लागू डेटा संरक्षण कानूनों (जैसा कि नीचे परिभाषित है) का अनुपालन करेंगे।

- 13.2 इस समझौते के प्रयोजन के लिए, "डेटा संरक्षण विधान" का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के संरक्षण और व्यक्तिगत डेटा की प्रक्रिया, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या अनुप्रयोग या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित लागू विधान और विनियम, जिसमें शामिल हैं (बिना किसी सीमा के):

- i. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (समय-समय पर संशोधित), जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 ("गोपनीयता नियम") और इसके अंतर्गत बनाए गए कोई अन्य लागू नियम शामिल हैं;
- ii. किसी भी नियामक द्वारा किसी भी पक्ष को जारी किए गए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या व्यक्तिगत डेटा या किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अनुप्रयोग से संबंधित सभी अन्य लागू उद्योग दिशानिर्देश (वाहे वैधानिक हों या गैर-वैधानिक) या आचार संहिताएँ;
- iii. व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या अनुप्रयोग या गोपनीयता से संबंधित कोई अन्य लागू कानून।

- 13.3 प्रत्येक उधारकर्ता एतद्वारा वारंट करता है कि उनके द्वारा प्रदान किया गया व्यक्तिगत डेटा सटीक, अद्यतित और सत्य है।

- 13.4 प्रत्येक उधारकर्ता सहमत है और ऋणदाता, उसके सहयोगियों और उनके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों को, इस समझौते की शर्तों से संबंधित और उनसे जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने का अधिकार देता है।

- 13.5 प्रत्येक उधारकर्ता सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता को लागू कानूनों, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 शामिल है, के अनुसार व्यक्तिगत डेटा और लेनदेन की प्रकृति के रिकॉर्ड को संग्रहीत करने, बनाए रखने या संरक्षित करने का अधिकार है।

- 13.6 प्रत्येक ऋणी सटीक व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने और ऋणी की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित विवरणों में किसी भी परिवर्तन पर, ऋणदाता की

आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर ऋणदाता को सूचित करने के लिए सहमत है और पुष्टि करता है।

- 13.7 प्रत्येक उधारकर्ता आगे यह स्वीकार करता है, सहमत है और समझता है कि ऋणदाता अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग, साझा, संसाधित, प्रकट या स्थानांतरित कर सकता है, जैसा कि लागू कानूनों और/या आचार संहिता की शर्तों के अनुसार हो और/या जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 13.8 ऋणी सहमत है और पुष्टि करते हैं कि व्यक्तिगत डेटा का विवरण जिसे ऋणी द्वारा हटाने का अनुरोध किया गया है, उसे ऋणदाता अपनी फ़ाइलों और डेटाबेस में कुछ परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए रखा जा सकता है, जिसमें विवादों को सुलझाना, समस्याओं का निवारण करना और बकाया शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता की शर्तों और नियमों को लागू करना शामिल है।
14. अन्य शर्तें:
 - 14.1 केवाईसी और आधार जानकारी के लिए सहमति: उधारकर्ता ऋणदाता को अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करने और उन्हें बनाए रखने की सहमति देता है। ऋणी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और यूआईडीएआई से केवाईसी जानकारी साझा करने और प्राप्त करने के लिए ऋणदाता को अधिकृत करता है। आधार पर अपने स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करके, ऋणी ऋणदाता को बैंकिंग सेवाओं और आधार-आधारित सत्यापन के लिए अपने आधार विवरण को प्रमाणीकृत करने और उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - 14.2 वेतन कटौती के लिए सहमति: उधारकर्ता (यदि वेतनभोगी है) इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और सहमति देता है: "मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए अपना वेतन खाते का बैंक विवरण और आवश्यक अन्य विवरण प्रदान करूँगा। मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरी जनसांख्यिकी, रोजगार और वेतन खाते से संबंधित सभी जानकारी सटीक है। यदि ऋणदाता द्वारा इस जानकारी में से कोई भी झूठी पाई जाती है, तो मैं तुरंत ऋण राशि का पुनर्भुगतान करने का वचन देता हूँ।"
 - 14.3 शुल्कों और फीस का भुगतान: उधारकर्ता सभी लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत है, जिसमें गैर-वापसी योग्य अग्रिम लेनदेन या प्रसंस्करण शुल्क, साथ ही समय-समय पर उत्पन्न होने वाले कोई अन्य शुल्क या फीस शामिल हैं। ये शुल्क इस समझौते में निर्दिष्ट अनुसार या ऋणदाता द्वारा सूचित अनुसार देय होंगे।
 - 14.4 पूर्व-ईएमआई/खंडित अवधि ब्याज कटौती के लिए सहमति: उधारकर्ता hereby इस बात पर सहमति देता है कि (यदि लागू हो) वितरित की जा रही ऋण राशि से पूर्व-ईएमआई/खंडित अवधि ब्याज राशि की कटौती की जाए। यह सहमति ऋण वितरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में (यदि लागू हो) ऐसी कटौतियाँ करने के लिए ऋणदाता को अधिकृत करती है।
 - 14.5 तृतीय-पक्ष सेवाएँ: उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि यदि वे ऋणदाता या उसके एलएसपी के माध्यम से किसी भी तृतीय-पक्ष सेवा का लाभ उठाते हैं, तो ऐसी तृतीय-पक्ष सेवाओं के लिए शुल्क या चार्ज ऋण राशि से काट लिए जाएँगे। ऋणदाता और उसका एलएसपी ऐसे तृतीय पक्षों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता या प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तृतीय-पक्ष उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय पूरी तरह से उधारकर्ता के विवेक पर है। इन तृतीय-पक्ष सेवाओं से संबंधित कोई भी परिवर्तन या रद्दीकरण, उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार, सीधे संबंधित तृतीय पक्ष के साथ ही प्रबंधित किया जाना चाहिए। उधारकर्ता द्वारा उपयोग किए गए तृतीय-पक्ष उत्पादों और सेवाओं से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी दावे या हानि के लिए ऋणदाता और उसके एलएसपी जिम्मेदार नहीं होंगे।
 - 14.6 संचार और डेटा साझाकरण के लिए सहमति: उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता, उसके एलएसपी, और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी और डेटा का उपयोग करके किसी भी संचार चैनल, जिसमें ईमेल, टेलीफोन, एसएमएस, और अन्य तरीके शामिल हैं, के माध्यम से उनसे संपर्क करने के लिए सहमति देता है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता ऋणदाता को यह जानकारी अपने सहयोगियों, समूह कंपनियों, या उनके एलएसपी और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को प्रकट करने का अधिकार देता है। यह प्रकटीकरण उधारकर्ता को विभिन्न वित्तीय/निवेश उत्पादों और पेशकशों पर जानकारी और अपडेट प्रदान करने के उद्देश्य से है।
 - 14.7 अतिरिक्त दस्तावेज और प्रतिबद्धताएँ: ग्राहक ऐसे सभी समझौते, दस्तावेज, प्रतिबद्धताएँ, घोषणाएँ निष्पादित करेगा, जिनकी आवश्यकता ऋणदाता को अब या कार्यकाल के दौरान किसी भी समय और शिक्षा ऋण के ऋणदाता की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूर्ण रूप से चुकता होने तक हो सकती है।
 - 14.8 लागू कानूनों का अनुपालन: उधारकर्ता सभी लागू कानूनों, जिसमें उनके किसी भी संशोधन, परिवर्तन या बदलाव शामिल हैं, का अनुपालन करने के लिए सहमत है, जो उधारकर्ता को प्रभावित कर सकते हैं। उधारकर्ता ऐसे कानूनों के अनुपालन में उधारकर्ता की विफलता के कारण हुए किसी भी हानि, दावे या व्यय के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करेगा।
 - 14.9 ऋण दस्तावेजों का प्राधान्य: इस अनुबंध और ऋण दस्तावेजों के बीच किसी भी विषंगति की स्थिति में, ऋण अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू होंगी।
 - 14.10 दस्तावेजों की भाषा: यदि यह अनुबंध या कोई संबंधित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में निष्पादित या संदर्भित किया जाता है, तो दूसरी भाषा में किसी भी शब्द, वाक्य या खंड की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में इस अनुबंध या ऐसे दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण सही और अंतिम माना जाएगा।
15. समाप्ति:

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर किसी भी समय, बिना किसी देयता के, शिक्षा ऋण सुविधा या उसके किसी भी हिस्से को समाप्त, रद्द या वापस ले सकता है, जिसके पश्चात बकाया शेष राशि (उस पर ब्याज और सभी अन्य लागतें, शुल्क, व्यय, जिसमें चूक की स्थिति में ऋणदाता द्वारा उठाया गया लाभ का नुकसान और अन्य बकाया राशि शामिल है) तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगी और ऋणदाता द्वारा इस संबंध में मांग किए जाने पर तत्काल देय होगी।
16. विवादों का निपटान और शासकीय कानून
 - 16.1 आपसी समझौता और मध्यस्थता: इस समझौते से उत्पन्न या इससे संबंधित कोई भी विवाद या मतभेद का समाधान सबसे पहले ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आपसी समझौते से करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई समाधान नहीं हो पाता है, तो विवाद को उधारकर्ता के किसी भी आपत्ति के बिना, विशेष रूप से ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ के पुरस्कार (निर्णय) अंतिम, निर्णायक और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही बेंगलुरु में होगी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी।
 - 16.2 शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार: यह समझौता, और कोई भी संबंधित ऋण दस्तावेज, भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे, जिसमें लागू कानून शामिल हैं। बेंगलुरु की अदालतों को इस समझौते और किसी भी संबंधित दस्तावेज की व्याख्या और प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा (जिसमें इस समझौते के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित विवाद शामिल है) ("विवाद")।
 - 16.3 धारा 16.2 (न्यायक्षेत्र) केवल ऋणदाता के लाभ के लिए है। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को अपने विवेक और सुविधा के अनुसार किसी अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा, जिसमें वे क्षेत्राधिकार भी शामिल हैं जहाँ तब उधारकर्ता निवास और/या

रोजगार कर रहे हैं और/या चूक की घटना के स्थान पर और/या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ इस समझौते से पार्टियों के बीच कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी संख्या में अधिकारक्षेत्रों में समवर्ती कार्यवाही कर सकता है।

- 16.4 संदेह से बचने के लिए, ऋणदाता को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को लागू करने का अधिकार होगा, जिसमें बकाया राशि और जमानत (यदि लागू हो) के संबंध में उसके अधिकार शामिल हैं, और समय-समय पर भारत में प्रचलित लागू कानून के तहत सभी प्रकार के उपाय खोजने का अधिकार होगा, जिसमें, बिना किसी सीमा के, प्रतिभूति और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत उपाय शामिल हैं।
- 16.5 ऋणग्रहीतागण अटूट रूप से सहमत हैं कि, यदि ऋणदाता कहीं भी कोई कार्यवाही करता है (चाहे निषेधाज्ञा, विशिष्ट निष्पादन, हर्जाने या इस समझौते के संबंध में अन्यथा), उन कार्यवाहियों से, उसकी संपत्ति (यदि लागू हो) की कुर्की से (चाहे निष्पादन में सहायता के लिए, निर्णय से पहले या अन्यथा) या निर्णय के निष्पादन से, उसके द्वारा या उसकी संपत्ति के संबंध में कोई प्रतिरक्षा (इस हद तक कि यह किसी भी समय मौजूद हो सकती है, चाहे संप्रभुता के आधार पर हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा, और ऐसी किसी भी प्रतिरक्षा को अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दिया जाता है। ऋणी असंशोधनीय रूप से सहमत हैं कि वे और उनकी संपत्ति (यदि लागू हो) इस समझौते के तहत उनकी देनदारियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही, जब्ती या निष्पादन के अधीन हैं और रहेंगे।

17. विविध

17.1 सूचना

ऋणी यह स्वीकार करता है और सहमत है कि इस अनुबंध या लागू कानूनों के तहत ऋणदाता द्वारा प्रदान किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज़, नोटिस, संचार, ईमेल, संदेश या मांग, यदि ऋणदाता द्वारा किसी भी संपर्क विकल्प का उपयोग करके भेजा जाता है, तो उसे विधिवत वितरित और बाध्यकारी माना जाएगा। ऋणी अपने पसंदीदा संचार चैनलों की नियमित रूप से जाँच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि ऋणदाता के पास नवीनतम संपर्क जानकारी है। ऋणदाता ऐसे किसी भी अतिरिक्त पते पर भी नोटिस भेज सकता है जो उसके ज्ञात हों। यदि ऋणदाता उधारकर्ता को अपने पते में परिवर्तन की सूचना देता है, तो उधारकर्ता भविष्य के सभी नोटिस नए पते पर भेजने के लिए सहमत है। उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या ऋण दस्तावेजों या उसकी वेबसाइट में प्रकट किए गए समर्पित ईमेल आईडी पर भेजे जाने चाहिए और ऋणदाता द्वारा वास्तविक प्राप्ति पर ही प्राप्त माना जाएगा।

17.2 क्षतिपूर्ति

ऋणग्राही, ऋणदाता के किसी अन्य अधिकार को प्रभावित किए बिना, किसी भी हानि, लागत, शुल्क या व्यय या अन्य देनदारियों के विरुद्ध, जिन्हें ऋणदाता डिफॉल्ट की घटना, या ऋणग्राही की ओर से चूकी गई और/या की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप हुए या सहन किए गए या वहन किए गए प्रमाणित करेगा, ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति किए रखने तथा सुरक्षित और हानिरहित रखने के लिए सहमत होगा, या शिक्षा ऋण सुविधा के कारण, या किसी भी ऋण दस्तावेज़ की किसी भी शर्तों और नियमों के उल्लंघन के कारण, या शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी अन्य समझौते के कारण अन्यथा। ऋणदाता द्वारा इस क्षतिपूर्ति का आह्वान करने पर, उधारकर्ता तुरंत और बिना किसी देरी के, बिना किसी आपत्ति या विरोध के, ऋणदाता को उक्त सभी राशियों का भुगतान और प्रतिपूर्ति करेगा।

17.3 संशोधन

ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर इस समझौते या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी कोई भी संशोधन भावी प्रभाव से लागू होगी। उधारकर्ताओं को ऋणदाता की वेबसाइट पर पोस्ट करने या ऋणदाता द्वारा चुने गए किसी भी संपर्क विकल्प के माध्यम से किसी भी संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। ऋणदाता द्वारा किए गए संशोधन उधारकर्ता के विरुद्ध बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। यदि उधारकर्ता संशोधनों से असहमत है, तो उनके पास ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने का विकल्प है।

17.4 सेवा प्रदाता

ऋणग्राहकों द्वारा यह सहमति दी जाती है कि ऋणदाता के किसी भी अधिकार को प्रभावित किए बिना, सभी कृत्य/ऐसे कदम जो ऋणदाता द्वारा बकाया राशि और उसके उपयोग की निगरानी या समीक्षा करने और/या यहां के नियमों और शर्तों के साथ उधारकर्ताओं के अनुपालन के दायित्वों की और/या इस समझौते के तहत और किसी भी सुविधा दस्तावेज़ और शिक्षा ऋण सुविधा या उसके किसी भी भाग या अंश के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को देय राशि की वसूली के लिए उठाए जाने आवश्यक हैं, ऐसे अन्य व्यक्ति (एक कंपनी या निकाय सहित) द्वारा और/या उनके माध्यम से किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर ऋणदाता द्वारा इसके संबंध में नियुक्त किया जा सकता है, और यह कि ऋणदाता को हर समय ऐसे किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के साथ, जिसे इस प्रकार ऋणदाता द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, उधारकर्ताओं और/या शिक्षा ऋण सुविधा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, दस्तावेज़, खातों के विवरण और अन्य डेटा साझा करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, ऋणी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि ऋणदाता, स्वयं या अपने अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखे बिना, पूर्ण रूप से हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के एक या एक से अधिक तीसरे पक्षों को नियुक्त करे और ऐसे तीसरे पक्षों को हस्तांतरित या प्रत्यायित करे, उधारदाताओं की ओर से, इस अनुबंध के अंतर्गत तथा शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में उधारदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी अन्य अनुबंध के अंतर्गत सभी बकाया राशि को वसूलने का अधिकार और प्राधिकरण, और उससे संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, दस्तावेजों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने का अधिकार, जिसमें उधारकर्ता(ओं) के कार्यालय या आवास पर उपस्थित होना, देय राशि प्राप्त करना और सामान्यतः ऐसे उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयां करना शामिल है।

17.5 विवेकाधीन अधिकार

ऋणदाता इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार रखता है। यदि ऋणदाता एक अधिकार के बजाय दूसरे अधिकार का प्रयोग करना चुनता है, तो इसे भविष्य में दूसरे विकल्प का प्रयोग करने के अधिकार का त्याग नहीं माना जाएगा। इस अनुबंध के तहत उधारकर्ताओं द्वारा किसी भी उल्लंघन या चूक पर ऋणदाता को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक, ऋणदाता के ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को कमजोर नहीं करेगी, न ही इसे किसी ऐसे उल्लंघन या चूक की छूट या उसमें सहमति के रूप में समझा जाएगा। इसके अलावा, किसी एक उल्लंघन या चूक की कोई छूट को किसी अन्य उल्लंघन या चूक की छूट नहीं माना जाएगा। इस अनुबंध में ऋणदाता को प्रदान किए गए अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपायों के अनन्य नहीं हैं।

17.6 प्रतिलिपियाँ

इस समझौते पर कई प्रतियों में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

17.7 प्रावधानों की वैधता

यदि इस अनुबंध या किसी संबंधित दस्तावेज़ का कोई भाग या प्रावधान लागू कानून के तहत अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो अनुबंध या ऐसे दस्तावेज़ के शेष भाग या प्रावधान तब तक मान्य और प्रवर्तनीय रहेंगे, बशर्तें वे उस भाग या प्रावधान से प्रभावित न हों जो अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो गया है।

17.8 फोरस माज्योर

- देयता से छूट: ऋणदाता इस समझौते की शर्तों का अनुपालन करने में किसी भी देरी या विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसी देरी या

- विफलता उसके उचित नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण और उसकी ओर से किसी गलती के बिना हुई हो। इसमें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, आग, युद्ध, विद्रोह, महामारी, सरकारी प्रतिबंध, आतंकवाद के कृत्य, कंप्यूटर सिस्टम की विफलताएं, किसी भी सरकारी प्राधिकरण, विभाग, परिषद या अन्य प्राधिकरण के किसी भी कानून, नियम, विनियम, आदेश, कृत्य, हड़ताल, तालाबंदी या किसी अन्य कारण (चाहे वे समान प्रकृति के हों या नहीं) या प्रकृति की अन्य घटनाएं ("फोर्स मैज्योर इवेंट") शामिल हैं जो ऋणदाता के नियंत्रण से परे हैं।
- ii. निवारण प्रयास: किसी भी बलपूर्वक घटना के घटित होने के बावजूद, ऋणदाता इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के पालन पर ऐसे घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए उचित परिश्रम का उपयोग करेगा।

17.9 स्वीकृति:

- 17.9.1 कर्जदार पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस समझौते में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों की पूरी तरह से समीक्षा की है, उन्हें समझा है और उन पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें ऋण से संबंधित विवरण, मासिक किश्तों की गणना के लिए ऋणदाता की विधि, और लागू शुल्क शामिल हैं। इस अनुबंध और किसी भी संबंधित दस्तावेज़ को उधारकर्ताओं को ऐसी भाषा में समझाया गया है जिसे वे समझते हैं, और उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि वह इसमें निहित सभी खंडों को समझता है और इस अनुबंध की सामग्री को समझने और सत्यापित करने के बाद ही उसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 17.9.2 ऋणी यह स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता केवल ऋणी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और वारंटियों के आधार पर, साथ ही इस समझौते और ऋण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों का पालन करने की ऋणी की प्रतिबद्धता के आधार पर, ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह अनुबंध उस तिथि और उस स्थान पर संपन्न होगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा, जहाँ ऋणदाता का अधिकृत अधिकारी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस अनुबंध के तहत ऋणदाता को देय सभी धनराशियों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता।

****अनुबंध समाप्त****

अनुसूची ए

जन्म तिथि घोषणा - उधारकर्ता

दिनांक:

मैं

एस/ओ डी/ओ डब्ल्यू/ओ

निवासी

अतः मैं निम्नलिखित घोषित करता हूँ:

1. कि, मैं भारत का नागरिक हूँ;
2. कि, मेरे पैन कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि अर्थात् है;
3. कि यह मेरा सत्य और सही कथन है।

सही है और इसका उपयोग सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता

धन्यवाद।

अनुसूची बी

जन्मतिथि घोषणा – सह-ऋणी(यों)

दिनांक:

मैं

S/O D/O W/O

निवासी

अतः मैं निम्नलिखित घोषित करता/करती हूँ:

1. कि, मैं भारत का नागरिक हूँ;
2. कि, मेरे PAN कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि अर्थात् है;
3. कि यह मेरा सत्य और सही कथन है।

सही है और इसका उपयोग सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता

धन्यवाद।

अनुसूची C वीज़ा से पूर्व नियम और शर्तें

1. प्रतिज्ञाएँ और प्रतिबद्धताएँ

प्रत्येक उधारकर्ता एतद्वारा एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रति यह प्रतिज्ञा और वचन देता है कि उधारकर्ता के वैध वीज़ा के विलंब और/या प्राप्ति न होने की स्थिति में:

(a) ऋणी, एडग्रो द्वारा वितरित संपूर्ण राशि का संचयी और बकाया ब्याज राशि और अन्य सभी लागतों और शुल्कों सहित पुनर्भुगतान करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे तथा सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे कि एडग्रो या उसकी ओर से अधिकृत कोई व्यक्ति या इकाई शैक्षणिक संस्थान/ ऋणी(यों) को मांग पर बिना किसी टालमटोल या देरी के, उक्त राशि की वसूली में हुए लागू लागतों और शुल्कों के साथ, संपूर्ण राशि का पुनर्भुगतान करना होगा; और ऋणी(यों) विदेशी मुद्रा रूपांतरण में उतार-चढ़ाव/अस्थिरता के कारण उत्पन्न किसी भी हानि को, रिफंड प्राप्त करने के समय बिना किसी देरी या टालमटोल के, या तो उसके लिए भुगतान करके या रिफंड राशि की प्राप्ति में किसी भी कमी के लिए एडग्रो को मुआवजा देकर वहन करेंगे।

2. सूचना संबंधी प्रतिज्ञापत्र

- (a) ऋणी hereby एडग्रो के साथ यह संधि करते हैं कि ऋणी तुरंत एडग्रो को उस शुल्क की रसीद की प्रति प्रदान करेंगे जो शैक्षिक संस्थान से प्राप्त हुई है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम करने के लिए ऋणी का शुल्क शैक्षिक संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया गया है; और
- (b) ऋणी आगे एडग्रो के साथ यह संविदा करते हैं कि वे आव्रजन प्राधिकरणों के संबंधित कार्यालय से प्राप्त होने पर तुरंत ऋणी के वीज़ा की प्रति एडग्रो को प्रदान करेंगे।

इसके साक्ष्य के लिए, पक्षकारों ने इस अनुबंध को इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि पर निष्पादित किया है।

नामित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और प्रेषित,
(ऋणी का नाम)

ऋणी हस्ताक्षर

नामित सह-ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रदत्त (यदि कोई हो)

सह-ऋणी हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती के हस्ताक्षर द्वारा एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को हस्ताक्षरित और प्रेषित।

एडग्रो प्राधिकरण हस्ताक्षर

अनुसूची डी बीमा वित्त पोषण - सहमति पत्र

दिनांक:

सेवा में,

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

बेंगलुरु

ऋण संदर्भ संख्या:

प्रिय महोदय/महोदया, मैं/हम, (1) _____ (इसके पश्चात सामूहिक रूप से सह-ऋणी(यों) के रूप में संदर्भित) ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है, जिसकी राशि रु. _____ है, ऋण संदर्भ संख्या _____ (इसके पश्चात "उक्त ऋण" के रूप में संदर्भित), जो एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है।

- मैं/हम एतद्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि, सत्यापन, प्रतिज्ञा और गारंटी करते हैं कि:
- मुझे/हमें _____ के लाभों के बारे में सूचित किया गया है।
- मैं/हम एतद्वारा यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देता/देते हैं कि मैं/हम उक्त बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों से पूरी तरह अवगत हूँ/हैं और मैंने/हमने इसे स्वेच्छा से, जानबूझकर और किसी भी प्रकार की बाध्यता के बिना लेने का निर्णय लिया है।
- मैं/हम एतद्वारा एडग्रो को उपरोक्त बीमा पॉलिसी के लिए एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करने का अधिकार देते हैं और यह स्वीकृत ऋण राशि से भुगतान का हिस्सा होगा और मैं/हम ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार इसे चुकाने के लिए बाध्य होंगे।
- मैं/हम अवगत हूँ/हैं कि जीएसटी सहित रु. _____ का प्रीमियम प्रकृति में अनुमानित है और बीमा कंपनी द्वारा किसी भी कारण से संशोधन के अधीन है तथा समय-समय पर लागू होने वाली बीमा कंपनी की शर्तों और नियमों के अधीन है, जिनका पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम hereby स्वीकार करते हैं

ऋणी

(दिनांक)

सह-ऋणी

(दिनांक)

अनुसूची ई वितरण अनुरोध प्रपत्र

दिनांक:

से:

("ऋणी")

को,

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
दूसरी मंजिल, संख्या: 1614/1615, एंजाइम 7वीं क्रॉस, 19वीं मुख्य सड़क,
पहला सेक्टर, एचएसआर लेआउट,
बेंगलुरु, कर्नाटक, 560102 ("ऋणदाता")

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: ऋण निकासी का अनुरोध

मुझे/हमें रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
बाद, नीचे दिए गए बैंक खाते में जमा की जाए:

उपरोक्त ऋणदाताओं द्वारा। हम अनुरोध करते हैं कि ऋण राशि, मेरे स्वयं के योगदान (यदि लागू हो) की कटौती के

	उद्देश्य हेतु	बीमा के लिए
वितरण राशि:		
वितरण लाभार्थी / भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम:		
वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण:		
खाता धारक का नाम:		
बैंक खाता संख्या:		
आईएफएससी कोड:		
क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन के लिए अन्य विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं

मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं कि इस पत्र में मेरे/हमारे निर्देशों के अनुसार, शैक्षिक संस्थान या उपरोक्त सूचीबद्ध संस्थाओं को ऋण की राशि का भुगतान, मुझे/हमें ऋण की पूरी राशि का भुगतान माना जाएगा।

मैं/हम आगे यह स्वीकार करते हैं कि ऋणदाताओं की निर्दिष्ट पक्षों को ऋण के वितरण संबंधी कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा। मैं/हम ऋण की शर्तों के अनुसार, किसी भी देरी, शैक्षिक सेवाओं या परिसंपत्तियों की गैर-वितरण, दोषों, या ऐसी सेवाओं या परिसंपत्तियों की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, या ऋण राशि के उपयोग से संबंधित किसी अन्य मामले की परवाह किए बिना, ऋण चुकाने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

मैं/हम ऋणदाताओं को अधिकृत करते हैं कि वे मेरे/हमारे द्वारा अदा किए गए शुल्कों से निर्दिष्ट पक्षों को भुगतान करें, जिसमें शैक्षिक सेवाओं या परिसंपत्तियों में सुरक्षा हित को पूर्ण करने से संबंधित शुल्क और ऋण से संबंधित किसी भी अन्य सहायता के लिए शुल्क शामिल हैं।

केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए नीचे दिए गए नियम:

- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थान में नामांकन या पंजीकरण कर लिया है।
- मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम सीधे शैक्षणिक संस्थान से शैक्षिक पाठ्यक्रम प्राप्त करूंगा/करेंगे।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी रद्दीकरण या परिवर्तन की स्थिति में, मैं/हम एडग्रो द्वारा निर्दिष्ट खाते में जारी की गई किसी भी राशि को वापस करने के लिए शैक्षिक संस्थान को अधिकृत और निर्देशित करते हैं।
- मैं/हम शैक्षिक पाठ्यक्रम के आरंभ होने या शैक्षिक पाठ्यक्रम की संपत्तियों की प्राप्ति पर ऋणदाताओं को तुरंत सूचित करूंगा/करेंगे।

बड़ी अक्षरों में लिखे गए शब्द, जब तक कि यहाँ अन्यथा परिभाषित न किए गए हों, उन पर ऋण शर्तों और ऋण आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अर्थ लागू होंगे।

भवदीय,

(ऋणी)

अनुसूची F

माँग प्रतिज्ञापत्र

माँग पर, हम, 1) _____ और 2) _____ और ("ऋणी"), संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से, एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को, या उसके आदेशानुसार, केवल _____ रुपये की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, साथ ही इस समझौते के अनुसार देय ब्याज राशि का भी भुगतान करेंगे, जो एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ऋणियों के बीच _____ को किया गया था। ("ऋण अनुबंध"), विलंबित भुगतान शुल्क, यदि लागू हो, और उधारकर्ताओं द्वारा एडग्रो को देय कोई अन्य देय राशि और शुल्क, जिसमें ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय सभी लागतें, खर्च और अन्य राशि शामिल हैं, उपरोक्त राशियों का पूर्ण भुगतान होने तक, मूल्य प्राप्ति पर देय है।

यहाँ उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए बड़े अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ इस ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट अर्थ होगा।

यह मांग प्रत्याशा पत्र लागू कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।

रूपये _____ /-

उधारकर्ता का नाम: _____

ऋणी

सह-ऋणी का नाम (यदि कोई हो): _____

सह-ऋणी

अनुसूची G

(ऋण सारांश अनुसूची को उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाता (एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के बीच निष्पादित ऋण समझौते के साथ पढ़ा जाएगा और इसे ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।)

ऋण सारांश अनुसूची			
ऋण संदर्भ संख्या		ऋण अनुबंध के निष्पादन का स्थान	बेंगलुरु
ऋण अनुबंध की तिथि			
उधारकर्ताओं का विवरण	वर्तमान पता	स्थायी पता	ई-मेल
विश्वविद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान का नाम		विश्वविद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान का पता	
शैक्षिक पाठ्यक्रम का नाम		रुचि का प्रकार	
कोर्स की अवधि		अनुमोदित ऋण राशि	
मोराटोरियम अवधि		ऋण अवधि	
उपलब्धता अवधि	<p>अनुबंध के निष्पादन की तारीख से तीन महीनों* के भीतर पहली किश्त प्राप्त किए जाने की शर्त पर, पहली किश्त के वितरण की तारीख से अध्ययन की कुल अवधि।</p> <p>*उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में आवश्यकता में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, एडग्रो के एकमात्र विवेकाधिकार पर तीन महीने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।</p>		
वार्षिक ब्याज दर	एडग्रो बेंचमार्क उधार दर - ब्याज अंतर =		

अनुसूची H

भुगतान अनुसूची			
ट्रान्च के लिए वितरण विवरण		ट्रान्च वितरण राशि	
वितरण विवरण		पीएमआईआई की संख्या	अध्ययन की अवधि के लिए और अध्ययन पूरा होने के बाद अधिकतम 12 महीने तक। अनुमानित अवधि 24 महीने है, जो समझौते की शर्तों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।
पीएमआईआई (पूर्व-मासिक किस्त ब्याज) भुगतान प्रारंभ तिथि**		प्रत्येक PMII* की राशि	
ईएमआई की शुरुआत की तिथि	उस पहली तारीख को जिस पर उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा मासिक किस्त/किश्तें चुकाई जाती हैं। ऐसी तारीख अध्ययन पूरा होने के बाद अधिकतम 12 महीनों से आगे नहीं होगी।	ईएमआई की संख्या	
ईएमआई (मासिक किस्त) भुगतान प्रारंभ तिथि		प्रत्येक ईएमआई की राशि	
भुगतान का तरीका	एसीएच	जिस बैंक खाते से पुनर्भुगतान किया जाएगा, उसके विवरण	

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "ऋणदाता" या "एडग्रो" कहा जाएगा), जो कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 2nd तल, संख्या 1613/1614, 7^{वीं} क्रॉस, 19^{वीं} मेन रोड, 1^{वां} सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक, 560102 पर सहमति बनी है और नीचे उल्लिखित हैं।

1. ब्याज दर पुनर्निर्धारण संशोधन चक्र

- तीन महीने या ऐसे अन्य अंतराल जिन्हें समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- ऋणदाता और उधारकर्ता(ओं) के बीच निष्पादित/निष्पादन किए जाने वाले ऋण समझौते की शर्तों में परिवर्तन के अधीन, ऋणदाता अपने उधारकर्ता(ओं) को ब्याज दरों में किसी भी परिवर्तन के बारे में उधारकर्ता(ओं) के पंजीकृत ई-मेल आईडी, एसएमएस, कंपनी की वेबसाइट (<https://www.edgrofin.com/>), के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करेगा, वार्षिक खाता विवरण, अपने कार्यालयों में प्रदर्शन और समय-समय पर सामान्य घोषणाएँ।

2. बीमा

- संपत्ति का बीमा: उधारकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि के दौरान, संपत्ति हमेशा भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, आंधी, चक्रवात, नागरिक अशांति आदि जैसे सभी जोखिमों के खिलाफ उचित रूप से और ठीक से बीमित हो। पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत ऋणदाता को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाए।
- ऋणी(यों) का बीमा: ऋणी(यों) शिक्षा ऋण सुविधा की अवधि के दौरान अपने लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा कवर और/या सामान्य बीमा कवर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत लेनदार को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा।

3. एडग्रो बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) का रीसेट/संशोधन

- ईबीएलआर (EBLR) को रीसेट करने के समय, एडग्रो उधारकर्ता(ओं) को पात्रता के अधीन, फ्लोटिंग दर से निश्चित ब्याज दर पर या इसके विपरीत स्विच करने का विकल्प प्रदान करेगा। ईबीएलआर (EBLR) को रीसेट करने के समय प्रदान की जाने वाली निश्चित दर एडग्रो द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर तय की जाएगी। ऋणी(यों) के पास शिक्षा ऋण की अवधि के दौरान एक बार फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में बदलने का विकल्प होगा। ऋण की अवधि के दौरान एक बार फिक्स्ड ब्याज दर से फ्लोटिंग ब्याज दर में वापस बदलने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर में और फिक्स्ड दर से फ्लोटिंग दर में ऋण बदलने के लिए लगने वाले शुल्क ऊपर तालिका में दिए गए हैं।
- फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर में स्विच करने के लिए पात्रता मानदंड
हालांकि उधारकर्ता(ओं) के पास EBLR के रीसेट के समय फ्लोटिंग रेट लोन से फिक्स्ड रेट लोन में और इसके विपरीत स्विच करने का विकल्प होता है, यह विकल्प उन उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा जो कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
 - स्विच करने के अनुरोध के समय उधारकर्ता(ओं) पर कोई बकाया PMII/EMI लंबित नहीं होना चाहिए।
 - पिछला स्विच वर्तमान अनुरोध से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले किया गया था।
 - किसी भी अन्य पात्रता मानदंड जैसा कि किसी भी समय एडग्रो द्वारा एकमात्र रूप से निर्धारित किया गया हो।
- ईबीएलआर को रीसेट करने के समय, उधारकर्ता के पास नीचे दिए गए पैरामीटर के अनुसार पीएमआईआई / ईएमआई या कार्यकाल, या दोनों को बढ़ाने या घटाने का विकल्प होगा:
 - जब EBLR कम किया जाता है:
 - आंशिक ब्याज ऋणों के लिए: ईएमआई राशि या अवधि या दोनों में कटौती का विकल्प उधारकर्ता(ओं) को उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्थिति में पीएमआईआई राशि में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - एडग्रो एजुकेशन लोन के लिए (मॉरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज का भुगतान): उधारकर्ता(ओं) को ईएमआई राशि या अवधि या दोनों में कटौती का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
 - बदलाव की तारीख पर ईएमआई का भुगतान करने वाले ऋणों के लिए: उधारकर्ता(ओं) को ईएमआई राशि या अवधि या दोनों में कटौती का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट: - किसी भी स्थिति में EBLR में कमी की स्थिति में ऋण की अवधि नहीं बढ़ेगी।

ii. जब EBLR बढ़ाया जाता है:

- आंशिक ब्याज ऋणों के लिए: PMII राशि, EMI राशि या अवधि में वृद्धि या इनका संयोजन चुनने का विकल्प उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. एडग्रो एजुकेशन लोन (मॉरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज भुगतान): PMII राशि में वृद्धि, MI राशि या अवधि में वृद्धि, या इनका संयोजन चुनने का विकल्प उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. बदलाव की तारीख पर ईएमआई का भुगतान करने वाले ऋणों के लिए: उधारकर्ता(ओं) को एमआई राशि या अवधि, या दोनों में वृद्धि का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट: EBLR में वृद्धि की स्थिति में, PMII/EMI को स्थिर रखने का विकल्प इस शर्त पर होगा कि ऋण से नकारात्मक मूल्यहास (negative amortization) न हो। ऐसे मामलों में, PMII/EMI राशि में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

- iii. ईबीएलआर में परिवर्तन के समय, उपरोक्त विकल्प उधारकर्ता(ओं) को उपलब्ध कराए जाएंगे (जिनके ऋण ईबीएलआर से जुड़े हैं):

1. यदि उपलब्ध हो तो निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प।
2. यदि उपलब्ध हो तो फ्लोटिंग दर पर स्विच करने का विकल्प।
3. पीएमआईआई / ईएमआई बदलने का विकल्प (जहाँ लागू हो)।
4. अवधि बदलने का विकल्प।
5. पीएमआईआई / ईएमआई / कार्यकाल के संयोजन को बदलने का विकल्प।
6. ऋण का आंशिक या पूर्ण पूर्व-भुगतान करने का विकल्प। धारा 4 में उल्लिखित विकल्प उधारकर्ता(ओं) को EBLR में परिवर्तन के प्रभावी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एडग्रो 21 दिनों की अवधि से परे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उधारकर्ता(ओं) को ऐसी कोई भी अनुरोध कंपनी की ग्राहक सेवा टीम के पास के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। info@edgrofin.com

4. शिक्षा ऋण सुविधा की उपलब्धता ऋण दस्तावेज़ीकरण के संतोषजनक समापन पर निर्भर है। यदि:

- a. जिस प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा ऋण सुविधा स्वीकृत की गई है, उसमें कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अंतिम वितरण, प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों के अनुकूल सत्यापन और प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा।
- b. ऋणी(यों) की आय/लाभ या भुगतान करने की क्षमता, या शिक्षा ऋण सुविधा के लिए ऋणी(यों) के आवेदन के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य, एडग्रो से छिपाया, दबाया, या छुपाया जाता है या उसे ज्ञात नहीं कराया जाता है।
- c. आवेदन में किया गया कोई भी कथन गलत या असत्य पाया जाता है।
- d. ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेज, एडग्रो द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, स्वीकृति की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किए जाते हैं, या एडग्रो द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर दी गई किसी भी अतिरिक्त समय-सीमा के दौरान निष्पादित नहीं किए जाते हैं।
- e. प्रवेश/अध्ययन से संबंधित कोई भी जानकारी, जो समय-समय पर एडग्रो द्वारा मांगी जाए, ऋणदाता द्वारा निर्धारित/अनुमोदित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई है।
- f. कानूनी उचित परिश्रम के परिणामस्वरूप, एडग्रो का यह मानना है कि ऊपर दिए गए प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना व्यवहार्य नहीं है।
- g. एडग्रो द्वारा किसी भी राशि का भुगतान गैर-निवासी बाह्य खाते (एनआरई खाते) में नहीं किया जाएगा।

5. शिक्षा ऋण सुविधा के तहत प्रत्येक किश्त का वितरण, उधारकर्ता(ओं) के अनुकूल क्रेडिट सत्यापन और वित्तीय जाँच (जाँचों) पर आधारित होगा।

6. **वितरणोपरांत औपचारिकताएँ:** उधारकर्ता(ओं) सभी वितरणोपरांत दस्तावेज़ी औपचारिकताओं (यदि कोई हो) का अनुपालन करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे, जैसा कि उधारकर्ताओं को सूचित किया गया है। इसे एडग्रो को यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा।

7. शिकायत निवारण तंत्र

एडग्रो ने एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एडग्रो के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को सुना और हल किया जाए। निदेशक मंडल भी समय-समय पर कोड के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी:

- स्तर 1 – कोई भी ग्राहक जो शिक्षा ऋण के जीवन चक्र के दौरान किसी भी समय एडग्रो द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, वह समस्या से संबंधित विवरण का उल्लेख करते हुए info@edgrofin.com पर ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकता है। मामले की जांच करने के बाद, एडग्रो शिकायतकर्ता की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए जवाब देगा। यदि शिकायतकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वे व्यवसायिक प्रथाओं, ऋण निर्णयों, क्रेडिट प्रबंधन, बीमा, आउटसोर्स एजेंसी और वसूली से संबंधित किसी भी मामले में शिकायत के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- स्तर – 2 शिकायत निवारण अधिकारी तब वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के परामर्श से शिकायत निवारण तंत्र की देखरेख करेंगे और शिकायतकर्ता की शिकायत/चिंता का निवारण करने का प्रयास करेंगे। शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (जो हमारी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है) नीचे दिए गए हैं:

गुरु प्रसाद

शिकायत निवारण अधिकारी

एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

दूसरी मंजिल, नंबर 1613/1614, 7^{वीं} क्रॉस,19^{वां} मेन रोड, सेक्टर 1, एचएसआर लेआउट,

बेंगलुरु, कर्नाटक: 560102

ईमेल: gro@edgrofin.com | फ़ोन: 7669571400

- स्तर – 3 यदि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता निम्नलिखित माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है:

वेबसाइट: <https://cms.rbi.org.in> | ईमेल: CRPC@rbi.org.in

संपर्क केंद्र (टोल-फ्री नंबर): 14448 (सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक)

वैकल्पिक रूप से, शिकायतें भौतिक माध्यम से इस पते पर भेजी जा सकती हैं:

"केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र" भारतीय रिज़र्व बैंक,

चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 166 017

** उच्च स्तर पर शिकायत केवल तब भेजी जा सकती है जब स्तर 1 (ग्राहक सेवा) और स्तर 2 (शिकायत निवारण अधिकारी) समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं।*

8. पीएमआईआई/ईएमआई की चुकौती में चूक की स्थिति में बकाया की वसूली के लिए अनुसरण की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया

- उधारकर्ता(ओं) को शिक्षा ऋण सुविधा के बकाया शेष की चुकौती प्रक्रिया, जिसमें कार्यकाल, आवृत्ति, राशि और चुकौती का तरीका शामिल है, समझाई जाती है। संबंधित देय तिथियों पर PMII/EMI का भुगतान न करने पर, ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को टेलीफोन कॉल करके, डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित सूचनाएं भेजकर या उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रदान किए गए पत्तों पर ऋणदाता के अधिकृत कर्मियों द्वारा की गई व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से याद दिलाएगा। ऐसी कॉल्स/संचार/व्यक्तिगत दौरों की लागत उधारकर्ता(ओं) से वसूल की जाएगी। यहां जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद, यह उधारकर्ता(ओं) की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि PMII/EMI संबंधित देय तिथियों पर नियमित रूप से भुगतान किए जाएं। संग्रह और वसूली गतिविधियाँ: इन्हें ऋणदाताओं द्वारा स्थापित संग्रह आचार संहिता के अनुसार LSP द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- SMA/NPA तालिका व्याख्या: 7 जून, 2019 के परिपत्र DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19, 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सतर्कतापूर्ण ढांचा' पर, ऋणदाता(ओं) को चूक होने पर उधारकर्ता खातों में तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए उन्हें विशेष उल्लेख खाते (SMA) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। स्पष्ट करने के लिए, वर्गीकरण के लिए अंतराल निरंतर हैं, और एसएमए खातों को वर्गीकृत करने का आधार निम्नानुसार है:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से बकाया हो
एसएमए-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

एनपीए वर्गीकरण का उदाहरण:

- यदि किसी खाते की देय तिथि 10 मार्च 2024 है, और ऋणदाता द्वारा इस तिथि के लिए अपनी दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी बकाया राशि/किस्त प्राप्त नहीं होती है, तो बकाया होने की तिथि 10 मार्च 2024 ही होगी।
 - यदि खाता बकाया बना रहता है, तो 09 अप्रैल, 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर यह खाता SMA-1 के रूप में टैग हो जाएगा, यानी लगातार 30 दिनों तक बकाया रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तारीख 09 अप्रैल, 2024 होगी।
 - इसी तरह, यदि खाता बकाया बना रहता है, तो 09 मई 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर इसे SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा; और
 - यदि खाता और अधिक बकाया रहता है, तो 08 जून 2024 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 'यदि "मार्च 2024" और "अप्रैल 2024" की किश्तों का भुगतान "08 जून 2024" के बाद सामूहिक रूप से कर दिया जाता है, तब भी खाते को एनपीए (NPA) के रूप में रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा। यदि सभी बकाया किश्तें (उपरोक्त उदाहरण में "मार्च 2024" से वास्तविक वसूली तक) अन्य शुल्कों/बकाया के साथ पूरी तरह से चुका दी जाती हैं, तो ही खाते को मानक संपत्ति के रूप में उन्नत/नियमित किया जाएगा और इसे एनपीए के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
9. **आपसी समझौता और मध्यस्थता:** इस अनुबंध से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई भी विवाद या मतभेद का समाधान सबसे पहले ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आपसी सहमति से करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई समाधान नहीं हो पाता है, तो विवाद को उधारकर्ता के किसी भी आपत्ति के बिना, विशेष रूप से ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, या उसके किसी वैधानिक

संशोधन या पुनः प्रवर्तन, और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही बेंगलुरु में होगी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। वैकल्पिक रूप से, और यहाँ उल्लिखित ऋणदाता के अधिकारों और उपायों के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखे बिना, ऋणदाता के पास शिक्षा ऋण सुविधा के संबंध में चूक और/या किसी भी नियम या शर्त, अनुबंध और प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की किसी भी घटना के लिए लागू कानून के तहत उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ किसी भी अन्य उपाय को लागू करने का एकमात्र विवेक और/या विशेष अधिकार होगा।

10. **अधिकार क्षेत्र:** बेंगलुरु की अदालतों को इस अनुबंध की व्याख्या और प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों तथा किसी भी संबंधित दस्तावेज़ (जिसमें इस अनुबंध के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित विवाद शामिल है) ("विवाद") पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। ऋणदाता को विवाद से संबंधित कार्यवाही किसी अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अपने विवेक और सुविधा के अनुसार करने से रोका नहीं जाएगा, जिनके पास अधिकार क्षेत्र है, जिनमें वे क्षेत्राधिकार भी शामिल हैं जहाँ उधारकर्ता उस समय निवास कर रहे हैं और/या कार्यरत हैं और/या डिफॉल्ट घटना के स्थान पर और/या कोई भी स्थान जहाँ इस MITC से उत्पन्न कार्रवाई का कारण पक्षों के बीच उत्पन्न हुआ।

एडग्रो को, अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, किसी भी समय और समय-समय पर, ऋण समझौते को, साथ ही सभी परिशिष्टों, अनुसूचियों, पत्रों, आवेदनों, दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित, जिसमें एमआईटीसी, प्रमुख तथ्य विवरण या उपकरण, या कोई अन्य लिखित संचार, यदि कोई हो, चाहे वह इसके साथ संलग्न हो या भविष्य में संलग्न किया जाना हो, जो समय-समय पर इस ऋण समझौते का हिस्सा बनते हों, को बदलने, संशोधित करने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

यहाँ प्रयुक्त सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, उनका वही अर्थ होगा जो ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट है।

हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा सहमत हैं कि हमने उपरोक्त उल्लिखित नियम और शर्तें प्राप्त कर ली हैं, पढ़ ली हैं और समझ ली हैं और हम अपने द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।

हस्ताक्षर:

उधारकर्ता

सह-ऋणी-1

